

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 07 जुलाई 2023

निर्णय उद्घोषित: 21 अगस्त 2023

रि.या.(सि.) 8902/2021

निधि कपूर

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री नितिन अहलावत, श्री विसेश
चौधरी, श्री साहिल डागर और सुश्री
सोनाली सरदाना, अधिवक्तागण।

बनाम

प्रधान आयुक्त और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव व अन्य।

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमित्र, श्री
तरुण गुलाटी, श्री किशोर कुणाल, श्री
कुमार संभव, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 की ओर से श्री
सतीश कुमार, वरिष्ठ स्थायी
अधिवक्ता और सुश्री सोनू भटनागर,
वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, सहित श्री
ध्रुव, श्री मंडल, अधिवक्तागण।

तथा

रि.या.(सि.) 9561/2021

सुप्रिया

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: उपस्थिति नहीं दी गई

बनाम

भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: प्रत्यर्था सं. 2 और 3 हेतु वरिष्ठ
स्थायी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार,
सहित श्री ध्रुव, श्री अतुल मंडल,
अधिवक्तागण।

श्री संजय कुमार, सुश्री ईशा
कादियान, सुश्री हेमलता रावत, प्र.-4
हेतु अधिवक्तागण।

श्री देव भारद्वाज और सुश्री अनुभा
भारद्वाज, अधिवक्तागण सहित श्री
सचिन सिंह, सुश्री दिव्यांशी
श्रीवास्तव, भारत संघ हेतु
अधिवक्तागण।

तथा

रि.या.(सि.) 13131/2022, सि.वि.आ. 11400/2023 (अति.दस्तावेज़)

सुधा मूर्ति

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: उपस्थिति नहीं दी गई

बनाम

संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त, आईजीआई हवाई अड्डा टर्मिनल-3
दिल्ली

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, श्री अक्षय
अमृतांशु, श्री आशुतोष जैन, श्री
सम्यक जैन, अधिवक्तागण।

तथा

रि.या.(सि.) 531/2022, सि.वि.आ. 1519/2022 (रोक)

श्री जसमीत सिंह चड्ढा

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चिन्मय सेठ, श्री ए. के. सेठ,
अधिवक्तागण।

बनाम

सीमा शुल्क आयुक्त, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 हेतु वरिष्ठ
स्थायी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार
सहित श्री ध्रुव, श्री अतुल मंडल,
अधिवक्तागण।

तथा

रि.या.(सि.) 8083/2023, सि.वि.आ. 31146/2023 (रोक)

सुश्री शनाज़ मलिक

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री आकांक्षा मेहरा, श्री लक्ष्य सैनी
और श्री हिमांशु त्यागी,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: उपस्थिति नहीं दी गई है।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा

न्या. धर्मेश शर्मा

1. हमारे देश में, 'सोने' को हमेशा दैवीय शक्तियों को धारण करने वाली एक पवित्र सामग्री के रूप में दर्शाया गया है। शायद हम भारतीयों से ज्यादा सोने को कोई भी इतना ज्यादा मूल्यवान नहीं मानता। 'सोना' अर्जन करना और इस पर अधिकार रखने का प्रलोभन इतना अधिक है कि चूंकि यह भारत के बाहर कुछ देशों में बहुत सस्ता है, इसलिए हमारे देश के लोग विभिन्न विदेशी स्थानों की यात्रा करते हैं और भारत में 'सोना' लाने का प्रयास करते हैं, यद्यपि वे विभिन्न प्रकार के गुप्त और संदिग्ध उपायों को अपनाते या अभिनियोजित करते हैं, और अनिवार्य रूप से हमारे देश में कानून के गलत पक्ष पर पहुँच जाते हैं। यहां तक कि विदेशी नागरिक भी अपवाद नहीं हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अनधिकृत या अवैध रूप से 'सोना' लाने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम इसके बाद चर्चा करेंगे,

सीमा शुल्क प्राधिकरण भी 'सोने' के आयात के मुद्दों से इस प्रकार से निपट रहे हैं जिससे विश्वास पैदा नहीं होता है। यह हमारा अनुभव है कि कई बार संबंधित प्राधिकरणों ने अधिहृत सोने की निर्मुक्ति/मोचन के अलावा शुल्क के मूल्यांकन और उद्ग्रहण, जुर्माना और/या शास्ति अधिरोपित करने के मामलों में अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से प्रयोग किया है। इस प्रकार की मनमानी पारदर्शिता, समानता और कार्रवाई में निष्पक्षता के मामले में पर्याप्त नहीं होती, जो देश में विधि का शासन बनाए रखने के संवैधानिक उद्देश्य को साकार करने के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

2. यह उक्त पृष्ठभूमि में है कि उपरोक्त पांच रिट याचिकाओं में **अद्यतन संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962¹** के कुछ प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में मुद्दे उद्भूत हुए हैं, कि क्या भारत में 'सोना' लाना अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित धारा 2(33) के अंतर्गत 'प्रतिषिद्ध' अनुच्छेद की परिधि में आता है, और यदि हां, तो अधिनियम की धारा 112² और 114 के अलावा

¹ अधिनियम

² 112 वस्तुओं इत्यादि के अनुचित आयात हेतु शास्ति, - कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी भी माल के संबंध में, कोई ऐसा कृत्य करता है या करने में लोप करता है जो कृत्य या लोप ऐसे माल को धारा 111 के अंतर्गत अधिहरण करने के लिए उत्तरदायी बनाता है, या ऐसे कृत्य को करने या लोप करने में सहायता करता है, या

(ख) जो कब्जा अर्जित करता है या किसी भी प्रकार से वहन करने, हटाने, निक्षेप करने, आश्रय देने, रखने, छिपाने, बेचने या खरीदने से संबंधित है, या किसी भी अन्य ढंग से किसी भी माल के साथ निपटने वाला है जिसे वह जानता है या जिसके बारे में उसे विश्वास रखने का कारण है कि वह धारा 111 के अंतर्गत अधिहरण हेतु उत्तरदायी है, उत्तरदायी होगा,-

(i) उस माल के मामले में जिसके संबंध में इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई प्रतिषेध प्रवृत्त है, शास्ति 216 [माल के मूल्य या पांच हजार रुपये से अधिक नहीं], जो भी अधिक हो;

धारा 125 के अंतर्गत जुर्माने/शास्ति के भुगतान पर इसकी निर्मुक्ति/मोचन का क्या विधिक प्रभाव होगा; और साथ इस मुद्दे को उद्भूत करने के लिए कि क्या सीमा शुल्क पर आने पर इसे घोषित किए बिना भारत में सोना लाना अधिनियम की धारा 111 के साथ पठित धारा 2 (39) और/या किसी अन्य अनुरूप कानून के उल्लंघन में भारत में सोने की "तस्करी" के समान है जो न केवल सोने के अधिहरण को आमंत्रित करता है, अपितु जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने की प्रकृति को भी उद्गृहित करता है। यह कहना पर्याप्त है कि वर्तमान रिट याचिकाओं में वर्णित घटनाओं का क्रम कमोबेश एक जैसा है और हवाई अड्डे पर आगमन पर घोषणा के बिना सोना लाने और **सीमा शुल्क ग्रीन चैनल** से गुजरने का प्रयास करने से संबंधित है, जिससे विधि के सामान्य प्रश्न उद्भूत होते हैं और इस प्रकार इस सामान्य निर्णय द्वारा इसका आसानी से निपटान किया जा सकता है। यद्यपि, ऊपर दर्शाए गए विधिक मुद्दों को

-
- (ii) प्रतिषिद्ध माल के अलावा शुल्क्य माल के मामले में, शास्ति 217 [ऐसे माल पर अपवंचित किया जाने वाला शुल्क या पांच हजार रुपये से अधिक नहीं], जो भी अधिक हो;
- (iii) ऐसे माल के मामले में जिसके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत की गई प्रविष्टि में या वस्तु के मामले में, धारा 77 (किसी भी मामले में इसके बाद इस धारा में घोषित मूल्य के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत की गई घोषणा में बताया गया मूल्य उसके मूल्य से अधिक है, शास्ति 219 [घोषित मूल्य और उसके मूल्य के बीच अंतर या पांच हजार रुपये से अधिक नहीं], जो भी अधिक हो;]
- (iv) खंड (i) और (iii) दोनों के अंतर्गत आने वाले माल के मामले में, शास्ति 220 [माल के मूल्य या घोषित मूल्य और उसके मूल्य के बीच अंतर या पांच हजार रुपये से अधिक नहीं], जो भी उच्चतम हो ;]
- (v) खंड (ii) और (iii) दोनों के अंतर्गत आने वाले माल के मामले में, शास्ति 221 [ऐसे माल पर अपवंचित किया जाने वाला शुल्क या घोषित मूल्य और उसके मूल्य के बीच अंतर या पांच हजार रुपये से अधिक नहीं], जो भी उच्चतम हो.]

उद्भूत करने वाले संदर्भ को समझने के लिए प्रत्येक रिट याचिका के तथ्यात्मक वृत्तांत का संदर्भ लेना समीचीन होगा।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

रि.या.(सि.) सं. 8902/2021 (निधि कपूर बनाम प्रधान आयुक्त और भारत

सरकार के अतिरिक्त सचिव व अन्य)

3. इस मामले में याचिकाकर्ता दिनांक 01 जुलाई 2015 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात से हवाई उड़ान सं. 9डब्ल्यू 545 द्वारा भारत आई, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे³, नई दिल्ली पर उतरा, और 'सीमा शुल्क ग्रीन चैनल' से गुजरने का प्रयास करते समय, उसके पास तीन सोने की धातु की छड़ें और दो सोने के कटे हुए टुकड़े (इसके बाद "विषयगत माल" के रूप में संदर्भित) पाए गए, जिसका वजन *पंचनामा (पी-1)* अनुसार 995.0 शुद्धता के साथ 3100 ग्राम और मूल्य 76,44,011/- रुपये था। उसे निरुद्ध किया गया और जांच के दौरान उसने अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयान में कथित तौर पर प्रकटन किया कि 'विषयगत माल' उसे एक पारिवारिक मित्र, दीपक बजाज द्वारा एक उपहार विलेख के माध्यम से सौंपा गया था, और उसी को सिद्ध करने के लिए उसने दिनांक 30.06.2015 (पी-3) का एक दस्तावेज़ प्रदान किया। सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2015 को एक कारण बताओ नोटिस जारी

³आईजीआई हवाईअड्डा

किया गया, जिसमें उससे यह औचित्य सिद्ध करने के लिए कहा गया कि अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत विषयगत माल को अधिहृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए और अधिनियम की धारा 112 के साथ पठित धारा 114कक (उपाबंध पी-4) के अंतर्गत उसे दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस कार्यवाही की पराकाष्ठा अतिरिक्त सीमा शुल्क आयुक्त/न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2016 के एक पारित आदेश के साथ हुई, जिसके माध्यम से अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत विषयगत माल को अधिहृत करने का आदेश दिया गया था और साथ ही अधिनियम की धारा 112 के साथ पठित धारा 114 कक (पी-5) के अंतर्गत 15,00,000/- रुपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई।

4. याचिकाकर्ता ने एक अपील (पी-6) प्रस्तुत की और सीमा शुल्क आयुक्त (अपील)/अपील प्राधिकरण ने दिनांक 19 फरवरी 2018 के आदेश के माध्यम से मूल आदेश को बरकरार रखते हुए अपील(पी-7) संपूर्णतः खारिज कर दी। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के पुनरीक्षण प्राधिकारी/अतिरिक्त सचिव के समक्ष एक पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की, जिन्होंने **दिनांक 02 जनवरी 2020 (दिनांक 08 जनवरी 2020 को जारी)** के आदेश के अंतर्गत 'विषयगत माल' के मोचन हेतु अधिनियम की धारा 129घघ के संदर्भ में अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत विषयगत माल को अधिहृत करने के आदेश को बरकरार रखते हुए और साथ ही अधिनियम की धारा 114कक के

अंतर्गत शास्ति को अपास्त करने के अलावा अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित करते हुए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया।

रि.या.(सि.) सं. 9561/2021 (सुप्रिया बनाम भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव व अन्य)

5. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता भी दिनांक 15 मई 2015 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात से हवाई उड़ान संख्या ईके 512 से यात्रा करते हुए आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली के टर्मिनल-3 पर उतरी और जब उसे रोका गया, तो उसके शरीर/कपड़ों से उसके पास दो सोने की छड़ें और दो सोने के टुकड़े (अर्थात्, 'विषयगत माल') बरामद किए गए और पंचनामा (पी-2) के अनुसार, इनका वजन 995.0 शुद्धता के साथ लगभग 3000 ग्राम था, जिसका मूल्य 75,86,865/- भारतीय रुपये था, जबकि 'विषयगत माल' का बाजार मूल्य जौहरी मूल्यांकनकर्ता (पी-1) की रिपोर्ट के अनुसार 83,67,000/- रुपये था। याचिकाकर्ता का बयान अधिनियम की धारा 108 (पी-3) के अंतर्गत अभिलिखित किया गया था, जिसमें उसने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने दिनांक 13 मई 2015 को मैसर्स मोतीवाला ज्वैलर्स, दुबई से गहने खरीदे थे और नकद रसीद (पी-4) पेश की थी, यह भी बताते हुए कि विषयगत माल उसे एक पारिवारिक मित्र द्वारा उपहार में दिया गया था। दिनांक 3 नवंबर 2015 को एक कारण बताओ सूचना (पी-6) जारी की गई थी, जिसकी

पराकाष्ठा अंततः दिनांक 15 नवंबर 2017 को संयुक्त आयुक्त/न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश के रूप में हुई, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत विषयगत माल को अधिहत कर लिया गया और अधिनियम की धारा 112 और 114कक (पी-7) के अंतर्गत 15,00,000/- रुपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक अपील प्रस्तुत की और इस पर अपील आयुक्त (सीमा शुल्क) ने दिनांक 17 जुलाई 2018 के आदेश द्वारा अपील को अनुज्ञात किया, जिससे अधिनियम की धारा 125 के संदर्भ में 19,00,000 रुपये की शास्ति के भुगतान पर विषयगत माल को निर्मुक्त कर दिया गया जबकि अधिनियम की धारा 114कक के साथ पठित धारा 112 के अंतर्गत शास्ति को घटाकर 8,00,000/- (पी-8) रुपये कर दिया गया। विभाग/प्रत्यर्थी सं. 2 ने एक अपील प्रस्तुत की और भारत सरकार के पुनरीक्षण प्राधिकरण/अतिरिक्त सचिव ने दिनांक 09 जुलाई 2021 को आक्षेपित आदेश पारित किया, जिससे 'विषयगत मालों' के अधिहरण और इसके मोचन में गिरावट को बरकरार रखते हुए दिनांक 15 नवंबर 2017 (पी-7) के मूल आदेश को बरकरार रखा गया।

रि.या.(सि.) सं. 13131/2022 (सुधा मूर्ति बनाम संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त, आईजीआई हवाईअड्डा, टर्मिनल-3, दिल्ली

6. याचिकाकर्ता दिनांक 07 दिसंबर 2019 को अपनी बेटियों के साथ शामिल होने के लिए कनाडा के लिए रवाना हुईं और दिनांक 29 सितंबर 2020 को

एयर इंडिया फ्लाइट एआई-188 द्वारा टोरंटो से टर्मिनल-3 आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत वापस आ गई; और उसके पास तलाशी में, 420 ग्राम मिश्रित सोने के आभूषण पाए गए। उसने दावा किया कि उसने मूल रूप से अपने प्रस्थान से बहुत पहले भारत में ये वस्तुएँ खरीदी थी और उसे वापस भारत ले जा रही थी और इस कारण से वह 'ग्रीन चैनल' से गुजरने के लिए आगे बढ़ी, किंतु दिनांक 30 सितंबर 2020(ए-4) के ज्ञापन द्वारा उसे निरूद्ध कर लिया गया। संक्षेप में, दिनांक 30 सितंबर 2020 के निरोध ज्ञापन के माध्यम से सील किए गए विषयगत माल को दिनांक 07 अक्टूबर 2020 को सीडब्ल्यूसी भांडागार में उसकी उपस्थिति में खोला गया और आभूषण मूल्यांकनकर्ता द्वारा सोने की वस्तुओं के मूल्य का आकलन किया गया। यद्यपि, रिकॉर्ड से यह भी सामने आता है कि कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर लगभग 48 ग्राम वजन की दो सोने की चूड़ियाँ हटा दीं और ग्रीन चैनल उल्लंघन दस्तावेज़ का परीक्षण करने पर, मामले को एसी'एस (डब्ल्यूएच) को अभिलिखित किया गया और याचिकाकर्ता को उसके पति श्री दया नंद मूर्ति के साथ आगे की जांच के लिए शिफ्ट अधिकारियों को सौंप दिया गया और कथित रूप से चुराई हुई दो सोने की चूड़ियां बरामद की गईं और दिनांक 07 अक्टूबर 2020 का *पंचनामा* निकाला गया। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 379 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरूद्ध सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्राथमिकी सं. 213/2020 निविष्ट की गई थी। याचिकाकर्ता को विद्वान एसीएमएम(अतिरिक्त मुख्य

मेट्रोपोलिटन दंडाधिकारी), पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया और दिनांक 21 जनवरी 2021 के आदेश के अनुसार परिणामी आपराधिक कार्यवाही में उसने आरोपों को स्वीकार किया और समझाया कि वह 'परिस्थितियों की शिकार' थी और वह अपने आचरण से संतापयुक्त थी, जिस पर विद्वान एसीएमएम(अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन दंडाधिकारी) ने उसे 'न्यायालय के अंतिम स्थगन तक' (ए-5) एक दिन के कारावास के साथ-साथ 15,000/- रुपये के जुर्माने के भुगतान की सजा सुनाई गई थी।

7. संक्षेप में, याचिकाकर्ता का अभिवचन यह है कि पैतृक सम्पत्ति सहित उसके पारिवारिक गहने विषयगत माल रहे हैं, और इस प्रकार, उसने दिनांक 18 नवंबर 2020 को सीमा शुल्क अतिरिक्त आयुक्त को अपनी सोने की वस्तुओं को निर्मुक्त करने के लिए अनुरोध करते हुए एक ईमेल भेजा, जिस पर बिना किसी कारण बताओ नोटिस जारी किए और बिना किसी सार्वजनिक सुनवाई के, दिनांक 1 जनवरी 2021 को एक आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने अपने बयान और सीमा शुल्क से दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया और उसके बाद दिनांक 02 मार्च 2021 को सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील प्रस्तुत की। इसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्रस्तुतियों पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया और 'विषयगत माल' अधिहृत कर लिए गए और मोचन को अस्वीकार कर दिया गया।

रि.या.(सि.) सं.531/2022 (श्री जसमीत सिंह चड्ढा बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली)

8. तत्काल याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिनांक 07 सितंबर 2014 को वह अपने संबंधियों से मिलने दुबई गया था और परिवार में होने वाली शादी की वजह से, दिनांक 08 सितंबर 2014 को उसने अपनी बचत से और अपने संबंधियों से उधार लिए गए धन से लगभग 2000 ग्राम सोना ('विषयगत माल') खरीदा था, जिसका प्रमाण उपाबंध पी-2 के माध्यम से दिया गया था, परंतु जब वह दिनांक 9 सितंबर 2014 को दुबई से उड़ान संख्या 6ई-024 से नई दिल्ली के टर्मिनल-3 आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो उसे इस तथ्य के बावजूद निरुद्ध किया गया कि उसने उड़ान में चढ़ने से पहले दुबई हवाई अड्डे पर उक्त सोने की विधिवत घोषणा की थी और जब वह एरोब्रिज में था, तो सीमा शुल्क अधिकारियों ने उससे संपर्क किया और पूछताछ की, जिस पर उसने सत्यता से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वीकार किया कि उसके पास 2000 ग्राम सोना था और वह इसे घोषित करना चाहता था, परंतु इसके बजाय उसे इस बहाने कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया कि ऐसी कार्यवाही के बाद उसे 'विषयगत माल' के साथ निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

9. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसके विरुद्ध दिनांक 23 फरवरी 2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, और अपने सद्भाव से

उसने अपने अधिवक्ता की सलाह पर निपटान आयोग के समक्ष दिनांक 03 जून 2015 को विषयगत माल, जिसका मूल्य टीआर-6 चालान (पी-4) के अनुसार 51,24,000/- रुपये था, के लिए 18,47,202/- रुपये की राशि जमा करने के बाद एक आवेदन दायर किया था। उक्त आवेदन को निपटान आयोग द्वारा दिनांक 21.06.2016 के आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया था कि इस प्रकार का आवेदन अधिनियम की धारा 127 (ख) (1) के तीसरे परंतुक के अंतर्गत संधार्य नहीं था और मामला स्वतः ही न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास वापस भेज दिया गया, और बाद में दिनांक 30 मार्च 2016 को अधिनियम की धारा 111 (घ), 111 (झ), 111 (ञ), 111 (झ) और 111 (ड) के अंतर्गत 2000 ग्राम वजन वाली दो सोने की छड़ों को अधिहृत करने का आदेश पारित किया गया, और साथ ही अधिनियम की धारा 112 और 114 कक के अंतर्गत उस पर 11,00,000 रुपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई। याचिकाकर्ता द्वारा अपील प्राधिकरण अर्थात् आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई, परंतु इसे दिनांक 08 अगस्त 2017 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया; और इसलिए, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त सचिव/पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष एक पुनर्विलोकन आवेदन दायर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे दिनांक 22 सितंबर 2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

रि.या.(सि.) सं. 8083/2023 (शहनाज मलिक बनाम भारत संघ)

10. याचिकाकर्ता दिनांक 27 जून 2015 को हवाई उड़ान सं. एआई996 द्वारा दुबई से टर्मिनल-3, आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर पहुँची; और इसी प्रकार सीमा शुल्क ग्रीन चैनल से गुजरते समय, उसे रोक लिया गया और *पंचनामा* निकाला गया (पी -2) जिसमें उसके निजी सामान से 100 सोने के सिक्के और 10 तोले की 4 सोने की छड़ें, जिनका कुल वजन 999.0 शुद्धता के साथ 1266.56 ग्राम और मूल्य 29,82,359/- रुपये था, बरामद की गई। अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयान में, उसने कथित तौर पर संस्वीकार किया कि सोना श्री विक्रम देवब्रत के कहने पर लाया गया था और एआई एसएटीएस के साथ काम करने वाले व्यक्तियों की मदद से इसे ले जाया जाना था। दिनांक 18 दिसंबर 2015 के कारण बताओ नोटिस (पी -3) के परिणामस्वरूप उसे यह बताने के लिए कहा गया कि अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत सामग्री को पूर्ण रूप से अधिहृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए, और अधिनियम की धारा 112 (क), 112 (ख) और 114क⁴ के अनुसार शास्ति

⁴ [114क. कुछ मामलों में शुल्क के लघु-उद्ग्रहण या अनुद्ग्रहण हेतु शास्ति। - जहां शुल्क उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण नहीं किया गया है या ब्याज प्रभारित या संदत्त नहीं किया गया है या आंशिक रूप से संदत्त किया गया है या शुल्क या ब्याज सांठगांठ या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के कारण गलती से वापस कर दिया गया है, वहां वह व्यक्ति जो धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन यथानिर्धारित शुल्क या ब्याज, जैसा भी मामला हो, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, इस प्रकार अवधारित शुल्क या ब्याज के समान जुर्माना संदाय करने के लिए भी उत्तरदायी होगा:]

[परन्तु जहां धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन अवधारित, यथास्थिति, ऐसा शुल्क या ब्याज, और धारा 28कख के अधीन उस पर देय ब्याज, ऐसे शुल्क का निर्धारण करने वाले समुचित अधिकारी के आदेश की संसूचना की तिथि से तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन संदत्त की जाने वाली शास्ति की राशि, यथास्थिति, इस प्रकार अवधारित शुल्क या ब्याज का पच्चीस प्रतिशत होगी:

क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए, यह स्पष्ट करने के लिए उसे दिनांक 18 मई 2016 और दिनांक 30 अगस्त 2016 को आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, और अंततः दिनांक 30 दिसंबर 2016 को अतिरिक्त सीमा शुल्क आयुक्त, आईजी हवाई अड्डा- टर्मिनल- 3, नई दिल्ली (पी -4) द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा न केवल माल अधिहत कर लिया गया, अपितु सीमाशुल्क या मोचन जुर्माने के भुगतान का कोई विकल्प भी उसे नहीं दिया गया। इसके अलावा, श्री विक्रम देवब्रत और एआई एसएटीएस के दो अन्य व्यक्तियों - श्री मिथिलेश कुमार वर्मा और श्री नवीन कुमार अभिमन्यु पर - सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 और 114कक के अंतर्गत क्रमशः 10,00,000/- रुपये, 2,50,000/- रुपये और 1,50,000/- रुपये

आगे यह भी प्रावधान है कि प्रथम परंतुक के अधीन कम की गई शास्ति का लाभ इस शर्त के अधीन उपलब्ध होगा कि इस प्रकार निर्धारित जुर्माने की राशि भी उस परंतुक में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर चुका दी गई हो:

यह भी प्रावधान है कि जहां देय निर्धारित शुल्क या ब्याज को, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा कम किया जाता है या बढ़ाया जाता है, वहां इस धारा के प्रयोजन हेतु, यथास्थिति, कम किया गया या बढ़ाया गया शुल्क या ब्याज, हिसाब में लिया जाएगा यह भी प्रावधान है कि जहां देय निर्धारित शुल्क या ब्याज को आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या, जैसा भी मामला हो, न्यायालय द्वारा बढ़ाया जाता है, वहां पहले परंतुक के अंतर्गत कम की गई शास्ति का लाभ उपलब्ध होगा यदि इस प्रकार बढ़ाए गए शुल्क या ब्याज की राशि, धारा 28कख के अंतर्गत उस पर देय ब्याज के साथ, और शास्ति में परिणामी वृद्धि का पच्चीस प्रतिशत भी उस आदेश के सम्प्रेषण के तीस दिनों के भीतर भुगतान किया गया है जिसके द्वारा शुल्क या ब्याज में ऐसी वृद्धि प्रभावी होती है:

यह भी प्रावधान है कि जहां इस धारा के अधीन कोई शास्ति उद्गृहित की गई है, वहां धारा 112 या धारा 114 के अधीन कोई शास्ति उद्गृहित नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण- संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि-

(i) इस धारा के प्रावधान उन मामलों पर भी लागू होंगे जिनमें धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन शुल्क या ब्याज का निर्धारण करने वाला आदेश वित्त अधिनियम, 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से पूर्व जारी की गई सूचनाओं से संबंधित है*;

(ii) पहले परन्तुक या चौथे परन्तुक में निर्दिष्ट आदेश की संसूचना की तिथि से पूर्व केन्द्र सरकार के खाते में जमा की गई कोई राशि ऐसे व्यक्ति से देय कुल राशि में समायोजित की जाएगी।]

की शास्ति अधिरोपित की गई। याचिकाकर्ता पर 75,000/- रुपये की व्यक्तिगत शास्ति भी अधिरोपित की गई। इससे व्यथित होकर, उसने दिनांक 16 फरवरी 2017 को सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे दिनांक 24 अगस्त 2018 के आदेश (पी-5) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने दिनांक 24 अगस्त 2018 के आदेश के विरुद्ध केंद्र सरकार के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 14 जुलाई 2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज (पी-1) कर दिया गया था, जिसके अनुसार अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत मोचन जुर्माने के भुगतान पर माल की निर्मुक्ति के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया था। अधिरोपित जुर्माने और शास्ति भी उचित और न्यायसंगत पाए गए।

लिखित याचिकाओं में सामान्य चुनौती:

11. संक्षेप में, उपरोक्त पाँच रिट याचिकाओं में संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किए गए, जिसके द्वारा विषयगत माल को अधिहृत कर लिया गया और शुल्क/जुर्माना लगाने के साथ उनमें से प्रत्येक के पास जाने के अलावा मोचन को अननुज्ञात किया गया, मुख्य रूप से प्रत्येक रिट याचिका में लगभग समान आधार पर हमला किया गया कि संबंधित प्राधिकरण अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत निहित शक्तियों का उचित, युक्तियुक्त और तर्कसंगत तरीके से प्रयोग करने में विफल रहे; और यह कि संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारियों ने निर्मुक्ति/मोचन के आवेदन को

खारिज करते समय मनमाने ढंग से असम्बद्ध कारकों को ध्यान में रखा; और उनके निर्णय लेने में 'पेटेंट अनुचितता' और 'एकरूपता की कमी' है, साथ ही समान परिस्थितियों वाले अन्य संबंधित मामलों में विषयगत माल की निर्मुक्ति/मोचन को अनुज्ञात किया गया है। यह उनकी शिकायत है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और न केवल अत्यधिक विलंब के बाद आक्षेपित आदेश पारित किए गए, अपितु यह भी कि आक्षेपित आदेशों के माध्यम से अधिरोपित जुर्माना/शास्तियाँ किए गए अपराध के लिए अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंगत है। अंत में, अधिनियम की धारा 114क को किसी भी मामले में शामिल नहीं किया गया था। अतः, उपरोक्त याचिकाओं में से प्रत्येक में, 'विषयगत माल' के मोचन/निर्मुक्ति के अलावा आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित करने की मांग की जाती है।

प्रत्यर्थी सं. 2/सीमा शुल्क की ओर से उत्तर/प्रति शपथ पत्र

12. प्रत्यर्थी सं.2 ने प्रत्येक तत्काल रिट याचिका में इस प्रभाव के लिए प्रतिवाद की एक समान रेखा के माध्यम से उत्तर दायर किया है कि प्रत्येक याचीगण "वाहक" के रूप में कार्य कर रहे थे और विषयगत माल के स्वामी नहीं थे; और वे अधिनियम की धारा 123 के संदर्भ में प्रमाण के भार का निर्वहन करने में विफल रहे - कि विषयगत माल 'तस्करी किया गया माल' था; और इसलिए, 'तस्करी किए गए माल' का अभिप्राय 'प्रतिषिद्ध माल' की श्रेणी के रूप में नहीं किया जा सकता और इसके अलावा कि माल को निर्मुक्त

करने/मोचन के परिणामस्वरूप माल-वास्तव में बाजार में प्रवेश करेगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा; और यह कि इस बात की अनवेक्षा नहीं की जा सकती कि किसी भी याची ने यह नहीं बताया है कि वे कैसे कई लाख रुपये के विषयगत माल की खरीद करने में समर्थ रहे थे और पूरी संभावना है कि भुगतान, मूल देश की विदेशी मुद्रा में या हवाला (धनशोधन/मनी लॉन्ड्रिंग) के माध्यम से किया गया था; और यह कि विषयगत माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं थे, अपितु स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक लाभ हेतु था; और यह कि विषयगत माल को भारत में लाना या बिना घोषणा के उसकी तस्करी करना और 'ग्रीन चैनल' से गुजरना **विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम⁵** की धारा 7 का उल्लंघन था क्योंकि यह बिना प्राधिकार सोने के आयात के समान था; और अंत में यह कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और याचीगण अपनी अज्ञानता के दोषी थे चूंकि वे सुनवाई हेतु सूचना के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहे और भारत में विषयगत माल को लाने में अपने कार्यों के बारे में प्राधिकरणों को संतुष्ट न कर सके। प्रत्यर्थी सं.2/सीमा शुल्क हेतु विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार ने **शेख मोहम्मद उमर बनाम सीमा शुल्क⁶**; **ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा**

⁵ एफटीडी एंड आर अधिनियम

⁶ 1970(2) एससीसी 728

शुल्क आयुक्त⁷; गर्ग वूलन मिल्स बनाम सीमा शुल्क⁸; तथा भारत संघ बनाम राज ग्रो इम्पेक्स⁹ मामले में किए गए निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की।

याचीगण की ओर से स्वयं के बारे में दिए गए तर्क:

13. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शोलाब अरोड़ा ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि संबंधित प्राधिकरणों ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तथ्य की पूर्ण रूप से अनवेक्षा की थी कि अन्य संबंधित मामलों में समान परिस्थितियों में विषयगत माल की निर्मुक्ति/मोचन को अनुज्ञात किया गया था। प्रस्तुतियों का प्रमुख मुद्दा यह था कि 'विषयगत माल' अर्थात् सोने का आयात, इस अधिनियम या किसी अन्य अनुरूप क़ानून की योजना के अंतर्गत 'प्रतिषिद्ध' नहीं है; और विधिक स्थिति होने के कारण, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास विषयगत माल की निर्मुक्ति/मोचन की अनुमति देने के अलावा कोई विवेक नहीं था। सबसे पहले, रिट याचिका (सि) 8902/2021 के संदर्भ में, यह बताया गया था कि उसी दिन अर्थात् दिनांक 01 जुलाई 2015 को एक अन्य यात्री सुश्री रिधिमा बजाज ने दुबई से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और उसके पास दो सोने की ईंटें और तीन सोने के कटे हुए टुकड़े जिनका वजन लगभग 2600 ग्राम और मूल्य लगभग 64,61,455/- रुपये था, पाई गई थीं - और यद्यपि कार्यवाही के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क आयुक्त

⁷ (2003) 6 एससीसी 161

⁸ (1999) 9 एससी 175

⁹ 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 429

(अपील)/अपील अधिकरण ने दिनांक 19 फरवरी 2018 (पी-7) को एक आदेश पारित कर अधिनियम की धारा 129घघ के अंतर्गत मोचन को खारिज कर दिया, इसके बाद, दिनांक 06 नवंबर 2020 के सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) (पी-9) और (पी-10) द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत विषयगत माल अर्थात् सुश्री रिधिमा बजाज से बरामद सोने की वस्तुओं को अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत 6,50,000/- रुपये के मामूली मोचन जुर्माना/शास्ति के भुगतान पर निर्मुक्त करने को निर्दिष्ट किया गया और अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत शास्ति की मात्रा को घटाकर 6,50,000/- रुपये कर दिया गया।

14. उसके बाद यह बताया गया कि इसी प्रकार रिट याचिका (सि) 9561/2021 में उसी दिन अर्थात् दिनांक 14.05.2015 को एक अन्य यात्री, विनय गुप्ता ने दुबई (यूएई) से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और उसके पास 2000 ग्राम वजन की दो सोने की छड़ें पाई गईं, जिनका मूल्य 50,57,910/- रुपये है, अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत लागू शुल्क के साथ 23,00,000/- रुपये के मोचन जुर्माने के भुगतान के अलावा अधिनियम (पी-9) की धारा 112 और 114 कक के अंतर्गत 7,00,000/- रुपये के जुर्माने/शास्ति के भुगतान पर 'विषयगत माल' के मोचन को अनुज्ञात किया गया था। यह दृढ़तापूर्वक आग्रह किया गया कि वर्तमान मामलों में विषयगत माल की निर्मुक्ति/मोचन को अननुज्ञात करने के निर्णय यांत्रिक ढंग से पारित किए गए थे, यह इतना अधिक है कि रिट याचिका (सि) सं.8902/2021 और

9561/2021 में दिए गए आदेश लगभग **कट एंड पेस्ट आदेश** थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर राहत से इंकार कर दिया गया था कि विषयगत माल अर्थात् सोने का आयात **आरबीआई द्वारा 80:20 नीति** का उल्लंघन था। यह बताया गया कि 80:20 नीति आरबीआई द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2013 (पी-11) को पुरःस्थापित की गई थी, जिसे दिनांक 21 मई 2014 (पी-12) को उपांतरित किया गया था, परंतु बाद में घटना से काफी पहले दिनांक 28 नवंबर 2014 (पी-13) को इसे वापस ले लिया गया था।

15. विद्वान अधिवक्ता ने हमें सीमा शुल्क निर्देशिका(मैनुअल) 2015, विदेशी व्यापार नीति 2015-20 और आईटीसी (एचएस), 2022-आयात नीति के अंतर्गत प्रासंगिक अध्यायों के विषय में जानकारी दी। यह दृढ़तापूर्वक आग्रह किया गया कि विषयगत माल, अर्थात् सोने का आयात, एफटीडीआर अधिनियम के अंतर्गत भी प्रतिषिद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 125 'प्रतिषिद्ध' और 'गैर-प्रतिषिद्ध' दोनों वस्तुओं से संबंधित है और सोने का आयात इस प्रकार से प्रतिषिद्ध नहीं है और ऐसी स्थिति में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास आयातकर्ता/स्वामियों को अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत 'विषयगत माल' की निर्मुक्ति/मोचन हेतु विकल्प अनुज्ञात करने या वहन करने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं है। अपनी प्रस्तुतियों में, **सनशाइन इंटरनेशनल बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर¹⁰**;

¹⁰ 1993 (42) ईसीसी 282

मोहिनी भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त¹¹; सुरेश कुमार रईसनी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त¹²; भारत संघ बनाम धनक एम रामजी¹³; सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अश्विनी कुमार¹⁴; राजाराम बोहरा बनाम भारत संघ¹⁵, सीमा शुल्क आयुक्त (वायु) बनाम पी सिन्नासामी¹⁶; गोरधनभाई एन पटेल बनाम सीमा शुल्क आयुक्त¹⁷; कादर मयदीन बनाम सीमा शुल्क आयुक्त¹⁸, के. बलूचामी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त¹⁹; याकूब इब्राहिम यूसुफ बनाम सीमा शुल्क आयुक्त²⁰; विजय कुमार चौधरी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त²¹; रेक्स प्रिंटिंग प्रेस बनाम सीमा शुल्क आयुक्त²²; साई इंटरनेशनल बनाम सीमा शुल्क आयुक्त²³; एफएल स्मिथ प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त²⁴ के मामले में निर्णयों पर निर्भरता प्रकट की गई। इसके अलावा, सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अतुल

¹¹ 1999 (106) ईएलटी 485 ट्राई-मुंबई

¹² 2004 एससीसी ऑनलाइन सीईएसटीएटी 1116

¹³ 2009 एससीसी ऑनलाइन बॉम 2270

¹⁴ 2020 एससीसी ऑनलाइन सीईएसटीएटी 333

¹⁵ 2015 एससीसी ऑनलाइन कैल 6049

¹⁶ 2016 एससीसी ऑनलाइन मैड 22055

¹⁷ 1999 एससीसी ऑनलाइन सीईजीएटी 359

¹⁸ 2000 एससीसी ऑनलाइन सीईजीएटी 1662

¹⁹ 2007 एससीसी ऑनलाइन सीईएसटीएटी 1873

²⁰ [एमएनयू/सीएम/0425/2010]

²¹ 2015 एससीसी ऑनलाइन सीईएसटीएटी 2000

²² 2004 एससीसी ऑनलाइन सीईएसटीएटी 553

²³ [एमएनयू/सीबी/0059/2017]

²⁴ [एमएनयू/टीएन/0970/2021]

ऑटोमेशन (प्रा) लिमिटेड²⁵ के मामले में लिए गए निर्णय पर भी निर्भरता व्यक्त की गई।

16. इस अवसर पर, यह उपदर्शित किया जाना चाहिए कि रिट याचिका में उद्भूत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने एक बड़े लोक हित को समझा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री तरुण गुलाटी को दिनांक 03.02.2023 के आदेश द्वारा न्यायालय द्वारा *न्यायमित्र* नियुक्त किया गया, उन्होंने अपनी विद्वतापूर्ण प्रस्तुतियों में इस न्यायालय को संबंधित कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के माध्यम से अवगत कराया। अधिनियम की धारा 2 (33) के संदर्भ में, यह अनुग्रह किया गया कि यह माल की तीन श्रेणियों के लिए प्रावधान करता है: *पहला*, वे माल जो अधिनियम के अंतर्गत किसी 'प्रतिषेध' के अधीन हैं, केवल तभी जब ऐसे माल को केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है; *दूसरा*, ऐसे माल का आयात या निर्यात जो किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी प्रावधान के अधीन है; और *तीसरा*, किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए माल का आयात या निर्यात करना जिसके अंतर्गत माल को आयात या निर्यात करना अनुज्ञात किया गया है, जैसे लाइसेंसधारी(अनुज्ञप्तिधारी) या परमिट आदि के अंतर्गत।

17. अधिनियम की धारा 111 को संदर्भित करते हुए, यह आग्रह किया गया कि प्रतिषिद्ध माल की अवधारणा अधिहरण योग्य वस्तुओं से भिन्न है और

²⁵ (2019) 3 एससीसी 539

यह दृढ़तापूर्वक आग्रह किया गया कि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे इस प्रकार सोने के आयात पर प्रतिषेध लगाया जा सके। यह आग्रह किया गया कि आयात या निर्यात के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत किसी भी शर्त का उल्लंघन करने से ऐसे माल केवल इसलिए प्रतिषेधात्मक श्रेणी में नहीं आएंगे केवल इसलिए क्योंकि इसमें माल को अधिहत करने, जुर्माना/शास्ति उद्गृहित करने आदि जैसे परिणामों का प्रावधान है। न्यायालय का ध्यान एफटीडीआर की धारा 3 (2), (3) और (4) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया और यह संयाचना की गई कि ऐसे प्रावधानों का संयुक्त अध्ययन यह दर्शाएगा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वस्तु के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने का आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक बिना किसी परमिट या लाइसेंस(अनुज्ञप्ति) के वस्तुओं का आयात या निर्यात करने से ऐसे माल प्रतिषिद्ध श्रेणी में नहीं आएंगे। बेकर ग्रे एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ²⁶; शेख मोहम्मद ओमर बनाम सीसी, कलकत्ता²⁷; प्रयाग एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त²⁸; और आयुक्त बनाम प्रयाग एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड²⁹ के निर्णयों का संदर्भ आकृष्ट किया गया।

²⁶ 1970 (1) एससीसी 352

²⁷ 1983 (12) ईएलटी 1439

²⁸ 2000 (121) ईएलटी 819 (अधिकरण)

²⁹ 2003 (155) ई.एल.टी. 4 (एस.सी.)

18. इसके अतिरिक्त यह भी संयाचना की गई कि *ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमाशुल्क आयुक्त (पूर्वोक्त)* का निर्णय विशिष्ट था, चूंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1972³⁰ की धारा 18 के अंतर्गत एक विशिष्ट अधिसूचना थी और आयुक्त बनाम सुरेश झुनझुनवाला³¹; सीसी, न्यू कस्टम्स हाउस 'मुंबई बनाम विशाल एक्सपोर्ट्स ओवरसीज लिमिटेड'³², गुरचरण सिंह बनाम डीआरआई³³ के निर्णयों में ऐसा विभेद सामने लाया गया था।

19. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुलाटी ने आईटीसी (एचएस) के अध्याय 71 को संदर्भित करते हुए समय-समय पर केंद्र सरकार³⁴ और विभिन्न विभागों जैसे डीजीएफटी³⁵, आरबीआई³⁶ और सीमा शुल्क³⁷ द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए संयाचना की कि सोने के आयात को हमेशा 'मुक्त माल' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, आरबीआई के विभिन्न विनियमों के अधीन स्वतंत्र रूप से आयात योग्य, और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि एफटीडीआर के अंतर्गत सोने के आयात पर कभी भी इस प्रकार का कोई पूर्ण निर्बंधन नहीं लगाया गया है।

³⁰ एफईआरए

³¹ 2006 (203) ई.एल.टी. 353 (एस.सी.)

³² 2007 (209) ईएलटी 331 (एससी)

³³ 2008 (224) ईएलटी 497 (एससी)।

³⁴ अधिसूचना सं.1/34 दिनांक 18.01.1964

³⁵ डीजीएफटी अधिसूचना सं. 29/(आरई-2004)/2002-2007 दिनांक 28.01.2004; सं. 45/2015-2020 दिनांक 30.11.2018; सं. 36/2015-2020 दिनांक 18.12.2019; सं. 49/2015-2020 दिनांक 05.01.2022; डीजीएफटी नीति परिपत्र सं. 32/(आरई-2004)/2002-2007 दिनांक 16.04.2004; और सं. 39 दिनांक 19.08.2011

³⁶ आरबीआई परिपत्र सं. 107 दिनांक 04.06.2013; सं. 103 दिनांक 13.05.2013; सं. 15 दिनांक 22.07.2013; सं. 25 दिनांक 14.08.2013; सं. 82 दिनांक 31.12.2013; सं. 103 दिनांक 14.02.2014; और सं. 133 दिनांक 21.05.2014

³⁷ अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क दिनांक 17.03.2012

अधिनियम के अध्याय XI में धारा 81 के अनुसार बनाए गए यात्री सामान नियमों का संदर्भ भी दिया गया, जिसमें दोहराया गया है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करके सोने का आयात करने पर यद्यपि ऐसा सोना अधिहत किया जा सकता है, परंतु इससे ऐसे माल "प्रतिषिद्ध श्रेणी" में नहीं आते। यह दृढ़तापूर्वक आग्रह किया गया कि तस्करी किए गए माल अपने आप में प्रतिषिद्ध माल नहीं बनते और सीमा शुल्क अधिकारियों के पास अधिनियम की धारा 125 के अनुसार शुल्क/जुर्माना उद्गृहित कर माल के मोचन की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सीमा शुल्क आयुक्त बनाम श्री एक्सपोर्ट्स³⁸; भार्गवराज रमेश कुमार मेहता बनाम यूओआई³⁹ में निर्णयों के लिए भी संदर्भ आकृष्ट किया गया था; और विशेष रूप से मोहम्मद हारून बनाम अतिरिक्त डीआरआई⁴⁰ व आयुक्त बनाम उमा शंकर वर्मा⁴¹ मामले में टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया गया था, जो निम्नानुसार है:

"तस्करी किया गया सोना एक अलग श्रेणी में आता है, जिसे धारा 111 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहत किया जा सकता है। यद्यपि, तस्करी किए गए माल को अधिहत किया जा सकता है, परंतु ऐसा अधिहरण ऐसे माल को अपने आप "प्रतिषिद्ध" नहीं बनाता। अधिनियम की धारा 11 या एफटीडीआर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना की अनुपस्थिति में, तस्करी किए गए माल को "प्रतिषिद्ध" नहीं माना जा सकता।"

³⁸ 2021 (375) ईएलटी 169 (केएआर.)

³⁹ 2018 (361) ईएलटी 260 (गुजरात)।

⁴⁰ 2021 (378) ईएलटी 754 (केईआर.)

⁴¹ 2000(120) ई.एल.टी. 322 (कैल.)

20. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत सोने के अधिहरण के मोचन के मुद्दे पर, **सीसीई (दिल्ली) बनाम अचीवर इंटरनेशनल**⁴² के मामले में निर्णय हेतु संदर्भ आकृष्ट किया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

“14. अधिनियम की धारा 125 में कहा गया है कि यदि अधिनियम के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध किया गया है तो न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी मोचन जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। इस भाषा से यह स्पष्ट है कि धारा 125 उन मालों पर लागू होती है, जिनका आयात और निर्यात अधिनियम के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है। यह प्रतिषिद्ध माल पर लागू होता है। राजस्व का यह प्रतिविरोध कि धारा 125 प्रतिषिद्ध माल पर लागू नहीं होती है, इसलिए भ्रामक और गलत है।

17. अधिनियम की धारा 2 (33) के अंतर्गत "प्रतिषिद्ध माल" शब्द, अधिनियम की धारा 11 (1) की तुलना में बहुत व्यापक है जो केंद्र सरकार को वस्तुओं के आयात या निर्यात को पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध करने वाली अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करता है या ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, धारा 2(33) पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध माल पर लागू होती है या अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अनुबद्ध शर्तों के अधीन होती है और अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी भी प्रतिषेध के अधीन वस्तुओं के आयात या निर्यात पर भी लागू होती है। "प्रतिषिद्ध माल" अभिव्यक्ति बहुत विस्तृत और व्यापक है और केवल उन मालों के आयात और निर्यात तक ही सीमित नहीं है जिनका धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा आत्यन्तिक रूप से या शर्तों के अधीन प्रतिषेध किया गया है। वास्तव में, शेख मोहम्मद ओमर बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता व अन्य - (1970) 2 एससीसी 728 = 1983 (13) ई.एल.टी. 1439 (एस.सी.), टूलीदास ज्यूर्राज बनाम

⁴² 2012 (286) ईएलटी 180 (डेल.)

अतिरिक्त सीमा शुल्क कलेक्टर - (1991) 2 एससीसी 443 = 1991 (53) ई.एल.टी. 578 (एस.सी.) और ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली - (2003) 6 एससीसी 161 = 2003 (155) ई.एल.टी. 423 (एस.सी.) में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, उक्त पहलू अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है। जैसा कि ओम प्रकाश भाटिया के मामले (पूर्वोक्त) में पहले दो निर्णयों पर विचार किया गया है, हम उक्त मामले के तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं। उक्त मामले में, अपीलार्थी कपड़ों के निर्यात में लगा हुआ था और उसने निर्यात परेषण का काफी अधिक बिल बनाया था.....

19. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रश्नगत माल अधिनियम की धारा 2(33) के अर्थ में प्रतिषिद्ध माल था। यद्यपि, धारा 125 प्रतिषिद्ध माल पर लागू होती है और प्रतिषिद्ध माल के आयात और निर्यात के मामले में पूर्ण अधिहरण के बजाय मोचन जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।

20. अधिनियम की धारा 125 प्राधिकरणों को मोचन जुर्माना अधिरोपित करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है और व्यक्ति को अधिहरण के बदले में उसी का भुगतान करने का विकल्प देती है। 'कर सकेगा' शब्द के उपयोग से विकल्प/विवेकाधिकार स्पष्ट है। जुर्माने की मात्रा फिर से विवेकाधीन है जैसा कि उप-धारा (1) के अंतिम भाग से स्पष्ट है जो यह अनुबद्ध करता है कि ऐसा जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है जिसे उक्त अधिकारी उचित समझता है। उप-धारा (1) के परंतुक में यह अनुबद्ध है कि यह अधिहत किए गए माल के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा, जिसमें से उस पर लगने वाला शुल्क घटा दिया जाएगा। उप-धारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क मोचन जुर्माने से अतिरिक्त है।"

21. **मोहम्मद फाजिल बनाम डीसीसी (एसीसी)⁴³** के मामले में निर्णय के लिए भी संदर्भ आमंत्रित किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

“वैधानिक प्रावधान के सादे पठन से यह स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, माल के स्वामी या उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से माल का अभिग्रहण किया गया है, अधिहरण के बदले में अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले जुर्माने का भुगतान करने का विकल्प देने का अधिकार है। यद्यपि, माल के मामले में विकल्प का ऐसा प्रयोग अनिवार्य नहीं है, जिसका आयात अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है। यदि ऐसा कोई प्रतिषेध नहीं है, तो विकल्प का प्रयोग अनिवार्य है।

11. इसलिए, विचार हेतु एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या यात्री सामान नियम, 2016 का उल्लंघन और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 द्वारा अधिरोपित प्रतिषेध का उल्लंघन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रतिषेध के समान है। यह सत्य है कि विभिन्न प्राधिकरणों ने मोचन जुर्माने के भुगतान पर अधिहत माल की निर्मुक्ति को अनुज्ञात करने के लिए विवेक का प्रयोग किया था। परंतु विवेक का ऐसा प्रयोग अनिवार्य नहीं है यदि आयात अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है। ऐसे मामलों में भी विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राधिकरण किस प्रकार से लेन-देन को अनुमोदित करता है। विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 7 स्पष्ट रूप से उपदर्शित करती है कि कोई भी व्यक्ति महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा उस ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्या के अंतर्गत और निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात नहीं करेगा। नियम यह भी स्पष्ट रूप से विहित करते हैं कि प्रवेश पत्र तैयार करके आयात या निर्यात कैसे किया जाना है।”

⁴³ 2017 (349) ईएलटी 75 (केईआर.)

22. अंत में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उद्धृत मामलों में कुछ टिप्पणियों का उल्लेख किया, जैसे **शेख मोहम्मद उमर बनाम सीमा शुल्क (पूर्वोक्त)**, **ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (पूर्वोक्त)**, **गर्ग वूलन मिल्स बनाम सीमा शुल्क (पूर्वोक्त)** और **भारत संघ बनाम राज ग्रो इम्पेक्स (पूर्वोक्त)**, और इस प्रकार के निर्णय को अलग करते हुए दृढ़ता से आग्रह किया गया था कि सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत यात्री सामान नियमों से अधिक सोने का आयात प्रतिषिद्ध नहीं था परंतु केवल निर्बंधित था; और इसे कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन भारत में लाया या आयात किया जा सकता है, और इस प्रकार, यह आग्रह किया गया कि अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास शास्ति के भुगतान पर 'विषयगत माल' को निर्मुक्त करने/मोचन के विकल्प का प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तथा शास्ति के साथ सम्पूर्ण माल को अधिहृत करने की शक्ति का प्रयोग मनमाना, कठोर है तथा यह संवैधानिक रूप से अनुज्ञात नहीं है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तर्क

23. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड⁴⁴ की वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता सुश्री सोनू भटनागर ने प्रस्तुत किया कि भले ही सोने के आयात पर प्रतिषेध लगाने वाली अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कोई अधिसूचना न दी गई हो, फिर भी सोने का आयात विभिन्न अनिवार्य शर्तों और कड़े निर्बंधनों के अधीन है और ऐसी विधिक आवश्यकताओं का उल्लंघन सोने के आयात को 'प्रतिषिद्ध

⁴⁴ सीबीआईसी

माल' के रूप में प्रस्तुत करेगा। डीजीएफटी, आरबीआई और सीमा शुल्क द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं हेतु संदर्भ आकृष्ट किया गया था, जिन पर हम इस निर्णय में बाद में चर्चा करेंगे। संक्षेप में, इस बात पर जोर दिया गया कि यद्यपि ऐसी अधिसूचनाओं में, सोना अपने सभी रूपों या प्रकारों में 'मुक्त' के रूप में टैरिफ वस्तु/शीर्ष के अंतर्गत आता है, तथापि विभिन्न आरबीआई/सीमा शुल्क/डीजीएफटी विनियमों के अधीन है, और यह इंगित किया गया कि सोने के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति केवल नामित एजेंसियों(अभिकरणों) और बैंकों के माध्यम से दी गई है, और ऐसी रियायत कभी भी व्यक्तिगत यात्रियों को सीमा शुल्क पर आगमन पर घोषणा प्रस्तुत किए बिना भारत में सोना लाने के लिए नहीं दी गई है। हमारा ध्यान **सीमा शुल्क सामान घोषणा विनियम, 2013** तथा **सामान नियम, 2016** के संबंध में अधिनियम की धारा 79 और 81 की ओर भी आकृष्ट किया गया और यह आग्रह किया गया कि *वास्तविक* सामान में आभूषणों के अलावा किसी भी रूप में सोना नहीं रखा जा सकता है और वह भी विहित सीमा के भीतर। इस पर भी दृढ़तापूर्वक आग्रह किया गया कि जो माल सीमा शुल्क अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी भी प्रतिषेध के विपरीत आयात किया जाता है, उसे भी अधिनियम की धारा 2(33) के दायरे और परिधि में 'प्रतिषिद्ध माल' माना जाएगा और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 111 (घ) के अनुसार पूर्ण अधिहरण हेतु उत्तरदायी होगा। इस बात पर दृढ़तापूर्वक संयाचना की गई कि अधिनियम की धारा 125 के विवेकाधीन भाग को लागू करने के उद्देश्य से, पूर्ण या स्वतः प्रतिषेध ही

एकमात्र मानदंड नहीं है और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के विपरीत या शर्तों या निर्बंधनों के उल्लंघन में अवैध आयात से उत्पन्न होने वाला प्रतिषेध पर्याप्त होगा। सीमाशुल्क आयुक्त (प्रीव) बनाम एम. अंबालाल एंड कंपनी⁴⁵ के अलावा **शेख मोहम्मद उमर बनाम सीमाशुल्क कलेक्टर (पूर्वोक्त); ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमाशुल्क आयुक्त (पूर्वोक्त); गर्ग वूलन मिल्स बनाम सीमाशुल्क (पूर्वोक्त) और भारत संघ बनाम राज ग्रो इम्पेक्स (पूर्वोक्त)** और अंत में **अब्दुल रजक बनाम यूओआई⁴⁶** के मामले में लिए गए निर्णय के संदर्भ को आकृष्ट किया गया है।

24. प्रत्यर्थी/सीमा शुल्क हेतु वरिष्ठ विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार ने हर प्रकार से सुश्री भटनागर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों को दोहराया और इसके अतिरिक्त **सीमा शुल्क आयुक्त (एआईआर) बनाम सम्यनाथन मुरुगेसन एवं सीईएसटीएटी⁴⁷** के मामले में दिए गए निर्णय को संदर्भित किया, जिसमें अधिनियम की धारा 125 के प्रख्यापन के पीछे विधायी आशय के विषय में प्रासंगिक पैराग्राफों का उल्लेख किया गया। इस संबंध में, यह दृढ़तापूर्वक आग्रह किया गया कि सोने की तस्करी अपने आप में एक प्रतिषिद्ध कार्य है और अधिनियम की धारा 2 (25) 11, 111 और 112 का संयुक्त पठन 'तस्करी' को प्रतिषिद्ध करने में विधानमंडल की मंशा को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करेगा, जिसका देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव

⁴⁵ (2011) 2 एससीसी 74

⁴⁶ 2012 (275)ईएलटी 300 (केईआर.)

⁴⁷ 2009 (4) टीएमआई 77 – मद्रास उच्च न्यायालय

पड़ता है, और इस प्रकार, माल की तस्करी के मामले में अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत विवेकाधीन भाग आकृष्ट नहीं होता है।

25. यह बताना पर्याप्त है कि रि.या.(सि.) 13131/2022 में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय अमृतांशु ने भी अभिवचन पेश करते हुए इन्हीं तर्कों की संयाचना की थी कि अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत तस्करी के रूप में सोने का आयात प्रतिषिद्ध है।

निर्णय

26. हमने न्यायपीठ में प्रतिद्वंद्वी पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण तथा विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्तुतियों पर गहन विचार किया है। हमने अभिलिखित की गई बड़ी मात्रा में लिखित प्रस्तुतियों तथा न्यायपीठ में उद्धृत किए गए निर्णयज विधि के भारी बोझ का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

विश्लेषण और कारण

27. रिट याचिकाओं के उपरोक्त समूह और संबोधित विधिक प्रस्तुतियों से उत्पन्न व्यापक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय

ने पक्षकारगण की ओर से उठने वाले प्रमुख प्रश्नों से अवगत कराया था और वे निम्नलिखित हैं: -

- I. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ('अधिनियम') की धारा 2 (33) के अंतर्गत 'प्रतिषिद्ध माल' के दायरे के संबंध में
 - i. क्या अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध माल की परिभाषा में वे माल शामिल हैं जो शर्तों के अधीन हैं?
 - ii. किस श्रेणी का माल गैर-प्रतिषिद्ध होगा परंतु फिर भी अधिहृत किया जा सकता है?
- II. क्या सोना एक प्रतिषिद्ध वस्तु है?
- III. अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत मोचन का दायरा क्या है?

28. उपरोक्त मुद्दों का उत्तर देने के लिए, हमें समग्र रूप से अधिनियम की समग्र योजना का परीक्षण करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 सीमा शुल्क से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। अधिनियम के प्रख्यापन के उद्देश्य और कारणों के कथन के अनुसार, यह पिछले सीमा शुल्क विधानों अर्थात् समुद्री सीमा शुल्क और भूमि सीमा शुल्क अधिनियम की कमी को भरने का प्रयास करता है। निस्संदेह, अधिनियम का उद्देश्य भारत के तटों से या भारत में भूमि, वायु या समुद्र के माध्यम से माल के आयात और निर्यात को विनियमित करना है, और इसके अलावा माल के आयात और निर्यात पर देय सीमा शुल्क निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत तंत्र का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में "शुल्क्य माल", "शुल्क", "आयात", "आयातित वस्तु", "आयातकर्ता" और "तस्करी" को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है:

“2.(14) "शुल्क्य माल" से कोई भी माल अभिप्रेत है जो शुल्क हेतु प्रभार्य है और जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है;

(15) "शुल्क" से सीमा शुल्क और इस अधिनियम के अंतर्गत देय शुल्क अभिप्रेत है;

(23) 'आयात', अपनी व्याकरणिक विविधताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ, भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाने का अर्थ है;

(25) ' आयातित माल का अर्थ है भारत के बाहर से भारत में लाया गया कोई भी माल, परंतु इसमें वे माल शामिल नहीं हैं जिन्हें घरेलू उपभोग के लिए निकासी दी गई है;

(26) 'आयातकर्ता', किसी भी माल के संबंध में उसके आयात और घरेलू उपभोग हेतु निकासी के समय के बीच किसी भी समय, कोई भी स्वामी या कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को आयातकर्ता मानता है, शामिल है;

29. अधिनियम के अध्याय V में सीमा शुल्क उद्गृहित करने और उससे छूट के अलावा भुगतान किए गए शुल्क के प्रतिदाय, उस पर ब्याज सहित, तथा दावों पर कार्रवाई करने की सीमा अवधि का प्रावधान है। अधिनियम के अध्याय V में धारा 28 (ग) (घ) को शामिल किया गया है, जो प्रतिदाय के प्रयोजन हेतु माल आदि की कीमत में शुल्क की राशि का प्रावधान करता है; जबकि अध्याय Vकक में व्यापार समझौते के अंतर्गत मूल नियमों के प्रशासन का प्रावधान है। अधिनियम के अध्याय Vख में धारा 28इ अग्रिम निर्णयों का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि आवेदक द्वारा आयात या निर्यात से पूर्व माल के संबंध में अपने आवेदन में धारा 28ज में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न पर एक लिखित निर्णय

और अपील की प्रकृति में एक विस्तृत तंत्र और उसके संबंध में अपील प्राधिकरण की शक्तियां। अधिनियम के अध्याय VI में वाहन अर्थात् आयातित एवं निर्यातित माल के परिवहन से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधिनियम की धारा 47 **मानव उपभोग के लिए माल की निकासी को सक्षम बनाती है, बशर्ते कि वे प्रतिषिद्ध माल न हों और आयातकर्ता ने उस पर निर्धारित आयात शुल्क**, यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया हो। अधिनियम के अध्याय VII में इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता और इलेक्ट्रॉनिक शुल्क क्रेडिट खाता के माध्यम से भुगतान का प्रावधान है। अध्याय VIII अभिवहन में माल हेतु शुल्क अधिरोपित करने को विनियमित करता है जबकि अध्याय IX आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल के भांडागारण(वेयरहाउसिंग) और उसके बाद निकासी के संबंध में प्रावधान प्रदान करता है। अध्याय X में शुल्क वापसी का दावा करने तथा उसका निर्धारण करने के लिए तंत्र का प्रावधान है। अध्याय XI में सामान, डाक, कूरियर और स्टोर द्वारा आयातित या निर्यातित माल के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, तथा शुल्क सहित या बिना शुल्क के आयातित माल की निकासी के प्रयोजनार्थ स्वामी द्वारा उचित अधिकारी के समक्ष अपेक्षित घोषणाएं करने का भी प्रावधान किया गया है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि इस निर्णय के उत्तरार्द्ध में हम अधिनियम⁴⁸ की धारा 79 एवं धारा 81 के अंतर्गत

⁴⁸ 81. सामान के संबंध में विनियम.-बोर्ड निम्नलिखित विनियम बना सकता है,-
(क) किसी भी सामान की सामग्री की घोषणा करने के तरीके के बारे में प्रावधान;

बनाए गए सामान नियमों पर गहनता से विचार करेंगे। अध्याय XIII में तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी के लिए शक्तियों और तंत्र का प्रावधान है। अध्याय XIV में आयात और निर्यात के संबंध में माल और वाहनों के अधिहरण और शास्ति अधिरोपित करने के प्रावधान हैं और इस निर्णय में हम अधिनियम की धारा 111, 113, 123, 124 और 125 के दायरे और परिधि पर विचार करेंगे जो तत्काल मामलों में उत्पन्न होते हैं।

30. अधिनियम के प्रावधानों पर इस प्रकार की *विहंगम दृष्टि* डालने पर, यद्यपि आंशिक रूप से उन प्रासंगिक अध्यायों तक जो वर्तमान मामलों में विचारार्थ आते हैं, कुछ विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है जिन्हें इन मामलों में निर्णय लेने के लिए हमारे ध्यान में रखना चाहिए। अधिनियम की धारा 12 शुल्क लगाने वाली धारा है और शुल्क्य माल वे माल हैं जिनके आयात की अनुमति अधिनियम या किसी अन्य प्रवृत्त विधि द्वारा दी गई है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 'शुल्क' शब्द भारत में आयात या भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले माल पर उद्गृहित किया जाने वाला कर है। इस धारा के अंतर्गत, भारत में आयातित या भारत से निर्यातित सभी मालों पर सीमा शुल्क लागू होता है, जब तक कि सीमा शुल्क अधिनियम या

(ख) सामान की अभिरक्षा, परीक्षण, शुल्क का मूल्यांकन और निकासी का प्रावधान;

(ग) एक सीमा शुल्क स्टेशन से दूसरे तक या भारत के बाहर किसी स्थान तक सामान के अभिवहन या यानांतरण का प्रावधान।

तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि अन्यथा प्रावधान न करे। शुल्क की दर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 द्वारा निर्धारित की जाती है।

31. आयातित माल का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है। अधिनियम की धारा 25 केन्द्र सरकार को पूर्णतः छूट देने वाली या अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्रदान करती है, किसी निर्दिष्ट वर्णन का माल, उस पर सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उद्गृहित किए जाने वाले शुल्क के पूरे या उसके किसी भाग से "आयात" और "आयातित माल" का अर्थ है कि यदि माल भारत में लाया जाता है, अर्थात् बाहर से भारत के क्षेत्र में लाया जाता है, तो माल का आयात होता है और माल आयातित माल बन जाता है तथा उस पर शुल्क लगता है, जब तक कि उसे घरेलू उपभोग के लिए निकासी नहीं दे दी जाती। अधिनियम में 'आयातकर्ता' शब्द को किसी भी माल के आयात और घरेलू उपभोग के लिए उसकी निकासी के बीच किसी भी समय के संबंध में आयातकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें कोई भी स्वामी या कोई भी व्यक्ति शामिल है जो स्वयं को आयातकर्ता मानता है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (33) को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार है:-

(33) "प्रतिषिद्ध माल" से ऐसा कोई भी माल अभिप्रेत है जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी प्रतिषेध के अधीन है, परंतु इसमें ऐसा कोई माल शामिल नहीं है

जिसके संबंध में उन शर्तों का पालन किया गया है जिनके अधीन वस्तुओं के आयात या निर्यात करने का अनुपालन किया गया है;

32. अधिनियम की धारा 2(33) का परिशीलन दर्शाता है कि 'प्रतिषिद्ध माल' को उन मालों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका आयात या निर्यात अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी प्रतिषेध के आधार पर प्रतिषिद्ध है। यद्यपि प्रथम दृष्ट्या इसमें इस आशय का विचलन प्रतीत होता है कि इसमें ऐसा कोई माल शामिल नहीं है जो प्रतिषिद्ध न हो तथा ऐसे माल जिनके संबंध में कुछ शर्तें प्रदान की गई हों, जिनके द्वारा आयात/निर्यात की अनुमति हो, तथापि, *विधिक पाठ* में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है।

33. चूंकि यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तावित है कि केन्द्र सरकार द्वारा सोने के आयात पर प्रतिषेध लगाने के लिए कभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए हमें अधिनियम की धारा 11 का परीक्षण करने की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:-

“11. वस्तुओं के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति-

(1) यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन हेतु ऐसा करना आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के माल के आयात या निर्यात को या तो पूर्णतया या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए (जिन्हें निकासी के पूर्व या पश्चात पूरा किया जाना होगा) जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) भारत की सुरक्षा बनाए रखना;
- (ख) लोक व्यवस्था और शिष्टता या नैतिकता के मानकों को बनाए रखना;
- (ग) तस्करी का निवारण;
- (घ) किसी भी प्रकार के माल की कमी का निवारण;
- (ङ) विदेशी मुद्रा का संरक्षण और भुगतान संतुलन की संरक्षा;
- (च) सोने या चांदी के अनियंत्रित आयात या निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाली क्षति का निवारण;
- (छ) किसी भी कृषि उत्पाद या मत्स्य उत्पाद के अधिशेष का निवारण;
- (ज) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल के वर्गीकरण, श्रेणीकरण या विपणन हेतु मानकों का रखरखाव;
- (झ) किसी भी उद्योग की स्थापना;
- (ञ) किसी भी विवरण के माल के घरेलू उत्पादन की गंभीर क्षति का निवारण;
- (ट) मानव, पशु या पादप जीवन या स्वास्थ्य की संरक्षा;
- (ठ) कलात्मक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक मूल्य की राष्ट्रीय निधियों का संरक्षण;
- (ड) क्षयशील प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण;
- (ढ) पेटेंट, व्यापार चिह्न और प्रतिलिप्याधिकार का संरक्षण;
- (ण) प्रवंचक व्यवहारों का निवारण;
- (त) राज्य द्वारा अथवा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा भारत के नागरिकों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपवर्जित करते हुए किसी माल में विदेशी व्यापार करना;
- (थ) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करना;
- (द) किसी भी देश के साथ किसी भी संधि, समझौतों या सम्मेलन का कार्यान्वयन;
- (ध) भारत में उत्पादित या निर्मित समान माल पर लागू होने वाली किसी भी विधि के साथ आयातित वस्तुओं का अनुपालन;

- (न) ऐसे दस्तावेजों के प्रसारण का निवारण करना, जिनमें कोई ऐसी बात हो, जिससे किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हेतु अनादर सूचक हो;
- (प) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उल्लंघन का निवारण; और
- (फ) सामान्य जनता के हितों के अनुकूल कोई अन्य उद्देश्य।

(3) किसी भी माल या माल के वर्ग के आयात और निर्यात से संबंधित कोई प्रतिषेध या निर्बंधन या दायित्व या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में प्रदान की गई मंजूरी, या कोई नियम या विनियमन या उसके अंतर्गत जारी कोई आदेश या अधिसूचना, उस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल तभी निष्पादित की जाएगी जब इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा प्रतिषेध या निर्बंधन या दायित्व अधिसूचित किया जाता है, जो ऐसे अपवादों, उपांतरणों या अनुकूलन के अधीन होता है जो केंद्र सरकार उचित समझे।

34. अधिनियम की धारा 11 का अर्थपूर्ण परिशीलन यह दर्शाएगा कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा उन वस्तुओं के लिए प्रावधान कर सकती है *जिनका आयात या निर्यात या तो पूर्णतः प्रतिषिद्ध है या ऐसी शर्तों के अधीन है जो सीमा शुल्क से वस्तुओं की निकासी से पूर्व या बाद में पूरी की जा सकती हैं* यह केन्द्र सरकार को उन वस्तुओं को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है जो पूर्णतः ऐसी शर्तों के अधीन हैं, या उनका आयात या निर्यात पूरी की जाने वाली शर्तों के अधीन है। जिन उद्देश्यों के लिए ऐसी अधिसूचनाएं जारी की जा सकती हैं, उनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* तस्करी का निवारण, विदेशी मुद्रा का संरक्षण और भुगतान संतुलन की संरक्षा, *सोने या चांदी के अनियंत्रित आयात से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाली क्षति का निवारण,*

प्रवंचक व्यवहारों का निवारण और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन का निवारण तथा आम जनता के हित में अनुकूल ऐसे अन्य उद्देश्य शामिल हैं। यद्यपि, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि अधिनियम की धारा 11(3) जिसे वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से लाया गया था, अभी लागू होनी बाकी है।

35. चूंकि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दृढ़तापूर्वक यह संयाचना की गई है कि सोने का अवैध आयात तस्करी के समान है, इसलिए अधिनियम की धारा 2 (39) को पुनः उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो "तस्करी" को इस प्रकार परिभाषित करती है:

2(39)- "किसी भी माल के संबंध में तस्करी का अर्थ है कोई ऐसा कृत्य या लोप जो ऐसे माल को धारा 111 या धारा 113 के अंतर्गत अधिहरण हेतु उत्तरदायी बना देगा;

36. पुनः, परिभाषा का सावधानीपूर्वक परिशीलन दर्शाता है कि 'तस्करी' का अर्थ है कोई ऐसा कृत्य या लोप जो किसी माल को अधिनियम की धारा 111 या 113 के अंतर्गत अधिहृत करने योग्य बना दे। अधिनियम के अंतर्गत 'कृत्य' या 'लोप' शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि, ऐसे शब्दों को भारतीय दंड संहिता की धारा 33 के अंतर्गत 'कृत्यों' की एक श्रृंखला या चूकों की श्रृंखला को दर्शाने वाले 'लोप' के रूप में दर्शाया गया है। यह हमें अधिनियम की धारा 111 पर लाता है जो निम्नानुसार है:-

"111. अनुचित रूप से आयातित माल आदि का अधिहरण - भारत के बाहर किसी स्थान से लाए गए निम्नलिखित माल अधिहृत किए जा सकेंगे:-----

- (क) समुद्र या वायु मार्ग से आयातित कोई माल जो ऐसे माल की उतराई के लिए धारा 7 के खंड (क) के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क पतन या सीमाशुल्क हवाई अड्डे के अलावा किसी अन्य स्थान पर उतारा जाता है या उतारने का प्रयास किया जाता है;
- (ख) ऐसे माल के आयात के लिए धारा 7 के खंड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से भूमि या अंतर्देशीय जलमार्ग से आयातित कोई माल;
- (ग) किसी खाड़ी, आखात, संकरी या ज्वारीय नदी में सीमा शुल्क पतन के अलावा किसी अन्य स्थान पर उतारने के उद्देश्य से लाया गया कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल;
- (घ) कोई भी माल जो इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन लगाए गए किसी प्रतिषेध के विपरीत आयात किया गया है या आयात किए जाने का प्रयास किया गया है या आयात किए जाने के प्रयोजन हेतु भारतीय सीमाशुल्क जलक्षेत्र के भीतर लाया गया है;
- (ङ) किसी भी वाहन में किसी भी प्रकार से छुपा हुआ कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल पाया जाना;
- (च) कोई भी शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जिसका आयात घोषणापत्र या आयात रिपोर्ट में विनियमों के अंतर्गत उल्लेख किया जाना अपेक्षित है, परंतु ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है;
- (छ) कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जो धारा 32 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी वाहन से उतारा जाता है, जो माल अनजाने में उतारा गया है किन्तु धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन रखे गए अभिलेख में शामिल है, को छोड़कर;
- (ज) धारा 33 या धारा 34 के प्रावधानों के उल्लंघन में उतारा गया या उतारने का प्रयास किया गया कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल;
- (झ) किसी भी पैकेज में किसी भी प्रकार से छुपा हुआ कोई भी शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल, चाहे उसके उतारने से पहले या बाद में पाया गया हो;

- (ज) किसी भी शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल को उचित अधिकारी की अनुमति के बिना या ऐसी अनुमति की शर्तों के विपरीत सीमा शुल्क क्षेत्र या भांडागार से हटाया जाना या हटाने का प्रयास किया जाना है;
- (ट) भूमि मार्ग से आयातित कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जिसके संबंध में धारा 109 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले माल की निकासी की अनुमति देने वाला आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है या जो उसमें निहित विनिर्देश के साथ किसी भी भौतिक विवरण में मेल नहीं खाता है;
- (ठ) कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित माल से अधिक है, या सामान के मामले में धारा 77 के अधीन की गई घोषणा में सम्मिलित है;
- (ड) 1[कोई माल जो मूल्य या किसी अन्य विशिष्टि के संबंध में] इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि से या सामान की दशा में धारा 77 के अधीन की गई घोषणा से मेल नहीं खाता 2[उसके संबंध में या यानांतरण के अधीन माल की दशा में धारा 54 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट यानांतरण के लिए घोषणा से मेल नहीं खाता];
- (ढ) अध्याय VIII के प्रावधानों के उल्लंघन में यानांतरण के साथ या उसके बिना अभिवहन किया गया या अभिवहन करने का प्रयास किया गया कोई भी शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल;
- (ण) इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी शर्त के अधीन, उसके आयात के संबंध में शुल्क या किसी प्रतिषेध से छूट प्राप्त कोई माल, जिसके संबंध में शर्त का पालन तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि शर्त का पालन न करने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा मंजूरी न दे दी गई हो;
- 3[(त) कोई भी अधिसूचित माल जिसके संबंध में अध्याय 4क के किसी प्रावधान या इस अधिनियम के अधीन उस अध्याय के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया गया है।]

ध्यान दें: अधिनियम की धारा 113 को हटा दिया गया है क्योंकि यह माल के निर्यात के मामले में लागू है और वर्तमान मामले में निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है।

37. अधिनियम की धारा 2 (39) को अधिनियम की धारा 111 के उप-खंड (ड) (च) (झ) (ज) और (ड) के साथ पढ़ने पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किसी भी 'शुल्क्य' या 'प्रतिषिद्ध' माल का आयात, जिसे आयात करते समय सीमा शुल्क पर घोषित नहीं किया जाता है, तस्करी के समान का कृत्य या लोप होगा और इसलिए माल को अधिहृत कर लिया जाएगा। इस बात पर काफी संयाचना की जा चुकी है कि क्या माल की 'तस्करी' को "प्रतिषिद्ध" माल की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है या नहीं, और इसके अलावा इसका अधिहरण और निर्मुक्ति/मोचन विभाजनीय कार्यवाही हैं, हम अधिनियम की धारा 125 की व्याख्या के महत्वपूर्ण मुद्दे पर पहुंचते हैं, जो निम्नलिखित प्रावधान करती है:

“125. अधिहरण के बदले में जुर्माने का भुगतान करने का विकल्प—

(1) जब कभी किसी माल का अधिहरण इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, तब उसका न्यायनिर्णीत अधिकारी, किसी ऐसे माल की दशा में, जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है, और किसी अन्य माल की दशा में, माल के स्वामी को 1[या जहां ऐसा स्वामी ज्ञात नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके कब्जे या अभिरक्षा से ऐसा माल अभिगृहीत किया गया है,] अधिहरण के बदले में ऐसा जुर्माना देने का विकल्प देगा, जैसा उक्त अधिकारी उचित समझे:

परंतु धारा 115 की उपधारा (2) के परंतुक के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा जुर्माना, अधिहृत किए गए माल के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा, तथा आयातित माल के मामले में उस पर प्रभार्य शुल्क को घटाकर, वह जुर्माना वसूल किया जाएगा।

[(2) जहां उपधारा (1) के अधीन माल के अधिहरण के बदले में कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, वहां ऐसे माल का स्वामी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, इसके अतिरिक्त, ऐसे माल से संबंधित देय किसी शुल्क और प्रभारों के लिए भी उत्तरदायी होगा।]

38. तर्कों के दौरान याचीगण की ओर से इस बात पर आग्रह किया गया कि यदि माल का आयात या निर्यात इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी अधिहरण के बदले में ऐसे जुर्माने के भुगतान को *अनुज्ञात या उसका विकल्प दे सकेगा*, जैसा वह उचित समझे; जबकि किसी अन्य गैर-प्रतिषिद्ध माल के मामले में, माल के स्वामी को या जहां स्वामी ज्ञात नहीं है, उस व्यक्ति को, जिससे ऐसे माल का कब्जा या अभिरक्षा का अभिग्रहण किया गया है, अधिहरण के बदले जुर्माना या शास्ति का भुगतान करने का विकल्प अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

39. आरम्भ में, केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसमें सोने के आयात को "प्रतिषिद्ध" माल की श्रेणी में घोषित किया गया हो, जैसे कि स्वापक पदार्थ, बख्तरबंद गाड़ियां, शस्त्र और गोला-बारूद, संकटापन्न प्रजातियां, पशुधन आदि। यद्यपि, सिर्फ यही इस मुद्दे का समाधान नहीं है। जैसा कि तत्काल रिट याचिकाएँ व्यक्तिगत यात्रियों से संबंधित हैं जो सोना लाते हुए पाए गए थे, इसलिए अधिनियम की पूरी योजना का परीक्षण करना समीचीन है जिससे न केवल विधायी मंशा का परंतु इसका भी

अभिनिश्चय किया जा सके कि अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध और/या तस्करी किए गए मालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

40. यह बताना प्रासंगिक होगा कि अधिनियम के अध्याय-XI के अंतर्गत आयातित या निर्यातित सामान, माल के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 77⁴⁹ में स्पष्ट रूप से अनुबद्ध किया गया है कि किसी भी सामान के स्वामी को उचित अधिकारी के समक्ष सामान की सामग्री की घोषणा करनी होगी, जिसके बाद शुल्क की दर निर्धारित की जा सकेगी। अधिनियम की धारा 79⁵⁰ में ऐसे नियम दिए गए हैं जिनके अंतर्गत किसी भी यात्री के सामान को शुल्क या टैरिफ से छूट-प्राप्त की जा सकती है।

⁴⁹ 77. सामान के स्वामी द्वारा घोषणा.- किसी भी सामान का स्वामी उसकी निकासी के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी के समक्ष उसकी सामग्री की घोषणा करेगा।

⁵⁰ 79. वास्तविक सामान को शुल्क से छूट.--(1) समुचित अधिकारी, उपधारा (2) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, शुल्क से मुक्त होकर गुजर सकेगा-

(क) किसी यात्री या कर्मिंदल के सदस्य के सामान में कोई वस्तु जिसके संबंध में उक्त अधिकारी को विश्वास हो कि वह उसके उपयोग में ऐसी न्यूनतम अवधि से है, जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) किसी यात्री के सामान में कोई वस्तु जिसके संबंध में उक्त अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह यात्री या उसके परिवार के उपयोग के लिए है या वह वास्तविक उपहार या स्मृति चिन्ह है; परंतु ऐसी प्रत्येक वस्तु का मूल्य और ऐसी सभी वस्तुओं का कुल मूल्य नियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं है।

(2) केंद्र सरकार इस धारा के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु नियम बना सकेगी और विशिष्टतया ऐसे नियमों में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा-

(क) वह न्यूनतम अवधि जिसके लिए किसी वस्तु का उपयोग उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोजन हेतु किसी यात्री या कर्मिंदल के सदस्य द्वारा किया गया है;

(ख) किसी भी व्यक्तिगत वस्तु का अधिकतम मूल्य और उन सभी वस्तुओं का अधिकतम कुल मूल्य, जिन्हें उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन शुल्क मुक्त पारित किया जा सकेगा;

(ग) वे शर्तें (जिन्हें निकासी से पहले या बाद में पूरा किया जाना है) जिनके अधीन किसी भी सामान को शुल्क मुक्त पारित किया जा सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बनाए जा सकेंगे।

41. तत्काल मामलों में निर्णय के प्रयोजन हेतु यह बताना पर्याप्त है कि अधिनियम की धारा 81 (क) के आधार पर, **केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड**⁵¹ ने यात्री सामान नियम, 1998 (आज तक संशोधित) विरचित किया था, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में विदेश से आने वाले किसी भी व्यक्तिगत यात्री को, यदि वह अपने साथ कुल मूल्य के आभूषण, जैसे कि पुरुष, 10,000/- रुपये तक तथा महिला यात्री, 20,000/- रुपये तक ले जाए, तो उसे सीमा शुल्क के उद्ग्रहण से मुक्त रखा गया था। यद्यपि, बाद में दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना 12/2012-सीमाशुल्क में सरकार ने शर्तों का शिथिलीकरण किया, जिससे 'पात्र यात्री' 10 किलोग्राम से अधिक सोना नहीं ले जा सकेंगे, बशर्ते भारत आगमन के समय सीमा शुल्क पर उचित अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में घोषणा दायर की जाए, परंतु सीमा शुल्क अधिकारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना निर्दिष्ट किया गया:

- (i) सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी सामान रसीद में सोने की छड़ों पर अंकित क्रम संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
- (ii) आभूषणों सहित किसी अन्य रूप में सोने के मामले में, पात्र यात्री से आयात किए जा रहे आभूषणों की मदवार सूची घोषित करने के लिए कहा जाना चाहिए। यह सूची, पात्र यात्री और निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित होनी चाहिए, तथा इसे सामान रसीद के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- (iii) जहां भी संभव हो, फील्ड अधिकारी, *अन्य बातों के साथ-साथ*, ऐसे यात्रियों के पूर्ववृत्त, सोने के लिए धन के स्रोत के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने वाले शुल्क, टिकटों की बुकिंग के लिए

⁵¹ सीबीईसी

जिम्मेदार व्यक्ति आदि का अभिनिश्चय कर सकता है, जिससे अनैतिक तत्वों द्वारा सुविधा के दुरुपयोग की संभावना को रोका जा सके, जो ऐसे पात्र यात्रियों को उनके लिए सोना ले जाने के लिए किराए पर ले सकते हैं।

42. इसके बाद सीबीईसी ने दिनांक 10 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना के अंतर्गत सीमा शुल्क सामान घोषणा विनियम, 2013 जारी किया, जिसके द्वारा सीमा शुल्क मुक्त भत्ता ऐसे व्यक्तिगत यात्री पर लागू किया गया, जो एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहा है और अपने साथ सोने के आभूषण लेकर आ रहा है: पुरुष के लिए 50,000 रुपये तक और महिला के लिए 1,00,000 रुपये तक।

43. इसके अतिरिक्त अधिसूचना सं. 520/2004/2014-सीमाशुल्क VI दिनांक 06 मार्च 2014 को जारी की गई, जिसके अंतर्गत 'पात्र यात्रियों' को 10% सीमाशुल्क के भुगतान पर सोने की छड़ों और आभूषणों के रूप में सोने के आयात को अनुज्ञात किया गया, परंतु कि 'पात्र यात्री' भारतीय मूल का हो या उसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट हो और वह कम से कम छह महीने की अवधि तक विदेश में रहने के बाद भारत आ रहा हो।

44. इसी प्रकार, दिनांक 01 मार्च 2016 से संशोधित सामान नियम, 2016 में भी भारतीय मूल के या भारतीय पासपोर्ट रखने वाले 'पात्र यात्रियों' को कुछ शर्तों के अधीन आभूषणों के अलावा किसी भी रूप में सोना लाने के लिए कुछ छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना सं. 31/2016-सीमा शुल्क (एन.टी.) के अनुसार, एक

वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे भारतीय यात्रियों को, पुरुषों के मामले में 50,000/- रुपये तक मूल्य की सीमा के साथ 20 ग्राम तक सोने के आभूषण लाने पर तथा महिलाओं के मामले में 1,00,000/- रुपये तक मूल्य की सीमा के साथ 40 ग्राम तक सोने के आभूषण लाने पर सीमा शुल्क मुक्त भते को अनुज्ञात किया गया।

45. तत्काल मामलों पर प्रतिवर्तित होते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तत्काल मामलों में कोई भी याचीगण 'पात्र यात्री' नहीं थे, न ही किसी ने विहित प्रोफार्मा के अनुसार अपेक्षित घोषणा दायर की थी और उनमें से प्रत्येक ने सीमा शुल्क के भुगतान से बचने के लिए 'सीमा शुल्क ग्रीन चैनल' से गुजरने का प्रयास किया था। चूंकि विधिक स्थिति व्यापक तथ्यात्मक स्थिति है, इसलिए इस मोड़ पर हमें अधिनियम की धारा 2(33), 11 और 125 में और गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे यह परीक्षण किया जा सके कि अन्य अधिनियमों में सोने के आयात से कैसे निपटा जाता है, और इस प्रकार एफटीडीएंडआर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान की ओर एक संक्षिप्त भ्रमण किया जा सके।

एफटीडीआर अधिनियम

46. एफटीडीआर अधिनियम की धारा 2 (ड) 'आयात' और 'निर्यात' को परिभाषित करती है - "माल के संबंध में अर्थ, भूमि, समुद्र या वायु द्वारा किसी भी माल को भारत में लाना या भारत से बाहर ले जाना"। अध्याय-II

केन्द्र सरकार को आदेश जारी करने और विदेशी व्यापार नीति की घोषणा करने में सक्षम बनाता है और इसका प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

“3. आयात और निर्यात से संबंधित प्रावधान करने की शक्तियाँ-(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, आयात को सुविधाजनक बनाकर और निर्यात को बढ़ाकर विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन के लिए प्रावधान कर सकती है।

(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, सभी मामलों में या मामलों के विनिर्दिष्ट वर्गों में और ऐसे अपवादों के अधीन, यदि कोई हो, जो आदेश द्वारा या उसके अधीन किए जा सकते हैं, [माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का आयात या निर्यात] को प्रतिषिद्ध करने, निर्बंधित करने या अन्यथा विनियमित करने का प्रावधान कर सकती है:

[परंतु कि इस उपधारा के प्रावधान सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के मामले में तभी लागू होंगे, जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहा हो या विनिर्दिष्ट सेवाओं या विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के साथ काम कर रहा हो।]

(3) वे सभी माल, जिन पर उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश लागू होता है, वे माल माने जाएंगे जिनका आयात या निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है और उस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।

[[4) किसी अन्य विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी माल के आयात या निर्यात हेतु कोई परमिट या लाइसेंस(अनुज्ञप्ति) आवश्यक नहीं होगा, और न ही किसी भी माल को आयात या निर्यात हेतु प्रतिषिद्ध किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस अधिनियम, या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या आदेशों के अंतर्गत अपेक्षित हो।]

1. **विद्यमान आदेशों की निरंतरता-** आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के अधीन बनाए गए और इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त सभी आदेश, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों

से असंगत नहीं हैं, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे।

2. **विदेशी व्यापार नीति** - केंद्र सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विदेशी व्यापार नीति बनाना और घोषित कर सकती है तथा उसी प्रकार उस नीति में संशोधन भी कर सकती है:

परंतु कि केंद्र सरकार यह निदेश दे सकेगी कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में विदेशी व्यापार नीति, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी पर लागू होगी, जैसा कि वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।]

47. इस प्रकार, एफ़टीडीआर अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को आयात को सुविधाजनक बनाने और निर्यात को बढ़ाने के ज़रिए विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन हेतु प्रावधान करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है। केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, सभी मामलों में या मामलों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों में और उचित अपवाद के अधीन, माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात हेतु किसी भी आदेश को प्रतिषिद्ध करने, निर्बंधित करने या अन्यथा विनियमित करने हेतु प्रावधान कर सकती है। एफ़टीडीआर अधिनियम की धारा 3(3) में अनुबद्ध है कि अधिनियम के अंतर्गत किया गया प्रतिषेध का कोई भी आदेश, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा। धारा 3 की उपधारा (4) एक सर्वोपरि खंड से शुरू होती है, जिससे एफ़टीडीआर अधिनियम के अंतर्गत आयात या निर्यात हेतु प्रावधान लागू हो जाते हैं, भले ही किसी अन्य विधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश में कुछ भी शामिल हो।

एफटीडीआर अधिनियम की धारा 18-क में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान अन्य विधियों के अतिरिक्त हैं, न कि उनका उल्लंघन करते हैं। यह उल्लेख करना भी उचित है कि विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के नियम 17(2) के साथ धारा 11(8) और (9) में अधिनियम, नियमों या आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में माल को अधिहत करने का प्रावधान है, किंतु माल के बाजार मूल्य के समतुल्य मोचन शुल्क का भुगतान करने पर उसे निर्मुक्त किया जा सकता है। **यद्यपि, यह प्रश्न फिर उठता है कि क्या ऐसा शिथिलीकरण तस्करी के रूप में सोने के आयात पर भी लागू होगा?**

सरकारी विभागों द्वारा अधिसूचनाएं और परिपत्र

48. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आइए अब भारत में सोने के आयात को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं/परिपत्रों पर दृष्टि डालें। सबसे पहले, समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं और परिपत्रों का उद्धरण लेना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

- (i) एफटीडीआर अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जारी दिनांक 28.01.2004 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 29/(आरई-2004)/2002-2007 के साथ पठित पैरा 2.1 निर्यात एवं आयात नीति, 2002-2007 द्वारा सोने सहित कुछ मालों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में संशोधन किया गया। इस अधिसूचना के अनुसार, टैरिफ वस्तु शीर्ष 7108 और 7118 के अंतर्गत आने वाला सोना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, "मुक्त " है, परंतु 'आरबीआई विनियमों के अधीन' है।

(ii) दिनांक 16.04.2004 की डीजीएफटी नीति परिपत्र सं. 32/(आरई-2004)/2002/2007 द्वारा अधिसूचित की गई कि सोने का आयात दिनांक 28.01.2004 के अधिसूचना सं. 29 अनुसार आरबीआई विनियमों के अधीन मुक्त कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि नामित एजेंसियों(अभिकरणों) और 15 नामित बैंकों के माध्यम से शुल्क मुक्त आयात की नीति, जिसका विवरण एक्विजम नीति और प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय-4 में दिया गया है, जारी रहेगी। उक्त परिपत्र में आगे उल्लेख किया गया था कि चूंकि सोने और चांदी का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है तथा ये विदेशी मुद्रा के प्रतिनिधि हैं, अतः आरबीआई समय-समय पर आयात-निर्यात नीति के अनुसार सोने के आयात को विनियमित कर सकता है।

(iii). दिनांक 19.08.2011 की डीजीएफटी नीति परिपत्र सं. 39 द्वारा नामित एजेंसियों द्वारा बहुमूल्य धातुओं के आयात हेतु समेकित दिशानिर्देश निश्चित किए गए। इसके अलावा, उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से अनुबद्ध है कि बहुमूल्य धातु के आयात के लिए नीति और प्रक्रिया विदेशी व्यापार नीति (इसके बाद एफटीपी के रूप में संदर्भित) और प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(iv) दिनांक 30 नवंबर, 2018 की डीजीएफटी अधिसूचना सं.45/2015-2020 द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अंतर्गत एचएस कोड 7108 12 00 के अंतर्गत वस्तुओं की आयात नीति में संशोधन किया गया, एफटी (डीएंडआर) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के साथ पठित विदेशी व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर संशोधित, एतद्वारा केंद्र सरकार आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची-1 (आयात नीति) के अंतर्गत एचएस कोड 7108 12 00 के अंतर्गत वस्तुओं की आयात नीति में संशोधन करती है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ सोने के डोर के आयात को अनुज्ञात किया जा सके, जिसके अंश निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं:

एक्सिम कोड	वस्तु विवरण	नीति	नीति शर्तें	पुनरीक्षित नीति शर्त
7108 12 00	अन्य अव्यवस्थित रूप	मुक्त	आरबीआइ विनियमनों के अधीन।	आरबीआइ विनियमनों के अधीन यद्यपि, गोल्ड डोर की आयात नीति "प्रतिषिद्ध" है

(v) दिनांक: दिसंबर, 2019 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 36/2015-2020 एफटी (डी एंड आर) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 71 के साथ पठित समय-समय पर संशोधित विदेशी व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के अंतर्गत सोने और चांदी की आयात नीति की शर्तों में संशोधन लाई, जिससे किसी भी रूप में मौद्रिक सोने और चांदी के अलावा सोने के आयात के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान की गई हैं, आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 71 के अनुसार नीति को "मुक्त" से "प्रतिषिद्ध" तक संशोधित किया गया है, जो शर्तें निम्नानुसार हैं:

एक्सिम कोड	वस्तु विवरण	वर्तमान नीति	संशोधित नीति	विद्यमान नीति शर्त	पुनरीक्षित नीति शर्त
71061000	पाउडर	मुक्त	प्रतिषिद्ध	आरबीआइ विनियमनों के अधीन	आयात केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/ अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।
71069100	अप्रचलित	मुक्त	प्रतिषिद्ध	आरबीआइ विनियमनों के अधीन	आयात केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य

					एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है। सिल्वर डोर को एयू शर्त वाली अनुज्ञप्ति के आधार पर रिफाइनरियों(परिष्कर्णियों) द्वारा आयात किया जा सकता है
71081100	पाउडर	मुक्त	प्रतिषिद्ध	आरबीआई विनियमनों के अधीन	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।

(vi) दिनांक: 5 जनवरी की 2022 डीजीएफटी अधिसूचना सं. 49/2015-2020, समय-समय पर संशोधित विदेशी व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित एफटी (डीएंडआर) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईटीसी (एचएस), 2017 की अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत सोने की आयात नीति शर्तों में संशोधन लेकर आई। आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित योग्य जौहरियों को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से

विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत सोना आयात करने की अनुमति दी गई थी। संबंधित शर्तें इस प्रकार हैं:

आईटीसी (एचएस) कोड	वस्तु वर्णन	नीति	विद्यमान नीति	पुनरीक्षित नीति शर्त
71061000	पाउडर	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित जेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।	विद्यमान नीति की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं
71069190	अपरिष्कृत अनाज	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।	विद्यमान नीति की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं
71069100	अपरिष्कृत अनाज		सिल्वर डोर को एयू शर्त वाली अनुज्ञप्ति के आधार पर रिफाइनरियों(परिष्कर्णियों) द्वारा आयात किया जा सकता है।	

71069210	चादरें, प्लेटें, स्ट्रिप्स, ट्यूब और पाइप	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।	विद्यमान नीति की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं
71081100	पाउडर	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।	विद्यमान नीति की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं
71081200	अन्य अपरिष्कृत रूप	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है। गोल्ड डोर सोने के डोर को एयू शर्त वाली अनुज्ञप्ति के आधार पर रिफाइनरियों(परिष्करणियों) द्वारा आयात किया जा सकता है।	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में), डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) और आईएफएससीए (भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से योग्य जौहरियों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है। गोल्ड डोर को एयू शर्त के

				साथ आयात अनुज्ञप्ति के आधार पर रिफाइनरियों(परिष्करणियों) द्वारा आयात किया जा सकता है।
71081300	अन्य अर्ध-निर्मित रूप	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।	विद्यमान नीति की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं
71189000	अन्य	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही निर्बंधित है।	आयात आरबीआई (बैंकों के मामले में), डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों/अभिकरणों के लिए) और आईएफएससीए (भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से योग्य जौहरियों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।

आरबीआई परिपत्र

49. उपरोक्त डीजीएफटी अधिसूचनाओं के सावधानीपूर्वक परिशीलन से ज्ञात होता है कि आयात के लिए सरकार की नीति मोटे तौर पर "निर्बंधित" श्रेणी की रही है और सोने के आयात को अत्यधिक विनियमित किया गया है तथा इसे केवल नामित बैंकों और एजेंसियों/अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया गया है। इसके बाद हम भारत में सोने के आयात को विनियमित करने के लिए समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों का संज्ञान लेते हैं, जिन पर प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण ने निर्भरता व्यक्त की है, जिनके अंश इस प्रकार हैं:

(i). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सीबीईसी द्वारा जारी दिनांक 04.06.2013 के परिपत्र सं. 107 में सोने के आभूषणों के निर्यातकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों के लिए बैंकों द्वारा परेषित परिणाम के आधार पर सोने के आयात को अनुज्ञात किया गया था, साथ ही साथ उन सभी नामित अभिकरणों/प्रीमियर/स्टार ट्रेडिंग हाउसों को भी लाभ दिया गया था जिन्हें भारत सरकार द्वारा सोने के आयात को अनुज्ञात किया गया है। उक्त परिपत्र एफईएमए की धारा 10 (4) के साथ पठित धारा 11 (i) के अंतर्गत जारी किया गया था।

(ii). विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा दिनांक 13 मई 2013 को जारी आरबीआई परिपत्र सं. 103/2012-13/499 में दोहराया गया कि नामित बैंकों/अभिकरणों को ऋण के आधार पर सोने के आयात को अनुज्ञात किया गया है।

(iii). भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1998 को जारी परिपत्र सं. 7 के अंतर्गत कुछ नामित एजेंसियों/अभिकरणों को सोने के आयात को अनुज्ञात किया गया, जैसे एमएमटीसी, एचएचईसी, एसटीसी, एसबीआई और अन्य एजेंसियों/अभिकरणों जिन्हें आभूषण निर्माताओं, निर्यातकर्ताओं, अनिवासी भारतीयों, विशेष आयात अनुज्ञप्ति धारकों और घरेलू उपयोगकर्ताओं को

बेचने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किया गया था। ऋण/क्रेडिट आधार पर सोने के आयात हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश थे, जिनमें ऋण की अवधि, ब्याज दर और मात्रा के अलावा परेषण परिणाम के आधार और एकमुश्त खरीद के आधार का भी प्रावधान था, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 73 (3) के अनुसार जारी किए गए थे।

(iv). एफईएमए की धारा 11 (1) के साथ पठित धारा 10 (4) के अंतर्गत जारी दिनांक 22 जुलाई, 2013 के परिपत्र सं. 15 आरबीआई/2013-14/148 में निर्यात के प्रयोजन हेतु सोने के आयात या विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा निर्यात के प्रयोजन हेतु विशेष रूप से सोने के आयात का प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि नामित बैंक/नामित एजेंसियां/अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि सोने के आयात के प्रत्येक लॉट (सोने के सिक्कों/डोर के आयात सहित किसी भी रूप/शुद्धता में) का कम से कम पांचवां हिस्सा विशेष रूप से निर्यात के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया जाए।

(v). भारतीय रिजर्व बैंक 2013-14/187 द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2013 के परिपत्र सं. 25 में दिनांक 22 जुलाई, 2013 के पूर्व परिपत्र सं. 15 का संदर्भ दिया गया है, तथा इसमें सिक्कों और पदकों के रूप में सोने के आयात पर विशेष रूप से प्रतिषेध लगाया गया है, तथा 20/80 सिद्धांत के अनुसार अन्य कठोर शर्तें, तथा नामित अभिकरणों और बैंकों द्वारा आयात किए जाने वाले सोने की मात्रा निर्धारित की गई है।

(vi). दिनांक 31 दिसंबर, 2013 के परिपत्र सं. 82 आरबीआई/2013-14/423 में पहले के परिपत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसमें रिफाइनरियों(परिष्करणियों) को पहले दो महीनों में अनुज्ञप्ति पात्रता के आधार पर उनकी सकल औसत व्यवहार्य मात्रा के 15% तक सोने का आयात करने को अनुज्ञात किया गया है, जिससे इसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्यातकर्ताओं को उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा, 80% से अधिक सोने को घरेलू स्तर पर बेचने की अनुमति नहीं होगी।

(vii). दिनांक 14 फरवरी, 2014 के परिपत्र सं. 103 आरबीआई/2013/14/493 और दिनांक 21 मई, 2014 के परिपत्र सं. 133

आरबीआई/2013-14/600 से यह भी स्पष्ट है कि 100 किलोग्राम से अधिक सोने के आयात को अनुज्ञात करना केवल नामित एजेंसियों/अभिकरणों और निर्यात प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों द्वारा सीमा शुल्क से जुड़े भांडागारों के माध्यम से ही किया गया था।

(viii). इसके अलावा, दिनांक 18 फरवरी, 2015 को जारी परिपत्र सं. 79 आरबीआई/2014-45/474 के माध्यम से एफईएमए की धारा 10 (4) के साथ पठित धारा 11 (1) के अंतर्गत दिशानिर्देश दिए गए, जिसके अनुसार सोने के सिक्कों और पदकों के आयात पर अब प्रतिषेध नहीं लगाया गया, परंतु सोने के सिक्के और पदक बेचने में बैंकों पर निर्बंधन नहीं हटाया गया।

(ix). विदेशी व्यापार नीति 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ एफटीडीआर अधिनियम की धारा 5 के साथ धारा 3 के अंतर्गत जारी दिनांक 25 मई 2022 का परिपत्र सं. 04 आरबीआई/2022-2023/57, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित योग्य जौहरियों द्वारा सोने के आयात को अनुज्ञात करता है। इसने निवासी योग्य जौहरी द्वारा आईआईबीएक्स, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड या आईएफएससीए और डीजीएफटी द्वारा जारी किसी अन्य विनियमन के माध्यम से सोना आयात करने के लिए विस्तृत तंत्र प्रदान किया।

50. उपरोक्त परिपत्रों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि आरबीआई भी समय-समय पर सोने के आयात को विनियमित करने के लिए कदम उठाता रहा है। वृत्तांत के इस भाग को समाप्त करते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोने के आयात पर सीमा शुल्क की दर को समय-समय पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत उपांतरित किया गया है, और यह स्पष्ट है कि सोने की तस्करी न केवल सोने की वस्तुओं में मूल्य अंतर से लाभ कमाने के

लिए की जाती है, परंतु सीमा शुल्क के भुगतान से बचने के लिए भी की जाती है।

51. बिना किसी विलम्ब के, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि धारा 111 के आधार पर सोने की तस्करी निर्बंधित है, साथ ही एफटीडीआर अधिनियम और आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार भी, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। उपर्युक्त चर्चा से यह प्रबल धारणा उत्पन्न होती है कि भारत में सोने का आयात अत्यधिक विनियमित है तथा सोने की वस्तुओं का थोक आयात केवल नामित बैंकों, अभिकरणों या व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा विभिन्न डीजीएफटी विनियमों तथा आरबीआई परिपत्रों द्वारा निर्धारित रूप से या "पात्र यात्रियों" द्वारा ऊपर चर्चित प्रासंगिक विनियमों द्वारा निर्धारित रूप से किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीमा शुल्क अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य माल की तस्करी पर प्रतिषेध लगाना और उससे सख्ती से निपटना है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(25), 11(2)(सी), 111 और 112 के संयुक्त पठन से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। *सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) बनाम एम. अंबालाल एंड कंपनी (पूर्वोक्त)* के उद्धृत मामले में, यह स्पष्ट रूप से देखा गया था कि सीमा शुल्क अधिनियम का उद्देश्य "बदलती आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में उभरी कठिनाइयों का मुकाबला करना है; उनमें से यह देश के अंदर और बाहर तस्करी की बढ़ती समस्याओं से निपटने का प्रस्ताव करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य तस्करी की गई वस्तुओं से सख्ती

से और तेजी से निपटना तथा इस प्रकार राजस्व पर होने वाले नुकसान को रोकना है। तस्करी के खतरे से निपटने के लिए, अधिकारियों को भारत के प्रादेशिक क्षेत्र में ऐसी तस्करी की गई वस्तुओं का पता लगाने, तलाशी लेने और अभिगृहित करने तथा यदि आवश्यक हो तो अधिहत करने का अधिकार प्रदान किया गया है।” इसके अतिरिक्त, तस्करी किए गए माल को कभी भी "आयातित माल" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जैसा कि **एम. अंबालाल एंड कंपनी (पूर्वोक्त)** के मामले में देखा गया है, और यह मानना विरोधाभासी होगा कि "तस्करी किए गए माल" को अधिनियम के प्रयोजन हेतु "आयातित माल" की परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है। अपरिहार्य परिणाम के रूप में, 'तस्करी' किए गए माल पर आयातित माल हेतु निर्धारित लाभ प्रदान करना छूट की अधिसूचनाओं के उद्देश्य के विपरीत होगा।

52. भारत में सोने की तस्करी के पैमाने को समझना महत्वपूर्ण है। राजस्व आसूचना निदेशालय की 2019-2020⁵² की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 120 टन सोने की तस्करी की गई, जबकि 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा 836 किलोग्राम सोना अभिगृहित किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है:

"सोना अपराधियों के लिए धन शोधन का एक आकर्षक साधन प्रमाणित हुआ है, क्योंकि इसका मूल्य स्थिर रहता है, इसे आसानी से रूपांतरित

⁵² जैसा कि राजस्व आसूचना निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित है, https://dri.nic.in/writereaddata/dri_report_dat_1_12_20.pdf से प्राप्त किया गया है

किया जा सकता है और अन्य आस्तियों हेतु इसका आदान-प्रदान किया जा सकता है। खनन से लेकर खुदरा बिक्री तक, इस कीमती धातु द्वारा आकर्षक आय अर्जित करने के अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अवैध गतिविधियों में संलग्न होने के लिए इच्छुक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग कीमतों के कारण सोना लगातार मध्यस्थता के अवसर प्रदान करता रहता है। यह व्यापार आधारित धनशोधन कार्यों में भी प्रयोग किए जाने के लिए असुरक्षित बना हुआ है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सुविधाजनक रूप से उच्च मूल्यों को सीमाओं के पार ले जाने को अनुज्ञात करता है, ऐसे उत्पाद के साथ जिसे आसानी से छुपाया जा सकता है। सोने का यह गुण कि यह मूल्य को जल्दी और आसानी से स्थानांतरित कर सकता है, इसे आतंकवाद को वित्तपोषित करने में भी इस्तेमाल किए जाने के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है।"

53. भारतीय स्वर्ण नीति केंद्र (आईजीपीएल)⁵³ की रिपोर्ट का उल्लेख करना आगे प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार है:

“ऐसा अनुमान है कि भारत में आने वाले कुल सोने का एक-चौथाई हिस्सा अवैध व्यापार के ज़रिए आता है। भारत हर वर्ष लगभग 800-900 टन सोना आयात करता है जबकि वार्षिक उपभोग लगभग 1,000 टन है। इससे पता चलता है कि देश में 200 टन तक सोने की तस्करी की जा रही है। इस अवैध व्यापार का मूल्य 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और सरकारों को कम से कम 20 मिलियन डॉलर का कर राजस्व का नुकसान हुआ है। विश्व स्वर्ण परिषद् (डब्ल्यूजीसी) का अनुमान है कि तस्करी किए गए सोने का 65-75% हवाई मार्ग से, 20-25% समुद्री मार्ग से और 5-10% भू मार्ग से

⁵³ भारतीय स्वर्ण नीति केंद्र, आईआईएम-अहमदाबाद - आईजीपीसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को विश्व स्वर्ण परिषद् से अनुदान के अंतर्गत भेजा गया है और सार्थक नीति सलाह प्रदान करने के लिए सरकार और उद्योग के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। 'भारत में सोने की तस्करी और बुलियन उद्योग पर इसका प्रभाव' पर रिपोर्ट, जैसा कि <https://www.iima.ac.in/sites/default/files/2023-06/Maria%20Immanuel.pdf> से प्राप्त किया गया है

आता है। तस्करों को प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक सोने के आयात पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क है। इतिहास से पता चलता है कि सीमा शुल्क में काफी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डब्ल्यूजीसी में इस क्षेत्र के प्रबंध निदेशक पीआर सोमसुंदरम ने कहा कि अब तस्करी की प्रवृत्ति बहुत अधिक है क्योंकि हर बार जब आप कर की दर बढ़ाते हैं, तो आप तस्करों को उतना ही अधिक प्रोत्साहन देते हैं। भारत में सोने के वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार, तस्करी की गई इस पीली धातु के एक किलोग्राम से अकेले आयात शुल्क पर 5 लाख रुपये से अधिक का लाभ प्राप्त होगा। (रिपोर्ट का पृष्ठ 3)

54. उपर्युक्त रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय को पूछे गए प्रश्न (रिपोर्ट के पृष्ठ 4) के उत्तर में लोक सभा में दी गई जानकारी भी दी गई है, जिसका उत्तर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिया गया था तथा उसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:⁵⁴

तालिका 1 - भारत में सोने की तस्करी।

वर्ष	विभिन्न हवाई अड्डों पर सोने के मामलों की संख्या	अभिगृहित सोने की मात्रा (किलोग्राम में)	बुक किये गये लोगों की संख्या	अभिगृहित सोने का मूल्य (रुपये लाख में)
2015-16	2696	2452.147	1408	60667.29
2016-17	1453	921.805	788	24375.62
2017-18	2911	1996.930	1525	53133.32
2018-19	4855	2946.097	2141	83354.89
2019-20	4444	2629.549	2339	85795.50
2020-21	196	103.165	200	4955.566

अगस्त, 2020 तक

⁵⁴ लोकसभा, सत्र IV के अनुसार "सोने की तस्करी के मामले" शीर्षक से अतारांकित प्रश्न सं. 28 का उत्तर 14 सितंबर, 2020 को <https://sansad.in/l/questions/questions-and-answers> से प्राप्त किया गया।

55. अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में, हम प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयज विधि से समर्थन प्राप्त करते हैं। **शेख मोहम्मद उमर बनाम सीमाशुल्क (पूर्वोक्त)** के उद्धृत मामले में, याचिकाकर्ता घोड़ों का व्यापारी था और अपने स्वामित्व वाली घोड़ियों का प्रजनन कर रहा था, जिसने दो घोड़ों का आयात किया और सीमाशुल्क ने घोड़ी 'जूरी मेड' को अधिहृत कर लिया। उच्चतम न्यायालय के माननीय तीन न्यायाधीशगण द्वारा दिए गए निर्णय में, दिनांक 07 दिसंबर 1955 से लागू आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के अलावा अधिनियम की धारा 2(33) के साथ पठित धारा 111(घ) का उल्लेख करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पशुधन और जानवरों का आयात प्रतिषिद्ध था और अधिनियम की धारा 111 (घ) में 'किसी भी प्रतिषेध' शब्द का अर्थ पूर्ण और आंशिक प्रतिषेध था और सिर्फ इसलिए कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 में **तीन अलग-अलग अभिव्यक्तियों "प्रतिषेध", "निर्बंधित करना" या अन्यथा "नियंत्रण" का इस्तेमाल किया गया था, अधिनियम की धारा 111 (घ) में "किसी भी प्रतिषेध" शब्द के आयाम को कम नहीं किया गया था,** और इसलिए, निर्मुक्ति/मोचन की अनुमति न देने वाले अधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा गया।

56. **ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (पूर्वोक्त)** के मामले में, याचिकाकर्ता ने धारा 113 (घ) के अंतर्गत प्रतिषिद्ध माल का निर्यात करने का

प्रयास किया, जिसे एफईआरए, 1973 की धारा 18 (1) (क), अधिनियम की धारा 14 के साथ विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, के साथ पठित 1993 का नियम 11 एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1) का उल्लंघन करते हुए निर्यातित माल का साशय अधिक चालान करने का दोषी पाया गया। मामले का सार यह है कि निर्यातकर्ता वास्तविक बिक्री प्रतिफल का पूर्ण रूप से प्रकटन करने में विफल रहा। अधिनियम की धारा 11 और 113 के साथ पठित धारा 2(33) के दायरे और परिधि की जांच करने पर, यह अवलोकन किया गया कि:

10. उपर्युक्त परिभाषा से यह कहा जा सकता है कि: (क) यदि अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत माल के आयात या निर्यात पर कोई प्रतिषेध है, तो इसे प्रतिषिद्ध माल माना जाएगा; और (ख) इसमें ऐसा कोई माल शामिल नहीं होगा जिसके संबंध में उन शर्तों का अनुपालन किया गया है, जिनके अधीन माल का आयात या निर्यात किया जाता है। इसका अर्थ यह होगा कि अगर माल के आयात या निर्यात हेतु निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उसे प्रतिषिद्ध माल माना जाएगा। यह धारा 11 से भी स्पष्ट होगा जो केंद्र सरकार को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निकासी से पहले या बाद में पूरी की जाने वाली "पूर्ण रूप से" या "ऐसी शर्तों के अधीन" किसी भी विनिर्दिष्ट विवरण के माल के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिसूचना उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु जारी की जा सकती है। इसलिए, आयात या निर्यात पर प्रतिषेध कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकता है जिन्हें माल की निकासी से पहले या बाद में पूरा किया जाना चाहिए। यदि शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो इसे प्रतिषिद्ध माल माना जा सकता है। यह बात इस न्यायालय द्वारा एस.के. मोहम्मद ओमर बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर के मामले में भी स्पष्ट की गई है, जिसमें यह प्रतिविरोध किया

गया था कि धारा 111(घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "प्रतिषेध" को पूर्ण प्रतिषेध माना जाना चाहिए और यह अभिव्यक्ति आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड (3) द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों के दायरे में नहीं आती है। न्यायालय ने उक्त प्रतिविरोध को नकार दिया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 732, पैरा 11)

"धारा 111 का खंड (घ) कहता है कि कोई भी माल जो 'इस देश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा लगाए गए किसी प्रतिषेध' के विपरीत आयात किया जाता है या आयात करने का प्रयास किया जाता है, अधिहृत किया जा सकता है। उस धारा में उल्लिखित 'कोई भी प्रतिषेध' हर प्रकार के प्रतिषेध' पर लागू होता है। वह प्रतिषेध पूर्ण या आंशिक हो सकता है। आयात या निर्यात पर कोई भी निर्बंधन एक हद तक प्रतिषेध है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111(घ) में 'कोई प्रतिषेध' शब्द में निर्बंधन शामिल हैं। केवल इसलिए कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 में तीन अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ 'प्रतिषेध', 'निर्बंधन' या 'अन्यथा नियंत्रित करना' का उपयोग किया गया है, हम अधिनियम की धारा 111(घ) में 'कोई प्रतिषेध' शब्द के महत्व को कम नहीं कर सकते 'किसी भी प्रतिषेध' का अर्थ है प्रत्येक प्रतिषेध। दूसरे शब्दों में सभी प्रकार के प्रतिषेध। निर्बंधन एक प्रकार का प्रतिषेध है। अनुसूची I भाग IV की वस्तु (I) से लेकर आयात नियंत्रण आदेश, 1955 तक, यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार के जीवित जानवरों का आयात प्रतिषिद्ध है। परंतु कुछ अपवादों के लिए प्रावधान किया गया है। परंतु फिर भी प्रतिषेध जारी है।"

{बोल्ड इटैलिक पर जोर दिया गया}

57. इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि जहां कहीं भी माल के आयात या निर्यात हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, ऐसे माल अधिनियम की धारा 2(33) के दायरे और अर्थ के भीतर

'प्रतिषिद्ध' माल की श्रेणी में आएंगे। इस चरण पर कहानी में एक मोड़ है क्योंकि यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उपरोक्त दो मामलों में *अनुपात* (बाद में उच्चतम न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्णीत किया गया) का उल्लेख नहीं किया गया था या शायद *सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अतुल ऑटोमेशन (प्रा) लिमिटेड (पूर्वोक्त)* के उद्धृत मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशगण के निर्णय की अनवेक्षा की गई थी। *अतुल ऑटोमेशन* एक ऐसा मामला था, जिसमें अपीलार्थी ने अक्टूबर-नवंबर, 2016 में बिना अपेक्षित अनुमति के मल्टी-फंक्शन डिवाइस, डिजिटल फोटोकॉपियर और प्रिंटर जैसे एमएफडी आयात किए, जिन्हें संयोगवश खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के नियम 3 (1) (23) के अंतर्गत 'अन्य अपशिष्ट' के रूप में भी वर्गीकृत किया गया था, और माल को अधिहृत कर लिया गया था, शास्ति अधिरोपित की गई थी, निर्मुक्ति/मोचन की राहत से इनकार कर दिया गया था। चुनौती को यह देखते हुए बरकरार रखा गया कि: -

“8. दुर्भाग्य से, आयुक्त और अधिकरण दोनों ने ही विदेशी व्यापार अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इस मामले से निपटने वाले उच्च न्यायालय ने उचित रूप से देखा है कि विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के नियम 17(2) के साथ पठित धारा 11(8) और (9) में अधिनियम, नियम या आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में माल को अधिहृत करने का प्रावधान है, किंतु माल के बाजार मूल्य के समान मोचन शुल्क का भुगतान करने पर उसे निर्मुक्त जा सकता है। विदेशी व्यापार अधिनियम की धारा 3(3) में प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई भी प्रतिषेध, *यथावश्यक परिवर्तनों सहित*, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11

के अंतर्गत किया गया माना जाएगा। विदेशी व्यापार अधिनियम की धारा 18-क में कहा गया है कि यह अन्य विधियों के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में होगी। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 अधिहरण के बदले शुल्क उद्गृहित करने हेतु प्राधिकरण को विवेकाधिकार प्रदान करती है। एमएफडी प्रतिषिद्ध नहीं थे, परंतु आयात हेतु निर्बंधित वस्तुएं थीं। इसलिए विदेशी व्यापार अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के वैधानिक प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन बाजार मूल्य के भुगतान पर बिना प्राधिकरण के आयातित ऐसे निर्बंधित मालों के मोचन से अलग नहीं होगा। क्या प्रतिषिद्ध है और क्या निर्बंधित है, इसके बीच एक बुनियादी अंतर मौजूद होगा। इसलिए, हमें अधिकरण के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं दिखती है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है कि प्रत्यर्थी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 (क) के अंतर्गत जुर्माने के साथ सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर बाजार मूल्य के भुगतान पर माल के परेषण परिणाम का मोचन करने का हकदार था।”

58. कुल मिलाकर, *अतुल ऑटोमेशन (प्रा) लिमिटेड (पूर्वोक्त)* मामले में लिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशगण द्वारा *भारत संघ बनाम राज ग्रो इम्पेक्स (पूर्वोक्त)* मामले में अलग रखा गया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को सरकार द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसके अंतर्गत आयातित माल को जुर्माने का भुगतान करने पर निर्मुक्त करने/मोचन करने का आदेश दिया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि विभिन्न पक्षकारगण द्वारा खाद्य वस्तुओं का आयात एफटीडीआर के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना तथा डीजीएफटी द्वारा जारी परिणामी व्यापार सूचनाओं का उल्लंघन करके किया गया था, जिसमें कुछ फलियों, मटर और दालों के आयात पर निर्बंधन लगाया गया था। उच्चतम न्यायालय के माननीय

न्यायाधीशगण ने **शेख मोहम्मद उमर बनाम सीमाशुल्क (पूर्वोक्त)** के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की और यह पाया कि निर्बंधन न केवल आयात की मात्रा में वृद्धि के कारण लगाए गए थे, परंतु किसानों द्वारा घबराहट में खरीददारी को रोकने के लिए भी अधिरोपित किए गए थे, क्योंकि इससे चने की कीमतें कम हो जातीं। मुख्य रूप से दो प्रश्न पूछे गए कि क्या माल 'प्रतिषिद्ध श्रेणी' में आता है और क्या 'पूर्ण अधिहरण योग्य' है। यह निम्नानुसार देखा गया:

“154. वर्तमान मामला पूर्ण रूप से अलग निर्बंधन का है, जहां संदर्भित मटर/दालों का आयात एक खास मात्रा तक निर्बंधित है और इसे केवल अनुज्ञप्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। इस निर्बंधन का सार और भावना, जैसा कि इस न्यायालय ने पहले बताया है, यह है कि विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक कोई भी आयात स्पष्ट रूप से अननुज्ञेय है और प्रतिषिद्ध है। इस न्यायालय ने *एबीकास* (पूर्वोक्त) के मामले में इन वस्तुओं के अत्यधिक मात्रा में आयात के कारण कृषि बाजार अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को उजागर किया है, जबकि *अतुल ऑटोमेशन* (पूर्वोक्त) के मामले में ऐसा नहीं था कि आयात से घरेलू बाजार अर्थव्यवस्था पर अन्यथा प्रभाव पड़ने की संभावना थी। *अतुल ऑटोमेशन* के मामले के विपरीत, जहां माल को आयात करने की अनुमति दी गई थी (हालांकि प्राधिकरण के साथ) इस कारण से कि वे देश में निर्मित नहीं थे, वर्तमान मामले में, आयात को मात्रा के आधार पर निर्बंधित करने की अंतर्निहित विशेषता अत्यधिक स्टॉक की उपलब्धता और देश के किसानों द्वारा प्राप्त मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। *अतुल ऑटोमेशन* (पूर्वोक्त) में लिए गए निर्णय को किसी भी प्रकार से वर्तमान मामले में लागू नहीं माना जा सकता है।

155. इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि प्रश्नगत माल, दिनांक 29.03.2019 की अधिसूचनाओं और दिनांक 16.04.2019 की व्यापार सूचना के उल्लंघन में आयात किया गया है; और अनुमेय मात्रा से

अधिक और बिना अनुज्ञप्ति के आयात होने के कारण, सीमा शुल्क अधिनियम के प्रयोजन हेतु "प्रतिषिद्ध माल" है।

156. आयातकर्ताओं की ओर से उद्भूत अनावश्यक और निराधार तर्क कि प्रश्नगत माल 'निर्बधित' श्रेणी का है, 'निर्बधित' शब्द का प्रयोग संबंधित अधिसूचनाओं के प्रयोजन हेतु या डीजीएफटी द्वारा दिए गए सामान्य उत्तरों या एफटीडीआर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में किया गया है, इसलिए, खारिज किया जाता है। प्रश्नगत माल 'प्रतिषिद्ध माल' की श्रेणी में आता है।
{बोल्ड इटैलिक पर जोर दिया गया}

59. एक अलग पहलू का उल्लेख करना उचित है कि *अतुल ऑटोमेशन (प्रा) लिमिटेड (पूर्वोक्त)* के मामले में, माल को पुनः निर्यात हेतु भी जारी करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा, इस मुद्दे पर कि माल अधिदत्त किया जाना चाहिए या नहीं, *राज ग्रो इम्पेक्स (पूर्वोक्त)* के मामले में यह देखा गया:-

"164. इस प्रकार, जब विवेक की बात आती है, तो इसका प्रयोग विधि द्वारा निर्देशित होना चाहिए; तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार होना चाहिए; और प्रासंगिक विचारों पर आधारित होना चाहिए। विवेक का प्रयोग अनिवार्य रूप से यह विवेक है कि क्या सही और उचित है; और *ऐसा विवेक छाया और उपादान के बीच तथा समानता और मिथ्याकथन के बीच अंतर करके सही और उचित क्या है, इसका आलोचनात्मक और सतर्क निर्णय है। किसी सार्वजनिक पदधारी को, जब वह क़ानून द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसा प्रयोग, उस शक्ति को प्रदान करने के अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो।* विवेक के किसी भी प्रयोग में युक्तियुक्तता, युक्तिसंगतता, निष्पक्षता, औचित्य और समता की आवश्यकताएं अंतर्निहित हैं; ऐसा प्रयोग कभी भी निजी राय के अनुसार नहीं हो सकता।

165. इस बात पर कोई विचार-विमर्श नहीं हो सकता कि विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए और इस मामले में सभी तथ्यों और

सभी प्रासंगिक कारकों तथा साथ ही किसी भी प्रकार से विवेक के प्रयोग के निहितार्थ को उचित रूप से तौला जाना चाहिए और एक संतुलित निर्णय लिया जाना चाहिए।

166. यह सही है कि वैधानिक प्राधिकरण को किसी विशेष तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है, परंतु जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है, न्याय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा विवेक के प्रयोग पर विभिन्न आधारों पर प्रश्न उठाया गया है और अपील प्राधिकरण ने वास्तव में मूल आदेशों को अपास्त कर दिया है, जिसके अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण ने मोचन जुर्माना और शास्ति के साथ माल को निर्मुक्त करने के लिए विवेक का प्रयोग किया था। यह पाते हुए कि संबंधित माल 'प्रतिषिद्ध माल' की श्रेणी में आता है, संबंधित पृष्ठभूमि पहलुओं के साथ, जिसमें संबंधित अधिसूचनाओं को जारी करने के पीछे के कारण और *एग्रीकास* (पूर्वोक्त)⁵⁵ में इस न्यायालय के निष्कर्ष शामिल हैं, प्रश्न यह है कि क्या इन मामलों में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अधिहरण के बदले में जुर्माने के भुगतान का विकल्प देते हुए विवेक का प्रयोग अनुमोदित किया जा सकता है? ***यह सत्य है कि सामान्यतः जब किसी वैधानिक प्राधिकरण को विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है तो उसे उसी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, किन्तु वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अन्य उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान दिए बिना एक विशेष तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग किया है; तथा अपील प्राधिकरण ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विवेकाधिकार के ऐसे प्रयोग को पूर्णतः अनुचित पाया है।*** दी गई परिस्थितियों में, *हरगोविंद दास के. जोशी*⁵⁶ के

⁵⁵ भारत संघ बनाम एग्रीकास एलएलपी, (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 675 का मामला एक ऐसा मामला था, जहां मटर और दालों के आयात पर मात्रात्मक निर्बंधन लगाने के लिए एफटीडीएंडआर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था।

⁵⁶ *हरगोविंद दास के. जोशी बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर* का मामला ऐसा था, जिसमें अपीलार्थीगण ने 'ज़िप फास्टनर्स' का एक परेषण परिणाम आयात किया था, जिसके माल को शास्ति अधिरोपित कर अधिहत कर लिया गया था और अपीलार्थीगण को अधिहरण के बदले में सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करके माल को छुड़ाने का कोई विकल्प नहीं दिया गया था। निर्णय को पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं है कि कथित उल्लंघन क्या था। यद्यपि, मामले को सीमित उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क कलेक्टर के पास वापस

मामले में अपनाई गई प्रक्रिया (विवेक के छोड़े गए भाग पर विचार के लिए मामले को वापस भेजने की) को भी वर्तमान अपीलों में नहीं अपनाया जा सकता है; और यह अपरिहार्य हो जाता है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाए कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत विषयगत माल से कैसे निपटा जाए।

176. जैसा कि देखा गया है, विवेक का प्रयोग एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रयोग है, जिसे तर्कसंगत रूप से और सावधानी से किया जाना चाहिए और इसे विधि द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए; यह तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार होना चाहिए; और प्रासंगिक विचारों पर आधारित होना चाहिए। खोज यह पता लगाने के लिए होनी चाहिए कि क्या उचित है। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले किसी भी प्राधिकरण को धारा 125 के अंतर्गत दिए गए विवेक का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसा प्रयोग उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो, जिसके लिए ऐसी शक्ति प्रदान की गई है। प्रतिषिद्ध माल के संबंध में इस प्रकार के विवेक को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास छोड़ने के पीछे का उद्देश्य, जाहिर है, यह सुनिश्चित करना है कि माल की निर्मुक्ति या पूर्ण अधिहरण हेतु अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी गुण-दोष को तौला जाएगा।

179. मामले का संक्षेप और सार यह है कि जहां तक आयात का मामला है, अनुचित आयात करने वाले आयातकर्ताओं के व्यक्तिगत हित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से किसानों के हितों के विरुद्ध हैं। यह कारक ही यह पता लगाने के लिए पर्याप्त है कि इन मामलों में किस दिशा में विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ***जब आयातकर्ताओं के व्यक्तिगत व्यापारिक हित लोक हित से टकराते हैं, तो जाहिर है, पहले वाले को दूसरे वाले के लिए रास्ता देना पड़ता है।*** इसके अलावा, यह कहने के लिए लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि, यदि अत्यधिक अनुचित तरीके से आयातित मटर/दाल को देश के बाजार में प्रवेश करने को अनुज्ञात किया

प्रतिपेक्षित कर दिया गया जिससे यह तय किया जा सके कि अपीलार्थीगण को जुर्माना अदा करके अधिहत किए गए सामान को छुड़ाने का विकल्प दिया जाए या नहीं।

जाता है, तो अधिसूचनाओं का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। वर्तमान प्रकृति के मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग केवल आयातकर्ताओं द्वारा सुझाई गई कठिनाई के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसे अनुचित आयात किए थे। प्रश्नगत आयात विधि के उल्लंघन और *सद्भावना* की कमी के दोषों से ग्रस्त हैं और विवेक का एकमात्र उचित प्रयोग पूर्ण अधिहरण और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये खराब माल भारतीय बाजारों में प्रवेश न करें। ऐसे आयातकर्ताओं पर शास्ति अधिरोपित करना; और उन लोगों पर और भी अधिक शास्ति अधिरोपित करना जो माल का कुछ हिस्सा निर्मुक्त कराने में सफल रहे हैं, जाहिर है, उचित है।

{बोल्ड इटैलिक पर जोर दिया गया}

60. **सीमा शुल्क आयुक्त (पूर्व) बनाम एम. अंबालाल एंड कंपनी (पूर्वोक्त)** के उद्धृत मामले में, सीमा शुल्क विभाग ने विशिष्ट सूचना प्राप्त करने पर, प्रत्यर्थी फर्म के कार्यालय की तलाशी ली और अभिग्रहण किया, जिसमें बड़ी मात्रा में कच्चे हीरे मिले, जिसके बारे में फर्म का भागीदार न तो कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दे पाया और न ही हीरे के आयात के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाया। उक्त माल को अभिग्रहित कर लिया गया, बाद में इसे अधिहृत कर लिया गया और अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत मोचन/निर्मुक्ति हेतु आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। चुनौती दिए जाने पर उच्च न्यायालय ने मोचन/निर्मुक्ति को अनुज्ञात कर दिया, परंतु विभाग द्वारा चुनौती दिए जाने पर उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामले में अभिग्रहित माल को आयात नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के बिना भारत में आयात नहीं किया

जा सकता था और यह अधिनियम की धारा 2(25) के अर्थ में आयातित माल नहीं था, और इसलिए, ऐसे माल यानी कच्चे हीरे का आयात विधि द्वारा प्रतिषिद्ध था और प्रत्यर्थी फर्म अपने मोचन/निर्मुक्ति की हकदार नहीं थी।

61. **अब्दुल रजाक बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त)** का मामला ऐसा था जिसमें लगभग 8 किलोग्राम वजन वाले सोने को आपातकालीन लाइट, मिक्सी-ग्राइंडर और कार के हॉर्न में छिपाकर तस्करी करने का प्रयास किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि **"यद्यपि सोना एक प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं है और इसका आयात किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के आयात पर कई निर्बंधन लागू होते हैं, जिसमें सीमा शुल्क स्टेशन पर माल के आगमन पर घोषणा करना और निर्धारित दर पर शुल्क का भुगतान करना शामिल है"**। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि **"तस्करी में लिप्त होकर लाया गया माल प्रतिषिद्ध माल के आयात के समान होगा और अपीलार्थी मोचन जुर्माने और शुल्क का भुगतान करने पर सोने की निर्मुक्त करने का दावा करने का अधिकार नहीं रखता है"**। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपर्युक्त निर्णय को अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा वि.अनु.या. (सिविल) सीसी 5192/2012 में भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उसे खारिज कर दिया गया था।

62. **अब्दुल हुसैन सैफुद्दीन हामिद बनाम गुजरात राज्य (पूर्वोक्त)** का मामला ऐसा था जिसमें अपीलार्थी/आयातकर्ता ने एल्युमीनियम लेपित सोने के तारों की तस्करी करने का प्रयास किया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

तस्करी कुछ और नहीं किंतु शुल्क का भुगतान किए बिना गुप्त रूप से माल का आयात करना है और जहां आयात की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, वहां उक्त माल को आयात करने से प्रतिषिद्ध माना जाना चाहिए और माल को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 ख के अंतर्गत अधिहृत किया जाना चाहिए और आयातकर्ता के पास मोचन का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं था।

याचीगण द्वारा अपनाई गई निर्णयज विधि का विश्लेषण:

63. जहां तक याचीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा भारी मात्रा में उपयोग की गई निर्णयज विधि का संबंध है, तो हमारे विचार से निम्नलिखित कारणों से उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। *सनशाइन इंटरनेशनल बनाम सीमाशुल्क कलेक्टर (पूर्वोक्त)*⁵⁷ का उद्धृत मामला वह था, जहां याचीगण ने बिना किसी अनुज्ञप्ति के 'कैसिया' का आयात किया और न्यायनिर्णायक अधिकारी ने पूर्ण अधिहरण का आदेश दिया, शास्ति अधिरोपित की, बिना इस प्रश्न पर विचार किए कि याचीगण को जुर्माना अदा करके माल छुड़ाने का विकल्प दिया जाए। याचीगण ने आग्रह किया कि कैसिया का आयात कई वर्षों से बिना किसी अनुज्ञप्ति के इसी प्रकार से चल रहा है और इसी प्रकार की स्थितियों में, जुर्माने का भुगतान करने पर वस्तुओं को निर्मुक्त करने/मुक्त करने की अनुमति दी गई थी, और इसलिए, उनकी यह वैध प्रत्याशा थी कि माल अधिहृत नहीं किया जाएगा और जुर्माने का भुगतान करने पर उसे निर्मुक्त

⁵⁷ मद्रास उच्च न्यायालय

कर दिया जाएगा/मुक्त कर दिया जाएगा, परंतु इसके विपरीत, उन्हें मनमाने ढंग से अलग कर दिया गया और उनके साथ अलग व्यवहार किया गया। इस अभिवचन को बरकरार रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वस्तु को निर्मुक्त न करना या न छुड़ाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, और इसलिए, अधिकरण ने अधिनियम की धारा 125 के भाव के विपरीत शास्ति के साथ अधिहरण का आदेश पारित किया है। **मोहिनी भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (पूर्वोक्त)⁵⁸** के मामले में, याचिकाकर्ता सिंगापुर से आई थी और जब उसने 'सीमाशुल्क ग्रीन चैनल' से गुजरने का प्रयत्न किया, तो उससे पूछा गया कि क्या वह कोई सोना लेकर जा रही है, जिसका उसने नकारात्मक रूप में उत्तर दिया। यद्यपि, उसकी तलाशी लेने पर, उसके अंतर्वस्त्रों में 10 तोला वजन वाले 40 सोने की छड़ें पाई गईं। कहानी का सार यह है कि बाद में जब याचिकाकर्ता ने सोने की वस्तुओं की निर्मुक्ति/मोचन हेतु आवेदन किया, तो उसे भारी शास्ति के साथ अधिहत करने का आदेश दिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रासंगिक समय पर लागू आयात नीति ने 'प्रतिषिद्ध माल' और 'निर्बधित माल' के मध्य अंतर किया था और सोना एक प्रतिषिद्ध माल नहीं था, और इस प्रकार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आयातकर्ता को जुर्माने का भुगतान करके वस्तुओं को छुड़ाने का विकल्प देने के लिए बाध्य था, जो कि उस पर देय शुल्क को घटाकर माल के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए था।

⁵⁸ सीईजीएटी मुंबई (1999)

64. *सुरेश कुमार रईसनी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (पूर्वोक्त)*⁵⁹ का मामला एक ऐसा मामला था, जिसमें दिनांक 19.08.1997 को मुंबई के झावेरी बाजार में एक पक्षकार के परिसर में जब्बार सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान 22,26,000/- रुपये मूल्य के 42 विदेशी चिह्नित सोने के बिस्कुट बरामद हुए, जिन्हें सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अभिगृहित कर लिया गया। कार्यवाही के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 111(घ) के अंतर्गत सोने के अधिहरण हेतु आक्षेपित आदेश पारित किया गया, साथ ही अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित की गई। संक्षेप में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सोना केवल एक निर्बंधित वस्तु है, न कि प्रतिषिद्ध और जुर्माने का भुगतान करने पर माल की निर्मुक्ति/मोचन को अनुदत्त किया गया। *भारत संघ बनाम धनक एम. रामजी (पूर्वोक्त)*⁶⁰ का उद्धृत मामला वह था जिसमें याचिकाकर्ता से अधिहत किए गए आभूषणों को अधिकरण द्वारा इस आधार पर उसे निर्मुक्त करने का आदेश दिया गया था कि ये प्रतिषिद्ध वस्तुएं नहीं थीं। विभाग ने इस आदेश का विरोध किया और अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि माल उसे वापस किया जा सकता है क्योंकि उसने अकेले ही उस पर मालिकाना हक का दावा किया था। *सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अश्विनी कुमार @ अमानुल्लाह (पूर्वोक्त)* में निर्णय तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में दिया गया था, जहां लगभग 12 किलोग्राम वजन वाली

⁵⁹ सीएसटीए मुंबई 2004

⁶⁰ मुंबई उच्च न्यायालय 2009

सोने के परेषित परिणाम को आईजीआई हवाई अड्डे पर फेडएक्स कूरियर के माध्यम से एयरवे बिल के अंतर्गत आयात किया गया था, जो कि प्रासंगिक समय के दौरान लागू विदेशी व्यापार नीति के अनुसार स्वतंत्र रूप से आयात योग्य नहीं था और इसे आरबीआई द्वारा प्राधिकृत बैंकों या विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा प्राधिकृत अन्य द्वारा और कुछ हद तक यात्रियों द्वारा आयात किया जा सकता था। सीईएसटीएटी ने अनेक निर्णयज विधि और सीमा शुल्क अधिनियम तथा एफटीडीआर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करते हुए पैराग्राफ (34) के माध्यम से अपने निष्कर्ष को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया:-

34. विभाग के सीमा शुल्क निर्देशिका(मैनुअल), 2018 की धारा 125 और दोनों पक्षकारगण द्वारा उद्धृत और ऊपर चर्चा की गई विभिन्न निर्णयज विधियों से, निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट है:

(क) जिन मालों पर प्रतिषेध नहीं है, उनके मोचन की अनुमति देना अनिवार्य है तथा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को धारा 125 के अंतर्गत इसे अनुज्ञात करना होगा।

(ख) जिन मालों का आयात प्रतिषिद्ध है, उनके मोचन को अनुज्ञात करना विवेकाधीन है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इसको अनुज्ञात कर सकेगा और नहीं भी।

(ग) सोने का आयात पूर्णतः प्रतिषिद्ध नहीं है, किंतु निर्बंधित है।

(घ) स्वामी या वह व्यक्ति जिससे माल अभिगृहित किया गया है, अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता कि प्रतिषिद्ध माल को छुड़ाया जाना चाहिए, जैसा कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने *सम्यनाथन मुरुगोसन* के मामले में और माननीय केरल उच्च न्यायालय ने *अब्दुल रजाक* के मामले में अभिनिर्धारित किया था। इन दोनों निर्णयों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा।

(ड) यद्यपि, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(33) के अनुसार, 'प्रतिषिद्ध माल' में वे निर्बंधित माल शामिल हैं जिनके संबंध में शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, *अशोक कुमार वर्मा* (पूर्वोक्त) के मामले में भारत सरकार द्वारा एक विभेद किया गया था और सोने के मोचन को अनुज्ञात किया गया था जिसे अपीलार्थी यात्री ने बैग के स्ट्रॉलर में चालाकी से छिपाकर तस्करी की थी। इस आदेश में यह भी उपदर्शित किया गया है कि भारत सरकार ने अनेक मामलों में लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया है कि सोने पर प्रतिषेध नहीं है, परंतु उसे निर्बंधित किया गया है तथा अधिहृत किए गए सोने के मोचन को अनुज्ञात किया गया है।

(च) शीर्ष न्यायालय ने उन मालों के बीच भी अंतर किया है जिनका आयात पूर्णतः प्रतिषिद्ध है तथा वे माल जिनका आयात विदेशी व्यापार (डी एंड आर) अधिनियम के अंतर्गत निर्बंधित है, तथा निर्बंधित मालों के मामले में मोचन को अनुज्ञात किया गया है।

(छ) इस प्रकार, जबकि धारा 125 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को निर्बंधित मालों के मोचन को अनुज्ञात करने या न करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है। जहां तक तस्करी किए जाने वाले सोने का सवाल है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के दृष्टिकोण में धीरे-धीरे बदलाव आया है। *अशोक कुमार* के मामले में *भारत सरकार* ने ऐसे सोने के मोचन को अनुज्ञात किया जो न केवल घोषित नहीं था किंतु चालाकी से स्ट्रॉली बैग में छिपाया गया था। इस पुनरीक्षण आदेश में यह भी घोषित किया गया है कि भारत सरकार ने निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि तस्करी किए गए सोने को छुड़ाया जा सकता है।

65. हम निम्नलिखित कारणों से उपरोक्त निष्कर्षों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। *राजाराम बोहरा बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त⁶¹)* का मामला ऐसा था जिसमें आरपीएफ द्वारा ट्रेन में यात्रा करते समय याचिकाकर्ता से भारी मात्रा में सोना अभिगृहित किया गया और सोने को सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया

⁶¹ कलकत्ता 2015

गया था और उस परिदृश्य में भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि सोना प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता को जुर्माने का भुगतान करने पर निर्मुक्त करने/मोचन हेतु सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत विकल्प दिया जाना चाहिए था। सीमा शुल्क आयुक्त (एआईआर) बनाम पी. सिन्नासामी (पूर्वोक्त⁶²) में निर्णय यह था कि प्रथम प्रत्यर्थी दिनांक 17 सितम्बर 1999 को सिंगापुर से आया और सीमा शुल्क विभाग में प्रस्तुत घोषणा के विपरीत, उसके सामान के परीक्षण के परिणामस्वरूप उसके पास 2548.3 ग्राम वजन के 111 टूटे हुए सोने के बिस्कुट अभिगृहित किए गए, जिनका मूल्य 10,34,355/- रुपये था। यद्यपि सभी स्तरों पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों का यह सुसंगत मत था कि प्रत्यर्थी सं.1 ने एफटीडीएंडआर अधिनियम, 1992 की धारा 3(3) के साथ अधिनियम की धारा 111(घ) (ठ) (ट) और (ड) के अंतर्गत अपराध किया है, तथापि अधिकरण द्वारा उसे जुर्माने का भुगतान करने पर सभी विषयगत मामलों अर्थात् सोने को निर्मुक्त करने/मोचन का विकल्प दिया गया था, जिस आदेश का सरकार द्वारा विरोध किया गया। सीमा शुल्क अधिनियम और एफटीडीआर अधिनियम सहित विधि के विभिन्न प्रावधानों और इस प्रश्न पर निर्णयज विधि की अधिकता कि क्या अधिकरण ने अपने विवेक का सही ढंग से प्रयोग किया है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि सोना प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं थी, इसलिए अधिकरण अर्थात्

⁶² मद्रास 2017

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 'सुसंगति' और 'युक्तियुक्तता' के दोहरे परीक्षण के आधार पर अपनी शक्ति का सही ढंग से प्रयोग किया।

66. बेकर ग्रे एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ⁶³ का उद्धृत मामला उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशगण द्वारा दिया गया निर्णय है, जिसमें एफईआरए की धारा 12 के साथ-साथ समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1949 के संदर्भ में मुद्दों पर चर्चा की गई थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अपीलार्थीगण ने दावा किया था कि उन्होंने जूट कालीन बेकिंग कपड़े का निर्यात किया था और सीमा शुल्क विभाग ने पाया कि उनके द्वारा की गई घोषणाएं सही नहीं थीं क्योंकि माल का पूरा निर्यात मूल्य नहीं दर्शाया गया था और नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में की जाने वाली घोषणाएं भी गलत थीं। उक्त संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह केवल समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12(1) द्वारा लगाए गए निर्बंधनों का उल्लंघन था और केवल गलत घोषणा समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन नहीं थी, और इसलिए धारा 167(8) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित करना पूर्ण रूप से अनुचित था। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि संदर्भित प्रावधान अर्थात् समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम⁶⁴ की धारा 19, अधिनियम की धारा 111 के सदृश कैसे है और किसी भी मामले में, उद्धृत मामला माल की

⁶³ 1970 (1) एससीसी 351

⁶⁴ संघ का राष्ट्रपति समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बर्मा संघ या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में या उसके बाहर किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के माल को समुद्र या स्थल मार्ग से लाने या ले जाने पर, या तो सामान्य रूप से या बर्मा संघ की सीमाओं से परे किसी विनिर्दिष्ट देश, क्षेत्र, बंदरगाह या स्थान से लाने या ले जाने पर प्रतिषेध या निर्बंधन लगा सकता है।

तस्करी के विषय में नहीं था, किंतु कम सीमा शुल्क उद्गृहित करने हेतु इसके मूल्य की गलत घोषणा का मामला था।

67. आयुक्त बनाम प्रयाग एक्सपोर्टर्स लिमिटेड⁶⁵ के उद्धृत मामले में भी कोई आवेदन नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जहां प्रश्नगत माल निर्यात हेतु प्रतिषिद्ध नहीं था और साथ ही परेषित परिणाम पर निर्यात शुल्क उद्गृहित करने का कोई प्रावधान नहीं था। आयुक्त बनाम सुरेश झुनझुनवाला (पूर्वोक्त) मामले में भी निर्णय ऐसा ही था, जिसमें निर्यात परेषित परिणाम को ओवर इनवॉयसिंग का मामला माना गया था और माल के मोचन से संबंधित मुद्दे पर एफईआरए के उल्लंघन के संबंध में विचार नहीं किया गया था।

68. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिवचन कि आरबीआई ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 58⁶⁶ के अंतर्गत सोने के आयात को

⁶⁵ 2003 (155) ईएलटी 4 (एससी)

⁶⁶ 58. केन्द्रीय बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति.-

(1) केन्द्रीय बोर्ड, 1[केन्द्र सरकार] की पूर्व मंजूरी से, 2[राजपत्र में अधिसूचना द्वारा], इस अधिनियम के संगत विनियम बना सकेगा, जिससे उन सभी विषयों को उपलब्ध कराया जा सके जिनके लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन हेतु प्रावधान करना आवश्यक या सुविधाजनक है।

(2) विशेष रूप से पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रावधान कर सकेंगे, अर्थात:- 3[***]

(च) केन्द्रीय बोर्ड का कार्य किस प्रकार संचालित किया जाएगा तथा उसकी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) स्थानीय बोर्डों का कार्य संचालन तथा ऐसे बोर्डों को शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन;

(ज) केन्द्रीय बोर्ड 4[***] की शक्तियों और कार्यों को बैंक के उप-गवर्नरों, निदेशकों या अधिकारियों का प्रत्यायोजन;

(झ) केन्द्रीय बोर्ड की समितियों का गठन, ऐसी समितियों को केन्द्रीय बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन और ऐसी समितियों में कार्य संचालन;

(ञ) बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्टाफ और सेवानिवृत्ति निधि का गठन और प्रबंधन;

(ट) वह तरीका और रूप जिसमें बैंक पर बाध्यकारी संविदाएँ निष्पादित की जा सकेंगी;

विनियमित करने हेतु कभी कोई परिपत्र जारी नहीं किया है, बेकार है क्योंकि यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया है कि भारत में सोने का आयात विभिन्न निर्बंधनों और अनिवार्य आवश्यकताओं के अधीन है। यह कोई तर्क नहीं है कि एक निश्चित मात्रा में सोना लाने पर निर्बंधन अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आते हैं और अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कोई इसकी अधिसूचना नहीं है। हमारा दृढ़ मत है कि सोने के आयात को विनियमित करने वाले अन्य निर्बंधन हैं या नहीं, यह अभिनिश्चित करने के लिए अधिनियम की

-
- (ठ) बैंक की आधिकारिक मुहर का प्रावधान और इसके उपयोग का तरीका और प्रभाव;
- (ड) वह तरीका और प्रारूप जिसमें बैंक का तुलन-पत्र तैयार किया जाएगा तथा जिसमें खाते बनाए रखे जाएंगे;
- (ढ) बैंक के निदेशकों का पारिश्रमिक;
- (ण) अनुसूचित बैंकों के बैंक के साथ संबंध तथा अनुसूचित बैंकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ;
- (त) 5[बैंकों (जिनके अंतर्गत डाकघर बचत बैंक भी हैं) के लिए समाशोधन गृहों का विनियमन; 6[(पप) बैंकों के बीच या बैंकों और धारा 45इ के खंड (ग) में निर्दिष्ट अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निधि अंतरण का विनियमन, जिसके अंतर्गत ऐसी शर्तें निर्धारित करना है जिनके अधीन बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं ऐसे निधि अंतरणों में भाग लेंगी, ऐसे निधि अंतरणों का तरीका और ऐसे निधि अंतरणों में प्रतिभागियों के अधिकार और दायित्व;]
- (थ) वे परिस्थितियाँ जिनमें, तथा वे शर्तें और सीमाएं जिनके अधीन भारत सरकार के किसी खोए, चोरी हुए, कटे-फटे या अपूर्ण करेंसी नोट या बैंक नोट का मूल्य वापस किया जा सकेगा; तथा
- (द) साधारणतया, बैंक के कारोबार के दक्षतापूर्ण संचालन हेतु। 7[(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई विनियमन ऐसी पूर्वतर या पश्चातवर्ती तिथि से प्रभावी होगा, जो विनियमन में विनिर्दिष्ट की जाए।
- (4) प्रत्येक विनियमन, केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और वह सरकार उसकी एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखेगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियमन में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियमन नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियमन नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावित हो जाएगा; किन्तु, ऐसे किसी भी परिवर्तन या निष्प्रभावीकरण से उस विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।] 8[(5)] इस धारा के अधीन बनाए गए सभी विनियमों की प्रतियां जनता को भुगतान किए जाने पर उपलब्ध होंगी।

संपूर्ण योजना का अर्थ लगाना होगा। हमें इस अभिवचन में कोई गुणागुण नहीं लगता कि निर्बंधन या प्रतिषेध केवल अधिसूचना के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं और परिपत्रों के माध्यम से जारी नहीं किए जा सकते।

69. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, यह प्रमाणित करने का भार कि माल 'तस्करी' का माल नहीं है, उस व्यक्ति पर है जिससे माल अभिगृहित किया गया है या जो स्वामी होने का दावा करता है⁶⁷। इसके अलावा, विधायी मंशा को इस तथ्य⁶⁸ से भी समझा जा सकता है कि

⁶⁷ 123. कुछ मामलों में प्रमाण का भार.-1[

(1) जहां कोई माल, जिस पर यह धारा लागू होती है, इस अधिनियम के अधीन इस उचित विश्वास पर अभिगृहित किया जाता है कि वह तस्करी का माल है, वहां यह प्रमाणित करने का भार कि वह तस्करी का माल नहीं है, निम्नलिखित पर होगा-

(क) ऐसे मामले में जहां ऐसा अभिग्रहण किसी व्यक्ति के कब्जे से किया जाता है, -

(i) उस व्यक्ति पर जिसके कब्जे से माल अभिगृहित किया गया था; और

(ii) यदि उस व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे से माल अभिगृहित किया गया था, उसका स्वामी होने का दावा करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी;

(ख) किसी अन्य मामले में, उस व्यक्ति पर, यदि कोई हो, जो इस प्रकार अभिगृहित किए गए माल का स्वामी होने का दावा करता है।]

(2) यह धारा सोने 2[और उसके विनिर्माण] घड़ियों और किसी अन्य वर्ग के माल पर लागू होगी जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

⁶⁸ 'सोने की तस्करी के मामलों में वृद्धि' के संबंध में राज्यसभा में पूछे गए (अतारांकित प्रश्न सं.1502) के उत्तर में वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई:

क्या वित्त मंत्री को यह बताते हुए खुशी होगी:

(क) क्या सोने की तस्करी के मामलों की रिपोर्टों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि ऐसा है, तो देश में पिछले तीन वर्षों में अभिलिखित ऐसे मामलों का विवरण, राज्यवार;

(ग) देश में सोने की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम;

(घ) क्या सरकार को उन गिरोहों की भूमिका पर संदेह है, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों को वित्तपोषित करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण?

प्रश्नों (क) और (ख) के उत्तर में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई थी:

अभिगृहित किए गए सोने की कुल राशि

वर्ष

2020 - 2154.58 किलोग्राम

विशेष रूप से 'सोने' सहित वस्तुओं की "तस्करी" को भी अधिनियम के "अपराध और अभियोजन" शीर्षक के अंतर्गत अध्याय XVI के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है और धारा 132 अन्य बातों के साथ-साथ "जानबूझकर या यह मानने के कारण होने पर कि ऐसी घोषणा, कथन या दस्तावेज झूठा है⁶⁹..." की गई किसी भी झूठी घोषणा को दंडनीय बनाती है।" अधिनियम की धारा 135 में आगे कहा गया है कि "किसी भी प्रकार से उस माल पर कब्जा अर्जित करना या उसे ले जाना, हटाना, छिपाना या किसी अन्य तरीके से उससे निपटना दंडनीय है, जिसके बारे में वह जानता है या जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है कि वह अधिनियम की धारा 111 या 113⁷⁰ के अंतर्गत अधिहरण के योग्य है।" अधिनियम की धारा 138 इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन के मामले में

2021 - 2383.38 किलोग्राम

2022 - 3502.16 किलोग्राम

2023 (फरवरी तक) - 916.37 किलोग्राम

प्रश्न (ग) के उत्तर में, यह कहा गया कि सीमा शुल्क के साथ-साथ डीआरआई निरंतर निगरानी रखता है और परिचालन उपाय करता है। इसके अलावा तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों से संबंधित कार्यप्रणाली परिपत्र जारी किए जाते हैं

प्रश्नों (घ) और (ङ) के उत्तर में, यह प्रावधान किया गया था कि एनआईए जांच कर रही है।

(यह जानकारी <https://sansad.in/rs/questions/questions-and-answers> से ली गई है)

⁶⁹ 132. झूठी घोषणा, झूठे दस्तावेज, आदि- जो कोई सीमाशुल्क से संबंधित किसी कारबार के संव्यवहार में कोई घोषणा, कथन या दस्तावेज बनाएगा, हस्ताक्षरित करेगा या प्रयोग करेगा, अथवा बनवाएगा, हस्ताक्षरित करेगा या प्रयोग करवाएगा, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी घोषणा, कथन या दस्तावेज किसी तात्त्विक विशिष्टि में झूठ है, वह कारावास से, जिसकी अवधि 1[दो वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

⁷⁰ -113 (ख) कोई माल जिसे ऐसे माल के निर्यात के लिए धारा 7 के खंड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से भूमि या अंतर्देशीय जलमार्ग से निर्यात करने का प्रयास किया गया हो;

"आपराधिक मानसिक स्थिति" की धारणा को आगे बढ़ाती है और यह प्रमाणित करना अभियुक्त पर निर्भर करता है कि किसी भी अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण में आगे कहा गया है कि 'दोषपूर्ण मानसिक स्थिति' में "आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य पर विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है"। जैसा कि हमने इस निर्णय के आरंभ में उल्लेख किया है, भारत में सोने की तस्करी से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और हम इस तथ्य की अनवेक्षा नहीं कर सकते कि भारत में सोने की तस्करी से पहले स्पष्ट रूप से भारतीय या विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है, जो कि कार्रवाई योग्य धन शोधन, काले धन के सृजन और आतंकवाद को वित्तपोषित करने सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खतरनाक स्तर का एक और पहलू है।

70. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस आशय के मुद्दों का उत्तर देते हैं कि अधिनियम की धारा 2(33) में ऐसे माल का आयात भी 'प्रतिषिद्ध श्रेणी' के दायरे में शामिल होगा, जिसके संबंध में अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य शर्त के साथ-साथ डीजीएफटी, आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक अधिसूचनाओं/परिपत्रों का अनुपालन नहीं किया गया है, या दूसरे शब्दों में संबंधित प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए निर्बंधनों का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अधिनियम की धारा 2(33) के अर्थ में सोने का आयात एक

प्रतिषिद्ध वस्तु है; और "तस्करी" के रूप में अवैध रूप से भारत में लाए गए सोने के आयात के मामले में मोचन, स्वामी या आयातकर्ता को ऐसी वस्तु की स्वतः निर्मुक्ति/मोचन का अधिकार प्रदान नहीं करता, और इसलिए, एक आवश्यक परिणाम के रूप में, अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अलावा जुर्माना अधिरोपित करने के साथ या उसके बिना अधिदत्त किए गए माल की निर्मुक्ति/मोचन को अनुज्ञात करने का निर्णय न्यायनिर्णायक अधिकारी के विवेक में निहित है, जो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह न केवल अपने समक्ष प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, किंतु अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत *पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसम्मत तरीके से* अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य है।

71. विधि के उपरोक्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्येक रिट याचिका पर अलग से विचार करेंगे।

रि.या.(सि.) सं. 8902/2021 (निधि कपूर बनाम प्रधान आयुक्त व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव व अन्य)

72. वर्तमान रिट याचिका में, विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के मूल आदेश के अंतर्गत संबंधित पक्षकारगण को सुनने के पश्चात निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

"9. मेरा मानना है कि सूचना प्राप्तकर्ता का आशय माल पर उद्गृहित सीमा शुल्क के भुगतान से बचने का था, जिसकी उसने गुप्त रूप से निकासी करने और आयात करने की कोशिश की। नोटिस प्राप्तकर्ता को ग्रीन चैनल पार करने के बाद आगमन हॉल के निकास द्वार पर शुल्क्य माल के साथ रोका गया और उसके द्वारा लाए गए शुल्क्य माल का मूल्य जानबूझकर भारतीय सीमा शुल्क घोषणा पर्ची में नहीं भरा गया था और इसकी जानबूझकर और आशयपूर्वक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 77 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष सही और उचित घोषणा नहीं की थी। सूचना प्राप्तकर्ता ने सीमा शुल्क से बचने के आशय से माल की तस्करी करने का प्रयास किया, (क) सीमा शुल्क निकासी के उचित चैनल से बचकर और (ख) माल के साथ ग्रीन चैनल से चलकर और अभिगृहित वस्तुओं के संबंध में कुछ भी घोषित न करके, जो गैर-वास्तविक सामान था और सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा छुपाया गया था।"

73. यद्यपि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि 80:20 नीति को आरबीआई द्वारा वापस ले लिया गया है, साथ ही जैसा कि इस निर्णय में पहले चर्चा की गई है, भारत में सोने के अशर्त आयात को अनुज्ञात करना सरकार की नीति कभी नहीं थी। इसके अलावा, अभिलेख का परिशीलन दर्शाता है कि विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने **शेख मोहम्मद ओमर बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (पूर्वोक्त)** तथा **ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली (पूर्वोक्त)** के मामले में लिए गए निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि विषयगत माल "प्रतिषिद्ध माल" हैं और इसलिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 के अंतर्गत अधिहरण के योग्य हैं। विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा सोने की वस्तुओं को पूर्णतः अधिहृत करने तथा याचिकाकर्ता को इसे निर्मुक्त करने/मोचन करने का कोई

विकल्प दिए बिना शास्ति अधिरोपित करने के निर्णय को अपील प्राधिकरण ने भी बरकरार रखा। याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दिए जाने पर, पुनरीक्षण प्राधिकरण दिनांक 08 जनवरी 2020 के आदेश के अंतर्गत पक्षकारगण को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत विषयगत माल के स्वामित्व को प्रमाणित करने का भार नहीं उठाया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने सीमा शुल्क आयुक्त (एआईआर) चेन्नई-1 बनाम सम्यनाथन मुरुगेसन [2009 (247) ईएलटी (मैड)] के मामले में कुछ न्यायिक घोषणाओं पर भी निर्भरता व्यक्त की, जिसे उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था, साथ ही भारत संघ बनाम एजाज अहमद - 2009 (244) ईएलटी 49 (बॉम्बे) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी निर्भरता रखी। माल के मोचन से इनकार करने और पूर्ण अधिहरण के आदेश के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय को अंततः बरकरार रखा गया। अंत में, यह अभिवचन कि उसी दिन एक अन्य यात्री रिधिमा बजाज को भारी मात्रा में सोने के साथ पकड़ा गया था, किंतु सीमाशुल्क प्राधिकरणों ने उसे निर्मुक्त करने/मोचन को अनुज्ञात कर छोड़ दिया, इसका कोई विधिक परिणाम नहीं है। हर प्रकार से यह स्पष्ट है कि ऐसा निर्णय विधि के विपरीत था, परंतु फिर एक बुरी मिसाल विधिक रूप से याचिकाकर्ता को समान लाभ का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती।

74. इसलिए, बिना किसी विलम्ब के, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि दिनांक 16 सितम्बर 2016 को मूल आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का उचित प्रयोग किया गया था। याचिकाकर्ता का अभिवचन कि उसे इतनी बड़ी मात्रा में लगभग 3100 ग्राम वजन के सोने के सामान उपहार में दिए गए थे, पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि विलेख में न तो कोई स्वीकृति थी और न ही कोई विधिक पवित्रता थी। इसलिए, विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 2 जनवरी 2020 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश से कोई अवैधता, विकृति या गलत दृष्टिकोण नहीं देखा जा सकता है। इसलिए, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

रि.या.(सि.) सं. 9561/2021 (सुप्रिया बनाम भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव व अन्य)

75. वर्तमान रिट याचिका में, विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 15 नवंबर 2017 के मूल आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

“3.2 गलत घोषणा का तथ्य दिनांक 15.05.2015 के पंचमा में अभिलिखित घटनाओं और दिनांक 15.05.2015 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 के अंतर्गत अभिलिखित नोटिस प्राप्तकर्ता के स्वैच्छिक बयान में इसकी स्वीकृति से स्पष्ट है। नोटिस प्राप्तकर्ता ने भारतीय सीमा शुल्क घोषणा पर्ची या सीमा शुल्क अधिकारियों पर अपने कब्जे में विद्यमान सोने की घोषणा किए बिना ग्रीन चैनल पार कर लिया था... नोटिस प्राप्तकर्ता ने

विभिन्न वस्तुओं में सामान छिपाकर गुप्त रूप से माल की निकासी करने का प्रयास किया। मेरा मानना है कि उसने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 77 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

3.3 सोने को सामान में स्वतंत्र रूप से आयात करना अनुज्ञात नहीं है। कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन यात्री द्वारा सोना आयात करने की आज्ञा है। नोटिस प्राप्तकर्ता विदेशी व्यापार (कुछ मामलों में नियमों के आवेदन से छूट) नियम, 1993 के नियम 3(1)(ज) के प्रावधान में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है और इसलिए, वह सोने का आयात करने का हकदार नहीं है।

3.7 इस मामले में आयातित माल को गैर-वास्तविक सामान और प्रतिषिद्ध माल माना गया है। इसे सीमा शुल्क क्षेत्र से हटाने का प्रयास किया जा रहा था और अगर सीमा शुल्क अधिकारियों ने नोटिस प्राप्तकर्ता को अंतर्दूध नहीं किया होता तो यह सफल हो जाता।....

6. मेरा मानना है कि इस मामले में, नोटिस प्राप्तकर्ता भारत में सोना आयात करने के उद्देश्य और आशय के बारे में सीमा शुल्क अधिकारियों को संतुष्ट करने में विफल रही। वह बरामद सोने के वैध कब्जे के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश करने में विफल रही।”

76. इस प्रकार के निष्कर्षों पर पहुंचने में, विद्वान न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ **शेख मोहम्मद ओमर बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (पूर्वोक्त)** के मामले में लिए गए निर्णय तथा **ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली (पूर्वोक्त)** और कुछ अन्य न्यायिक घोषणाओं पर निर्भरता व्यक्त की और तदनुसार सोने की वस्तुओं के पूर्ण रूप से अधिहरण करने का निर्णय किया तथा साथ ही इसे निर्मुक्त करने/मोचन का विकल्प दिए बिना शास्ति अधिरोपित करने का भी निर्णय किया। यद्यपि, उक्त आदेश को अपील प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2018 के आदेश के अंतर्गत अपास्त

कर दिया गया था, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 09 जुलाई 2021 के आदेश के अंतर्गत मूल आदेश को बरकरार रखा और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

-

“7.3 मूल प्राधिकरण ने सही ढंग से कहा है कि इस मामले में, जिन शर्तों के अधीन सोना विधिक रूप से आयात किया जा सकता था, वे पूरी नहीं हुई हैं। इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों के अनुपात के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विषयगत माल "प्रतिषिद्ध माल" हैं। इस प्रकार, आयुक्त (अपील) ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि आक्षेपित सोना प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं है।

9. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अभिनिर्धारित किया है कि आयुक्त (अपील) ने इस गलत निष्कर्ष पर मोचन को अनुज्ञात किया है कि आक्षेपित सोने की छड़ें प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं हैं। आयुक्त (अपील) ने इन सोने की छड़ों के मोचन की आज्ञा देकर मूल प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए गए विवेक में भी गलत तरीके से हस्तक्षेप किया है।”

77. अंत में, माननीय पुनरीक्षण प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के दोषपूर्ण आचरण के साथ-साथ विषयगत माल के मूल्य पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि वह किसी भी प्रकार की उदारता की हकदार नहीं है। इस प्रकार, हम दिनांक 15 नवंबर 2017 को मूल रूप से आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई विधिक दुर्बलता, अवैधता या विकृति नहीं पा सके, जिसके अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने 3000 वजन वाले सोने की वस्तुओं की घोषणा किए बिना 'कस्टम ग्रीन चैनल' को पार कर लिया था, जब उसे निकास द्वार के पास अंतरूद्ध किया गया तो उसने सीमा शुल्क के भुगतान से बचने का प्रयास किया। सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर ले जाए जा

रहे भारी मात्रा में सोने ने याचिकाकर्ता के मामले को अधिनियम की धारा 79 के दायरे और परिधि से बाहर कर दिया और इसे वास्तविक सामान नहीं माना जा सकता था। विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सोने के आयात और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की नीति के साथ-साथ विभिन्न विधिक घोषणाओं पर भी विचार किया है, और इसलिए, सोने की वस्तुओं को पूर्ण रूप से अधिहत करने और याचिकाकर्ता पर शास्ति अधिरोपित करने का सही निर्णय किया है। याचिकाकर्ता की ओर से यह अभिवचन किया गया कि लगभग इतनी ही मात्रा में सोना ले जा रहे विनय गुप्ता नामक एक अन्य यात्री को सीमा शुल्क प्राधिकरण ने छोड़ दिया था, क्योंकि यह एक ऐसी मिसाल थी जिसका कोई अर्थ नहीं था। दो गलत मिसालें एक अधिकार का निर्माण नहीं कर सकतीं। इसलिए विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण तथ्यों और विधि के आधार पर यह अभिनिर्धारित करने में सही थे कि लगभग 3000 ग्राम वजन वाले सोने की वस्तुओं में याचिकाकर्ता का दावा संदिग्ध था और स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज स्पष्ट रूप से गढ़े हुए पाए गए। इसलिए, विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 9 जुलाई 2021 के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका किसी भी गुणागुण रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

रि.या.(सि.) सं. 13131/2022 (सुधा मूर्ति बनाम संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त, आईजीआई हवाई अड्डा, टर्मिनल-3, दिल्ली)

78. वर्तमान रिट याचिका में, विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 01 जनवरी 2021 के मूल आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को इसे निर्मुक्त करने/मोचन करने का कोई विकल्प दिए बिना शास्ति अधिरोपित करने के अलावा सोने की वस्तुओं को पूर्ण रूप से अधिहृत करने का निर्णय किया। अभिलिखित निष्कर्ष निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“7.1..... इस मामले में आयातित माल को गैर-वास्तविक सामान माना गया है क्योंकि इसे बिना किसी घोषणा के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था और यदि सीमा शुल्क अधिकारी ने यात्रियों को अंतरूद्ध नहीं किया होता तो यात्री लागू सीमा शुल्क से बचने में सफल हो जाते। चूंकि सामान नियम, 2016 के नियम 3 के अनुसार केवल वास्तविक सामान पर ही निःशुल्क अनुज्ञात है, इसलिए मेरा मानना है कि यात्रियों को निःशुल्क भत्ते का लाभ उपलब्ध नहीं है।”

79. इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने एफटीडीआर अधिनियम की धारा 7 के साथ-साथ विदेशी व्यापार (कुछ मामलों में नियमों के आवेदन से छूट) संशोधन आदेश, 2017 के नियम 3 (1) (ज) पर टिपण्णी की। यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता एक पात्र यात्री नहीं थी और उसका आशय सीमा शुल्क के भुगतान से बचने का था और यह अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत गलत घोषणा का एक स्पष्ट मामला था। इसे आगे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:-

“8.3 मेरा मानना है कि एक बार अधिहृत किए गए सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 के अंतर्गत भुनाया जा सकता है। इस मामले में, मैं यात्रियों को उक्त सामान के मोचन का विकल्प देने के लिए

इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि यात्री ने न केवल ग्रीन चैनल का उल्लंघन किया परंतु विभाग द्वारा निरुद्ध किए गए माल की चोरी का भी प्रयास किया। यात्रियों का आशय प्रवृत्त शुल्क, जुर्माना और शास्ति का भुगतान करके सामान की निकासी करना नहीं था, परंतु शुल्क का भुगतान किए बिना ग्रीन चैनल के माध्यम से सामान की निकासी करना और फिर चोरी के माध्यम से उसकी निकासी था। इसलिए, यह मामला पूर्ण रूप से अधिहृत करने के लिए उपयुक्त है।”

80. संक्षेप में, दिनांक 01 जनवरी 2021 के मूल आदेश को दिनांक 27 अगस्त 2021 के आदेश के अंतर्गत अपील में बरकरार रखा गया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को भी दिनांक 07 जून 2022 के आक्षेपित आदेश के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया। यह बताना पर्याप्त है कि विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण ने विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लिखे गए कारणों से सहमति व्यक्त करते हुए अभिनिर्धारित किया कि माल प्रतिषिद्ध वस्तुएं थीं और अपील गुणागुण रहित थी।

81. इसलिए, हम पाते हैं कि वर्तमान रिट याचिका में भी विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई दुर्बलता, अवैधता या गलत दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता ने माल की गलत घोषणा की थी और शुल्क के भुगतान से बचने का प्रयास किया था, इतना कि उसने बाद में आभूषण वस्तुओं का एक हिस्सा चुराने का भी प्रयास किया। याचिकाकर्ता विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण के समक्ष स्वामित्व

का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

रि.या.(सि.) सं.531/2022 (श्री जसमीत सिंह चड्ढा बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली)

82. वर्तमान रिट याचिका में, विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने विषयगत माल को पूर्णतया अधिहत करने का आदेश दिया तथा याचिकाकर्ता पर शास्ति अधिरोपित की, जिसकी अपील प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई तथा उसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया। विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए आधार मुख्य रूप से यह थे कि विषयगत माल 'प्रतिषिद्ध वस्तुएँ' नहीं थी और उनके मोचन को अनुज्ञात किया जाना चाहिए था; और यह कि दिनांक 09 सितंबर 2014 का पंचनामा अमान्य था क्योंकि उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे; और यह कि याचिकाकर्ता के जूतों से माल बरामद होने से संबंधित निष्कर्ष गलत था। विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 22 सितंबर 2022 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से मूल आदेश की पुष्टि की जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि:

“6..... इसलिए, यह प्रमाणित करने का भार कि विषयगत सोने की छड़ें तस्करी करके नहीं लाई गई थीं, आवेदक पर है, जो सोना देश में लेकर आया था। इस मामले में छिपाने का तरीका स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदक ने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए अभिग्रहण किए गए सोने की तस्करी करने का प्रयास किया था। इसके अलावा, अभिग्रहण किए गए सोने की छड़ों के वैध आयात को प्रमाणित

करने के लिए कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार, आवेदक धारा 123 के अनुसार उस पर लगाए गए भार का निर्वहन करने में विफल रहा है।

7.3 मूल प्राधिकरण ने सही ढंग से कहा है कि इस मामले में, जिन शर्तों के अधीन सोना विधिक रूप से आयात किया जा सकता था, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। इस प्रकार ऊपर बताई गई विधि का पालन करते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विषयगत माल प्रतिषिद्ध माल है।”

83. माल की निर्मुक्ति/मोचन से इनकार करते हुए, विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने **शेख मोहम्मद ओमर (पूर्वोक्त), ओम प्रकाश भाटिया (पूर्वोक्त), मैसर्स राज ग्रो इम्पेक्स (पूर्वोक्त), मालाबार डायमंड्स (पूर्वोक्त), गर्ग वूलन मिल्स (पूर्वोक्त), पी. सिन्नास्वामी (पूर्वोक्त), राजू शर्मा (पूर्वोक्त) और मंगलम ऑर्गेनिक्स (पूर्वोक्त)** के निर्णयों पर निर्भरता रखी। इसलिए, इस रिट याचिका में, हम पाते हैं कि विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण के दिनांक 22 सितंबर 2021 के आदेश के अनुसार निर्णय जिसके अंतर्गत लगभग 2000 ग्राम वजन वाले माल को पूर्ण रूप से अधिहृत कर लिया गया था और निर्मुक्ति या मोचन के विकल्प के बिना 11 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई थी, विधि में किसी भी विधिक दुर्बलता, विकृति या गलत दृष्टिकोण से ग्रस्त नहीं है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत यह दायित्व निभाने में विफल रहा कि वह विषयगत माल का स्वामी था, और उसने पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे और अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत बयान भी दिया था, जिससे यह स्वीकार किया गया कि वह भारत में सोने की तस्करी कर रहा था। विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अंततः

विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण ने सही अभिनिर्धारित किया कि आवेदक का आशय भारत में माल की तस्करी करना और सीमा शुल्क के भुगतान से बचना था, जो इस बात से स्पष्ट था कि जिस चतुराई से उसने अपने जूतों में माल छुपाया था। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं है और इसे भी खारिज किया जाना चाहिए।

रि.या.(सि.) सं. 8083/2023 (शहनाज मलिक बनाम भारत संघ)

84. वर्तमान रिट याचिका में भी, विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पक्षकारगण की सुनवाई के बाद दिनांक 30 दिसंबर 2016 के मूल आदेश के माध्यम से सही निष्कर्ष निकाला कि नोटिस प्राप्तकर्ता/याचिकाकर्ता का सोने की वस्तुओं की तस्करी करने का आशय, इसे लाने और बिना किसी घोषणा के सीमा शुल्क से बाहर ले जाने के लिए अपनाई गई सरल कार्यप्रणाली से स्पष्ट था। इसके अलावा, यह सही अभिनिर्धारित किया गया कि विषयगत माल अधिनियम की धारा 79 के साथ पठित 2003 के सामान नियम के नियम 3 के अनुसार 'गैर-वास्तविक सामान' है। मूल आदेश में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

“3.8 आयातित माल शुल्क मुक्त दुकान में गुप्त रूप से पाया गया/पड़ा हुआ/रखा गया था, जो नोटिस प्राप्तकर्ता के साथियों द्वारा निकासी के लिए इंतजार कर रहा था, जिसे अंततः नोटिस प्राप्तकर्ता के प्रकटीकरण के अनुसार बरामद किया गया। जैसा कि उसने अपने बयान में स्वीकार किया है, उसने शुल्क का भुगतान किए बिना ग्रीन चैनल पार करने का आशय रखा, मैसर्स एआईएसएटीएस के कर्मचारियों की मिलीभगत से माल की

तस्करी करने की कोशिश की। इस प्रकार अपराध की संगठित प्रकृति और माल की तस्करी के लिए मनमौजी आशय से किया गया, यह अभिवचन कि उसे सोने की घोषणा करने का मौका नहीं दिया गया, हमारे बचाव में नहीं आती है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि दूसरा पैकेट उसने पहले ही अपने साथियों की मदद से हवाईअड्डे से बिना किसी घोषणा और सीमा शुल्क के भुगतान के निकाल लिया था। इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अधिहत करने योग्य है। इसके अलावा धारा 77 के अंतर्गत गलत घोषणा पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और इसे स्थापित किया जा चुका है। इसलिए, धारा 111 (ठ) और (ड) के अंतर्गत प्रस्तावित अधिहरण न्यायोचित है और पैरा 3.2 में घटनाओं के तथ्यों और अनुक्रमों को ध्यान में रखते हुए इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

6. मैंने निर्धारित किया कि नोटिस प्राप्तकर्ता का आशय माल पर लगने वाले सीमा शुल्क के भुगतान से बचने का था, जिसे उसने गुप्त रूप से आयात करने और इसकी निकासी करने की कोशिश की। नोटिस प्राप्तकर्ता को ग्रीन चैनल पार करने के बाद आगमन हॉल के निकास द्वार पर शुल्क्य माल के साथ रोका गया था और उसके द्वारा लाए गए शुल्क्य माल का मूल्य जानबूझकर भारतीय सीमा शुल्क घोषणा पर्ची में नहीं भरा गया था और सोच-समझकर और जानबूझकर सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष सही और उचित घोषणा नहीं की थी, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 77 के अंतर्गत आवश्यक है... इसलिए पाया गया कि वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 और धारा 114कक के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।”

85. उपर्युक्त उल्लेखित निर्धारण विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिनका वर्तमान मामले पर प्रभाव पड़ा था, अर्थात्, **शेख मोहम्मद ओमर (पूर्वोक्त), ओम प्रकाश भाटिया (पूर्वोक्त), जसवीर कौर [2009 (241) ईएलटी 0521 (ट्राई)], अल्फ्रेड मेनेजेस (पूर्वोक्त) और नाइन स्टार एक्सपोर्ट्स (पूर्वोक्त)**। याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण आवेदन में उक्त मूल

आदेश और अपील में भी इस आधार पर विरोध किया कि सोने के आयात पर प्रतिषेध नहीं था और मोचन जुर्माने के भुगतान पर इसे जारी करना अनुज्ञात किया जाना चाहिए था। हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा सोने को पूर्ण रूप से अधिहत करने और याचिकाकर्ता को इसे निर्मुक्त करने/मोचन का विकल्प दिए बिना जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश देने का निर्णय किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है। हमें यह अभिनिर्धारित करने में भी कोई संकोच नहीं है कि विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 14 जुलाई 2021 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण आवेदन को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया। यह सही रूप से अवलोकन किया गया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत गलत घोषणा स्पष्ट रूप से संस्थापित थी और याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि वह कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रही कि उसके पास से बरामद सोना तस्करी का नहीं था।

86. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका भी गुणागुण रहित है और खारिज किये जाने योग्य है।

न्या. यशवंत वर्मा (सम्मत निर्णय)

87. मुझे अपने आदरणीय भाई न्या. शर्मा द्वारा लिखी गई विस्तृत राय को पढ़ने का लाभ मिला है, जिन्होंने तथ्यों के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को भी बहुत विस्तार से संबोधित किया है। राय न केवल उन विधिक मुद्दों को

सही ढंग से समाहित करती है जो इन रिट याचिकाओं में उठाए गए हैं, परंतु याचीगण द्वारा उठाई गई मौलिक चुनौती का भी सही ढंग से जवाब देती है। इस प्रकार भाई न्या. शर्मा द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्वीकृति और पुष्टि की सराहना करते हैं और मैं इस सम्मत निर्णय की राय के संदर्भ में औपचारिक रूप से इसे अभिलिखित करता हूं। यद्यपि, उठाए गए सवालों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं तैयार किए गए निर्धारण और निर्णय के समर्थन में निम्नलिखित कारणों को स्वतंत्र रूप से अभिलिखित करना उचित समझता हूं।

88. इन रिट याचिकाओं में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या सोने को "प्रतिषिद्ध माल" की श्रेणी में माना जाना चाहिए और परिणामस्वरूप इसका मोचन और निर्मुक्ति **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962⁷¹** की धारा 125 के अंतर्गत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्ति के विवेकाधीन प्रयोग के अधीन है। याचीगण का प्रतिवाद है कि चूंकि इस वस्तु को आयात के लिए विशेष रूप से प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, इसलिए इसे उस व्यक्ति के हाथों में छोड़ना अनिवार्य हो जाता है जिसके कब्जे या हिरासत से सोने का अभिग्रहण किया गया था। उक्त मुद्दा स्वयं उस विवेक के संदर्भ में उठता है जो अधिनियम की धारा 125 के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में निहित है, जो यह मानता है कि ऐसा अधिकारी प्रतिषिद्ध माल के मामले में उस प्रावधान द्वारा लगाए गए वैधानिक दायित्व के विपरीत अधिहरण के बदले में

⁷¹ अधिनियम

मोचन जुर्माने का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करके उसे निर्मुक्त सकता है और जो यह अनिवार्य करता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अन्य सभी श्रेणियों के मालों को छोड़ देगा। इस प्रश्न का उत्तर प्रतिषिद्ध माल की परिभाषा और अधिनियम में निहित विभिन्न अन्य प्रावधानों के साथ-साथ **विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992⁷²** के संदर्भ में परीक्षित किया जाना चाहिए।

89. याचीगण की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्तागण के साथ-साथ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र श्री तरुण गुलाटी ने आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 11 या एफटीडीआर की धारा 3(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के संदर्भ में सोने को नकारात्मक सूची में रखे जाने की अनुपस्थिति में, इसे प्रतिषिद्ध माल की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। विद्वान न्यायमित्र श्री गुलाटी ने धारा 11 में प्रयुक्त भाषा पर जोर दिया है जो प्रतिषेध, पूर्ण या अन्यथा की बात करती है, केवल तभी अस्तित्व में माना जाता है जब उक्त आशय का संकेत देने वाली अधिसूचना विधिवत रूप से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई हो, जैसा कि कानून के अंतर्गत परिकल्पित है। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, उपरोक्त स्थिति एफटीडीआर की धारा 3(2) को पढ़ने पर भी पुष्ट होती है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा माल के आयात को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या अन्यथा विनियमित करने के लिए एक आदेश पारित

⁷² एफटीडीआर

करने और ऐसे आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की परिकल्पना की गई है।

90. विद्वान न्यायमित्र ने आगे प्रस्तुत किया कि एफटीडीआर की धारा 3(3) में स्पष्ट रूप से अनुबद्ध है कि उप-धारा (2) के अंतर्गत एक बार आदेश दिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे माल को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध माना जाएगा। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, **शेख मोहम्मद उमर बनाम सीमा शुल्क⁷³** और **ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त⁷⁴** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय आयातित वस्तु को प्रतिषिद्ध माल की श्रेणी में आने से पहले अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता की अनवेक्षा करते हुए आगे बढ़े। यह बताया गया कि *शेख मोहम्मद उमर* का निर्णय एफटीडीआर के लागू होने से पहले दिया गया था, जबकि *ओम प्रकाश भाटिया* का निर्णय एफटीडीआर के लागू होने के बाद दिया गया था, और किसी भी मामले में, **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973⁷⁵** की धारा 18 की पृष्ठभूमि में, जिसमें भी निर्बंधनों और प्रतिषेधों की बात कही गई थी, जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लागू होंगे।

91. इस समय यह ध्यान रखना उचित होगा कि जहां तक एफईआरए की धारा 18 का संबंध है, जो प्रतिषेध लगाया गया था, वह निर्यातकर्ता के लागू

⁷³ 1970(2) एससीसी 728

⁷⁴ (2003) 6 एससीसी 161

⁷⁵ एफईआरए

निर्यात शर्तों का अनुपालन करने के दायित्व से संबंधित था। यह धारा 18 की भाषा से स्पष्ट है जो इस प्रकार है: -

“18. निर्यात की गई वस्तुओं के लिए भुगतान। (1)(क) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी वस्तुओं या किसी भी माल या माल के वर्ग को भारत से भूमि, समुद्र या वायु द्वारा (इसके बाद इस धारा में निर्यात के रूप में संदर्भित) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी स्थान पर ले जाने या भेजने पर प्रतिषेध लगा सकती है, जब तक कि निर्यातकर्ता विहित प्राधिकरण को निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है जो ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित है जैसा कि विहित या निर्दिष्ट किया जा सकता है और सभी महत्वपूर्ण विवरणों में सत्य है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि शामिल होगी -

(i) माल का पूर्ण निर्यात मूल्य; या

(ii) यदि निर्यात के समय माल का पूर्ण निर्यात मूल्य पता लगाने योग्य नहीं है, तो वह मूल्य जिसे निर्यातकर्ता, प्रचलित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विदेशी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त करने की प्रत्याशा करता है, और उक्त घोषणा में यह पुष्टि करता है कि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य (चाहे निर्यात के समय पता लगाने योग्य हो या नहीं) विहित अवधि के भीतर विहित तरीके से भुगतान किया गया है या किया जाएगा.....”

92. जैसा कि धारा 18 के परिशीलन से स्पष्ट होगा, केंद्र सरकार को उस संबंध में जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट माल के वर्ग सहित सभी या किसी भी माल के निर्यात को प्रतिषिद्ध करने का अधिकार है, जब तक कि निर्यातकर्ता ने विहित प्राधिकरण को उस प्रावधान में परिकल्पित शर्तों के अनुसार घोषणा प्रस्तुत न की हो। इस प्रकार धारा 18 संरचनात्मक रूप से स्पष्ट रूप से अलग

है और प्रतिषिद्ध माल की व्यवस्था से भी अलग है जो अधिनियम की धारा 2(33) में सन्निहित है। वास्तव में, एफईआरए ने प्रतिषिद्ध माल हेतु एक परिभाषित प्रावधान भी शामिल नहीं किया।

93. अब विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर लौटते हुए, हम देखते हैं कि *शेख मोहम्मद उमर* मुख्य रूप से **आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947⁷⁶** की धारा 3 के प्रावधानों से निपट रहा था, जिसमें "प्रतिषेध, निर्बंधन या अन्यथा नियंत्रण" जैसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया था। *शेख मोहम्मद उमर* एक ऐसा निर्णय था, जिसमें धारा 3 के संदर्भ में एक आदेश विधिवत प्रख्यापित किया गया था। यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 6 से स्पष्ट है, जहां उच्चतम न्यायालय ने 1947 अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955⁷⁷** के प्रख्यापन पर ध्यान दिया था। दिनांक 07 दिसंबर 1955 के आदेश के अनुसार, पशुओं के आयात हेतु केंद्र सरकार द्वारा आयातकर्ता को अनुज्ञप्ति और सीमा शुल्क निकासी परमिट दिया जाना आवश्यक था। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में ही उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 111 (घ) की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि इसमें हर प्रकार का प्रतिषेध शामिल हो, चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक।

⁷⁶ 1947 अधिनियम

⁷⁷ 1955 का आदेश

94. श्री गुलाटी के अनुसार, *ओम प्रकाश भाटिया* ने *शेख मोहम्मद उमर* का अनुसरण करते हुए एफईआरए और एफटीडीआर द्वारा लाए गए वैधानिक व्यवस्था में बदलाव को ध्यान में नहीं रखा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री गुलाटी ने प्रतिवाद किया कि *शेख मोहम्मद उमर* और *ओम प्रकाश भाटिया* के दोनों निर्णयों में **बेकर ग्रे एंड कंपनी लिमिटेड व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य⁷⁸** में उच्चतम न्यायालय के पहले के निर्णय को ध्यान में नहीं रखा गया। *बेकर ग्रे* में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया: -

“4. यद्यपि, श्री बिंद्रा ने आग्रह किया कि इन मामलों में, बोर्ड ने यह भी पाया कि घोषणाएँ और भी गलत थीं क्योंकि माल को बेचा हुआ घोषित किया गया था, जबकि उन्हें बिना बिके माल के रूप में परेषण के आधार पर निर्यात किया जा रहा था, और घोषणाओं में यह भी कहा गया था कि माल का पूरा निर्यात मूल्य दर्शाया गया मूल्य है, न कि यह कहा गया कि यह बिना बिके माल का उचित मूल्यांकन था। बोर्ड द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष, निस्संदेह, दर्शाते हैं कि जीआरआई में बनाए गए नियमों के अंतर्गत की जाने वाली घोषणाओं में गलत जानकारी थी; परंतु गलत सूचना उन बिंदुओं से संबंधित है जिन पर धारा 12(1) के अंतर्गत घोषणा की आवश्यकता नहीं है। एक घोषणा, जो नियमों या नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों का उल्लंघन करती है, उसे अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के उल्लंघन पर समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अधिनियम की धारा 23-क के अंतर्गत, अधिनियम की धारा 12(1) द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों का ही उल्लंघन समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 19 द्वारा लगाए गए निर्बंधनों का उल्लंघन माना जाएगा। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत किए गए नियमों के उल्लंघन में गलत घोषणा को समुद्री सीमा

⁷⁸ (1970) 1 एससीसी 352

शुल्क अधिनियम की धारा 19 द्वारा लगाए गए किसी निर्बंधन का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि, इन मामलों में, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 167(8) के अंतर्गत दंड अधिरोपित करना पूर्ण रूप से अनुचित था। परिणामस्वरूप, इन अपीलों को जुर्माने के साथ अनुज्ञात किया जाता है, तथा समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 167(8) के अंतर्गत दंड अधिरोपित करने वाले न्यायनिर्णायक अधिकारी और बोर्ड के आदेशों को अपास्त किया जाता है। यदि जुर्माना वसूला गया है, तो उसे वापस किया जाएगा।"

95. यद्यपि, यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि *बेकर ग्रे* का प्रतिपादन समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 19 के संदर्भ में किया गया था, और जिसे निम्नलिखित शब्दों में विरचित किया गया था: -

"19. माल के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की शक्ति - केंद्र सरकार समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के माल को समुद्र या स्थल मार्ग से [भारत] में या बाहर [केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित किसी सीमा शुल्क सीमा के पार] लाने या ले जाने पर प्रतिषेध या निर्बंधन लगा सकती है।"

96. उल्लेखनीय है कि **समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878** की धारा 19 को धारा 2(33) से अलग तरीके से लिखा गया था क्योंकि इसमें विशेष रूप से "प्रतिषेध या निर्बंधन" करने की शक्ति का उल्लेख किया गया था। श्री गुलाटी ने प्रयाग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त⁷⁹ में अधिकरण के निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया था, जहां फुटवियर परेषण के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के आधार पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित

⁷⁹ आदेश दिनांक 18.08.2000, अपील सं. सी/195-वी/2000-बीओएम (सीईजीएटी, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई)

अधिहरण आदेश की वैधता से निपटते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:

-

"2. इस अधिकरण का निरंतर यह मत रहा है कि अधिनियम की धारा 113 का खंड (घ) ऐसे मामलों में लागू नहीं होता क्योंकि माल का निर्यात प्रतिषिद्ध नहीं था। यह अधिकरण के बद्रीप्रसाद प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई, 1995 (80) ईएलटी 624, शिल्पी एक्सपोर्ट बनाम सीसीई, 1996 (83) ईएलटी 302 में लिए गए निर्णय में लिया गया मत है, जिसमें से केवल दो का ही उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं कि पिछले निर्णय के विरुद्ध एक अपील को उच्चतम न्यायालय ने 2000 (115) ईएलटी ए219 में अभिलिखित करके खारिज कर दिया है।"

97. यह इंगित किया गया कि अधिकरण के उपरोक्त दृष्टिकोण को **आयुक्त बनाम प्रयाग एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड⁸⁰** मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया था और इसकी पुष्टि की गई थी, जैसा कि उस निर्णय के निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट होता है: -

"2. यह अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण, पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ, मुंबई द्वारा अपील सं. सी/195-वी/2000-बॉम में दिनांक 18-8-2000 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके अंतर्गत अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उसने सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 113 का खंड (घ) प्रतिषिद्ध माल के मामलों में लागू होगा और वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। बेशक, प्रश्नगत माल निर्यात हेतु प्रतिषिद्ध नहीं है और उक्त माल पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण से, आक्षेपित निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह अपील खारिज की जाती है।"

⁸⁰ (2007) 12 एससीसी 401

98. श्री गुलाटी ने उपरोक्त पृष्ठभूमि में कहा कि समय के संदर्भ में पहले दिए गए निर्णयों में यह सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया गया था कि किसी विशिष्ट प्रतिबंध के अभाव में, कोई प्रतिषेध कल्पित नहीं माना जा सकता। यद्यपि यह बताया गया कि ओम प्रकाश भाटिया ने जो एफईआरए की धारा 18 के संदर्भ में दिया था, उसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी: -

"7. इसके बाद - चूंकि माल के अधिहरण का आदेश अधिनियम की धारा 113 (घ) को संदर्भित करके पारित किया जाता है, इसलिए हम उसी को संदर्भित करेंगे। यह इस प्रकार है:

"113. अनुचित तरीके से निर्यात किए जाने का प्रयास किए गए माल आदि का अधिहरण - निम्नलिखित निर्यात माल अधिहृत किए जा सकेंगे -

(घ) किसी माल को निर्यात करने का प्रयास किया गया हो या निर्यात के प्रयोजन हेतु किसी सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लाया गया हो, जो इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किए गए किसी प्रतिषेध के विपरीत हो;"

8. उपर्युक्त धारा प्राधिकरण को अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत अधिरोपित किसी भी "प्रतिषेध" के विपरीत निर्यात किए जाने वाले किसी भी माल को अधिहृत करने का अधिकार प्रदान करती है। इसलिए, उक्त प्रावधान के प्रवर्तन हेतु, यह संस्थापित करना आवश्यक है कि माल के निर्यात का प्रयास किसी भी विधि के अंतर्गत अधिरोपित किसी भी प्रतिषेध के विपरीत था।

9. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 2(33) में "प्रतिषिद्ध माल" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"2. (33) 'प्रतिषिद्ध माल' से ऐसा माल अभिप्रेत है जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम या किसी अन्य समय तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी प्रतिषेध के अधीन है, किन्तु इसमें ऐसा कोई माल सम्मिलित नहीं है जिसके संबंध में उन शर्तों का अनुपालन किया गया है जिनके अधीन उस माल का आयात या निर्यात करने की अनुमति है;"

10. उपर्युक्त परिभाषा से यह कहा जा सकता है कि: (क) यदि अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत माल के आयात या निर्यात पर कोई प्रतिषेध है, तो इसे प्रतिषिद्ध माल माना जाएगा; और (ख) इसमें ऐसा कोई माल शामिल नहीं होगा जिसके संबंध में उन शर्तों का अनुपालन किया गया है, जिनके अधीन माल का आयात या निर्यात किया जाता है। इसका अर्थ यह होगा कि यदि माल के आयात या निर्यात के लिए विहित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे प्रतिषिद्ध माल माना जाएगा। यह धारा 11 से भी स्पष्ट होगा जो केंद्र सरकार को अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी निर्दिष्ट विवरण के माल के आयात या निर्यात को या तो "पूर्ण रूप से" या "ऐसी शर्तों के अधीन" प्रतिषिद्ध करने का अधिकार प्रदान करती है, जो कि अधिसूचना में निर्दिष्ट हो सकती हैं। अधिसूचना उप-धारा (2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी की जा सकती है। इसलिए, आयात या निर्यात का प्रतिषिद्ध माल की निकासी से पहले या बाद में पूरी की जाने वाली कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकता है। यदि शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो यह प्रतिषिद्ध माल हो सकता है। यह इस न्यायालय द्वारा *एसके. मोहम्मद ओमर बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर* [(1970) 2 एससीसी 728] में भी स्पष्ट किया गया है, जिसमें यह प्रतिवाद किया गया था कि धारा 111 (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "प्रतिषेध" को पूर्ण प्रतिषेध माना जाना चाहिए और यह अभिव्यक्ति आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड (3) द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों को अपने दायरे में नहीं लाती है।"

99. विद्वान न्यायमित्र ने बताया कि वर्तमान बैच में प्राप्त तथ्यों के विपरीत, *ओम प्रकाश भाटिया* एक ऐसे मामले से संबंधित थे, जिसमें एफईआरए की धारा 18 के अंतर्गत एक विशिष्ट अधिसूचना जारी की गई थी। फिर हमारा ध्यान **आयुक्त बनाम सुरेश झुनझुनवाला⁸¹** के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया, जहाँ फिर से, श्री गुलाटी के अनुसार, प्रतिषेध और निर्बधन के मध्य विभेद को उचित रूप से प्रकाशित किया गया था, जैसा कि उस निर्णय के निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट होगा: -

“14. प्रतिषिद्ध माल की परिभाषा बहुत व्यापक है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत न केवल उन वस्तुओं का आयात या निर्यात आता है जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रतिषेध के अधीन हैं, परंतु तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि भी आती है।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण ने इस मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया है। इस प्रकार, अधिहरण करने की शक्ति दोनों ही स्थितियों में उत्पन्न होगी।

16. *प्रयाग एक्सपोर्टर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम सीमाशुल्क आयुक्त* [(2000) 121 ईएलटी 819 (सीईजीएटी)] में अधिकरण ने इस आधार पर कार्यवाही की कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 113 का खंड (घ) उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां माल का निर्यात प्रतिषिद्ध है (नहीं)। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में अधिकरण ने *बद्री प्रसाद एंड संस (प्रा.) लिमिटेड बनाम सीमाशुल्क कलेक्टर* [(1995) 80 ईएलटी 624 (सीईजीएटी)] और *शिल्पी एक्सपोर्टर्स बनाम सीमाशुल्क कलेक्टर* [(1996) 83 ईएलटी 302 (सीईजीएटी)] में अपने दो पहले के निर्णयों को संदर्भित किया।

⁸¹ (2007) 12 एससीसी 391

18. यद्यपि, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी पीठ ने *ओम प्रकाश भाटिया* [(2003) 6 एससीसी 161: (2003) 155 ईएलटी 423] मामले पर विस्तार से विचार किया और राय दी कि निर्यातकर्ताओं को माल का मूल्य घोषित करना अनिवार्य है। एक विस्तृत निर्णय में, इस न्यायालय ने न केवल सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा, किंतु विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं को भी ध्यान में रखा। न्यायालय ने राय दी कि माल के निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए अधिनियम की धारा 2(41) में परिभाषित "मूल्य" शब्द के अर्थ का संदर्भ लेना आवश्यक है और इसे धारा 14 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है: (एससीसी पृष्ठ 169, पैरा 16)

“16. धारा 14 में विशेष रूप से प्रावधान है कि निर्यात के उद्देश्य से मूल्य निर्धारण के मामले में, मूल्य का निर्धारण उस कीमत पर किया जाना चाहिए जिस पर ऐसे या समान माल को आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान निर्यात के स्थान पर बेचा या बिक्री के लिए पेश किया जाता है, जहां विक्रेता और खरीदार का एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई हित नहीं होता है और कीमत ही बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल होती है। निस्संदेह, धारा 14 माल पर लगाने वाले सीमा शुल्क या टैरिफ के उद्देश्य से माल के मूल्य का निर्धारण करने के लिए लागू होगी। इसके अलावा, धारा 2 की उप-धारा (41) के अंतर्गत दिए गए माल के निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए इसका संदर्भ लिया जाना चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए। यह निर्यात किए जाने वाले माल की शुल्क निर्धारणीयता के किसी भी प्रश्न से स्वतंत्र है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या शिपिंग बिल में निर्यात मूल्य सही रूप से दर्शाया गया है, भले ही कोई शुल्क देय न हो, निर्यात किए जाने वाले माल

के सही निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए इसका संदर्भ लिया जा सकता है।”

19. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 18 के साथ उपर्युक्त प्रावधान के तत्वों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित कथन के साथ विधि निर्धारित की गई: (एससीसी पृष्ठ 169, पैरा 18)

“18. (क) निर्यातकर्ता को माल का पूर्ण निर्यात मूल्य (निर्यातित माल के लिए बिक्री प्रतिफल) घोषित करना होगा।

(ख) निर्यातकर्ता को यह पुष्टि करनी होगी कि माल का पूरा निर्यात मूल्य विहित रीति से प्राप्त किया जाए।

(ग) यदि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य ज्ञात नहीं है, तो वह मूल्य जो निर्यातकर्ता को विदेशी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त होने की उम्मीद है।

(घ) निर्यातकर्ता को माल का सही या सही निर्यात मूल्य घोषित करना होता है, अर्थात् माल का सही बिक्री प्रतिफल। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मानदंड वह मूल्य है जिस पर ऐसे या अन्य माल आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं, जहां विक्रेता और खरीदार का एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई हित नहीं होता है और कीमत बिक्री या बिक्री के लिए पेशकश के लिए एकमात्र प्रतिफल है।

20. यह न्यायालय यहीं नहीं रुका, परंतु उसने विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) नियम, 1993 के नियम 11 के प्रावधान पर भी विचार किया, जिसमें कहा गया: (एससीसी पृष्ठ 170, पैरा 20)

“20. इसलिए, ऐसे मामलों में जहां निर्यात मूल्य सही ढंग से नहीं बताया गया है, परंतु किसी अन्य उद्देश्य के लिए जानबूझकर अधिक बिलिंग की गई है, अर्थात् माल के वास्तविक बिक्री मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह माल के

आयात/निर्यात की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। इसका उद्देश्य धन-शोधन या कोई अन्य उद्देश्य हो सकता है, परंतु यह निश्चित रूप से अवैध/अनधिकृत धन लेनदेन के समान होगा। किसी भी मामले में, निर्यात माल की अधिक बिलिंग के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में अवैध/अनियमित लेनदेन होगा।"

21. यह सत्य हो सकता है कि उक्त निर्णय एक ड्रॉबैक योजना से संबंधित मामले से संबंधित था, परंतु इस न्यायालय द्वारा एक अलग धारा की व्याख्या करने वाले निर्णय को, हमारी राय में, केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि *प्रयाग एक्सपोर्ट्स* [(2007) 12 एससीसी 401: (2003) 155 ईएलटी 4 (एससी)] में उसी पीठ का निर्णय डीईपीबी योजना से संबंधित होने के कारण लागू होता है। हमारी राय में, इस प्रश्न पर "प्रतिषिद्ध माल", "माल के प्रवेश" की परिभाषा के प्रावधानों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

25. हमारे द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, हम इस मामले के तथ्यात्मक विवाद में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हमारे विचार से, अधिकरण को इस मामले पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए था, अर्थात्, क्या प्रत्यर्थीगण ने विदेशी मुद्रा विनियमन के प्रावधानों का उल्लंघन किया है या नहीं। अधिकरण द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के संबंध में कि प्रत्यर्थीगण ने माल का अधिक मूल्यांकन नहीं किया था, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि निर्यात माल के मूल्य के बारे में कोई विशेषज्ञ राय नहीं दी गई थी, अधिकरण ने उन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जो जांच के दौरान अभिलिखित किए गए थे, जिस पर आयुक्त ने निर्भरता रखी।

26. इसलिए, हमारा मानना है कि आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील अनुज्ञात

की जाती है। मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए अधिकरण को भेजा जाता है। कोई जुर्माना नहीं।"

100. विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, **सीमा शुल्क आयुक्त, न्यू कस्टम्स हाउस, मुंबई बनाम विशाल एक्सपोर्ट्स ओवरसीज लिमिटेड,⁸² तथा गुरचरण सिंह बनाम डीआरआई⁸³** में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को उन मामलों के विशिष्ट तथ्यों के साथ इस पहलू के साथ समझा जाना चाहिए कि वे **2010 के अधिनियम 25** के आधार पर एफटीडीआर की धारा 3(4) को शामिल किए जाने से पहले दिए गए थे। धारा 3(4) में अनुबद्ध है कि किसी भी माल के आयात या निर्यात के लिए किसी परमिट या अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी और न ही किसी भी माल को आयात के लिए प्रतिषिद्ध किया जाएगा, सिवाय इसके कि उपरोक्त कानून के अंतर्गत बनाए गए नियम या आदेश द्वारा इसकी आवश्यकता हो। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, उपरोक्त प्रावधान जो मौलिक महत्व का है, इस विषय पर दिए गए विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट रूप से इसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया है और इसलिए इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा अधिकारपूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए।

101. विद्वान न्यायमित्र ने हमारे विचारार्थ, **सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अतुल ऑटोमेशन (प्रा.) लिमिटेड⁸⁴** मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए

⁸² (2007) 9 एससीसी 168

⁸³ (2008) 17 एससीसी 28

⁸⁴ (2019) 3 एससीसी 539

निर्णय की भी सराहना की, जिसमें विधिक स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया था: -

“6. हमने पक्षकारगण की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया है। एमएफडी का आयात अक्टूबर-नवंबर 2016 में किया गया था। उन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों ने निरुद्ध कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि आयात विदेशी व्यापार नीति, 2015-2020 के उल्लंघन में किया गया था, जिसे विदेशी व्यापार अधिनियम की धारा 3 और 5 और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत विरचित किया गया था।

7. विदेशी व्यापार नीति के खंड 2.01 में आयात और निर्यात पर प्रतिषेध और निर्बंधन का प्रावधान है। खंड 2.08 के अन्तर्गत निर्बंधित वस्तुओं का निर्यात या आयात केवल खंड 2.11 के अन्तर्गत प्राप्त प्राधिकरण/आज्ञा के अनुसार ही किया जा सकता है। फोटोकॉपियर मशीनें/डिजिटल मल्टी-फंक्शन प्रिंट और कॉपी मशीनें निर्बंधित वस्तुएँ हैं, जिन्हें खंड 2.31 के अन्तर्गत प्राधिकरण के विरुद्ध आयात किया जा सकता है। निस्संदेह, प्रत्यर्थीगण के पास उनके आयात के लिए आवश्यक प्राधिकार नहीं था। इसलिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा परेषण को निरुद्ध करना प्रथम दृष्टया अनुचित नहीं कहा जा सकता। केवल इसलिए कि पहले एक से अधिक अवसरों पर प्रत्यर्थी या अन्य लोगों की समान परेषणों को कलकत्ता, चेन्नई या कोचीन पतनों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मोचन जुर्माने के भुगतान पर मंजूरी दी गई हो सकती है, वर्तमान माल के लिए भी उपचार की समानता की मांग करने का औचित्य नहीं हो सकता। यह प्रतिवाद कि डीजीएफटी ने ऐसा प्राधिकरण जारी करने से मना कर दिया था, न्यायालय को अपील नहीं करता।

8. दुर्भाग्यवश, आयुक्त और अधिकरण दोनों ने विदेशी व्यापार अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया। इससे निपट रहे उच्च न्यायालय ने उचित रूप से देखा है कि विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के नियम 17(2) के साथ धारा 11(8) और (9) अधिनियम, नियमों या आदेशों

के उल्लंघन की स्थिति में माल को अधिहत करने का प्रावधान करते हैं, परंतु माल के बाजार मूल्य के बराबर मोचन शुल्क के भुगतान पर इसे छोड़ा जा सकता है। विदेशी व्यापार अधिनियम की धारा 3(3) में प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई भी प्रतिषेध आदेश यथावश्यक परिवर्तनों सहित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत भी माना जाएगा। विदेशी व्यापार अधिनियम की धारा 18-क में कहा गया है कि यह अन्य विधियों के अतिरिक्त है न कि उनका उल्लंघन करता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 प्राधिकरण को अधिहरण के बदले जुर्माना लगाने का विवेकाधिकार प्रदान करती है। एमएफडी पर प्रतिषेध नहीं लगाया गया, परंतु आयात हेतु निर्बंधित वस्तुएं दी गईं। इसलिए विदेशी व्यापार अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के वैधानिक प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन बाजार मूल्य के भुगतान पर बिना प्राधिकरण के आयातित ऐसे निर्बंधित माल के मोचन से अलग नहीं होगा। प्रतिषेध और निर्बंधित के मध्य एक बुनियादी अंतर मौजूद होगा। इसलिए हमें उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए अधिकरण के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं दिखती है कि प्रत्यर्थी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 (क) के अंतर्गत जुर्माने के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर बाजार मूल्य के भुगतान पर माल के मोचन का हकदार था।

11. अवैध यातायात से निपटने वाले अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के नियम 15 में प्रावधान है कि "अन्य अपशिष्टों" का आयात अवैध माना जाएगा यदि यह नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार की अनुमति के बिना है और इसे फिर से निर्यात करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि सीमा शुल्क अधिनियम में पुनः निर्यात का प्रावधान नहीं है। विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने प्रतिषेध नहीं लगाया है, किंतु प्राधिकरण के अधीन आयात को निर्बंधित किया है। इसलिए उच्च न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया कि एमएफडी की उपयोगिता अवधि होने पर, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी उपयोगिता अवधि समाप्त होने के बाद ही उत्पन्न होगी। किसी भी स्थिति

में, ई-अपशिष्ट नियम, 2016 का प्रमाण पत्र तब से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्यर्थीगण को जारी किया गया था, जब तक कि माल की निकासी नहीं हो गई थी।"

102. श्री गुलाटी ने प्रस्तुत किया कि *अतुल ऑटोमेशन उच्चतम न्यायालय* द्वारा दिया गया पहला निर्णय है, जिसमें अधिनियम और एफटीडीआर के मध्य परस्पर क्रिया पर ध्यान दिया गया था। विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि *अतुल ऑटोमेशन* ने उपर्युक्त दो विधियों में निहित प्रावधानों के संचयी विचार पर विधिक स्थिति को सही ढंग से स्पष्ट किया है और इस प्रकार निर्बंधन और प्रतिषेध के बीच अंतर को सही ढंग से पहचाना और प्रतिपादित किया है।

103. विद्वान न्यायमित्र ने **सिटी ऑफिस इक्विप्मेंट्स बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (बंदरगाह-आयात), चेन्नई⁸⁵** में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया, जिसमें निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की गई थीं: -

"13. दुर्भाग्यवश, अधिनियम में "निर्बंधित माल" की परिभाषा नहीं दी गई है। परंतु "प्रतिषिद्ध माल" की परिभाषा में ही यह संकेत निहित है कि "निर्बंधित माल" को किस प्रकार समझा जाना चाहिए।

14. धारा 2(33) पर ध्यानपूर्वक दृष्टि डालने से पता चलता है कि प्रतिषिद्ध माल को भी कुछ नियमों और शर्तों के अधीन आयात या निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है। जैसे ही उन शर्तों का अनुपालन किया जाता है, वे माल प्रतिषिद्ध माल नहीं रह जाते। यही कारण है कि धारा 2(33) के दूसरे भाग में शामिल अपवर्जन खंड में "ऐसा कोई भी माल" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सीमा शुल्क अधिनियम केवल दो प्रकार के माल को मान्यता प्रदान करता

⁸⁵ 2014 एससीसी ऑनलाइन मैड 13005

हैं: (1) वे जो प्रतिषिद्ध हैं; और (2) वे जो प्रतिषिद्ध नहीं हैं। यह अधिनियम इस तथ्य को भी मान्यता प्रदान करता है कि प्रतिषिद्ध माल को भी कुछ शर्तों के अधीन आयात या निर्यात किया जा सकता है। यदि वे शर्तें पूरी होती हैं, तो प्रतिषिद्ध माल स्वतः ही गैर- प्रतिषिद्ध माल बन जाएगा।

15. अधिनियम की धारा 11 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी निर्दिष्ट प्रकार के माल के आयात या निर्यात की मंजूरी से पहले या बाद में पूर्णतः या ऐसी शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध करने का अधिकार प्रदान करती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा क(क) में "अवैध आयात" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि इसका अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी माल का आयात करना है।

23. इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि जिन माल का आयात विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत निर्बंधित है, उन्हें प्रतिषिद्ध माल माना जाना चाहिए, माल के मोचन पर कोई वर्जन नहीं है: (1) या तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125(1) के अंतर्गत अधिहरण के बदले जुर्माना अदा करने पर; या (2) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11(9) के अंतर्गत मोचन शुल्क अदा करने पर।

104. इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च न्यायालय ने अंततः जो निष्कर्ष निकाला, वह यह था कि प्रतिषिद्ध माल का भी आयात किया जा सकता है, बशर्ते कि लागू शर्तें पूरी की जाएं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यदि वे शर्तें पूरी की जाती हैं, तो प्रतिषिद्ध माल स्वतः ही "गैर- प्रतिषिद्ध माल" बन जाएंगे।

105. इसके बाद भारत संघ बनाम राज ग्रो इम्पेक्स⁸⁶ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, विद्वान न्यायमित्र ने उस निर्णय के निम्नलिखित अंशों पर जोर दिया: -

“146. जैसा कि देखा गया है, उक्त अधिसूचनाओं द्वारा कवर की गई वस्तुओं की केवल विशेष निर्बंधित मात्रा का ही आयात किया जा सकता था और वह भी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत। इसलिए, अनुज्ञप्ति के अंतर्गत सीमा (जैसे 1.5 लाख मीट्रिक टन) के भीतर कोई भी आयात निर्बंधित माल का आयात है, परंतु अधिसूचनाओं द्वारा प्रदान की गई सीमा से अधिक माल का प्रत्येक आयात निर्बंधित माल का नहीं परंतु स्पष्ट रूप से प्रतिषिद्ध माल का आयात है।

148. शेख मोहम्मद ओमर (पूर्वोक्त) के मामले में, एक विशेष घोड़ी को 'पालतू पशु' नहीं पाया गया और इसलिए, इसका आयात, आयात नियंत्रण आदेश का उल्लंघन पाया गया। यद्यपि, यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि घोड़ों या घोड़ियों का आयात इस प्रकार से प्रतिषिद्ध नहीं था। सवाल यह था कि क्या इस प्रकार का आयात करके अपीलार्थी ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के साथ पठित धारा 111 (घ) का उल्लंघन किया है। इस सवाल का जवाब देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आयात या निर्यात पर कोई भी निर्बंधन एक हद तक प्रतिषेध है; और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (घ) में "किसी भी प्रतिषेध" की अभिव्यक्ति में निर्बंधन शामिल हैं। इस न्यायालय ने आगे रेखांकित किया कि "किसी भी प्रतिषेध" का अर्थ प्रत्येक प्रतिषेध है; और निर्बंधन भी एक प्रकार का प्रतिषेध है।

⁸⁶ 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 429

155. इस प्रकार, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि प्रश्नगत माल, दिनांक 29.03.2019 की अधिसूचनाओं और दिनांक 16.04.2019 के व्यापार नोटिस के उल्लंघन में आयात किया गया है; और अनुमेय मात्रा से अधिक और बिना अनुज्ञप्ति के आयात किया गया है, इसलिए सीमा शुल्क अधिनियम के प्रयोजन हेतु 'प्रतिषिद्ध माल' है।

158. उपर्युक्त प्रावधान के पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'प्रतिषिद्ध माल' और 'अन्य माल' के मध्य स्पष्ट विभेद किया गया है। जैसा कि सही ढंग से बताया गया है, धारा 125 का उत्तरार्द्ध भाग अधिहृत किए गए माल (अर्थात्, प्रतिषिद्ध माल के अलावा) को मोचन जुर्माने के विरुद्ध निर्मुक्त करने के लिए बाध्य करता है, परंतु इस प्रावधान का पिछला भाग प्रतिषिद्ध माल के संबंध में ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखता है; और यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह अधिहरण के बदले जुर्माना अदा करने का विकल्प दे सकेगा। इस प्रावधान में यह अंतर्निहित है कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसा विकल्प देने का विकल्प नहीं चुनता है, तो परिणाम पूर्ण अधिहरण होगा। वर्तमान मामलों में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने जुर्माना अधिरोपित करने के साथ अधिहरण के बदले जुर्माना अदा करने का विकल्प दिया था, जबकि अपील प्राधिकरण ने विवेकाधिकार के इस प्रयोग में त्रुटियाँ पाई हैं और जुर्माना राशि में वृद्धि के साथ पूर्ण अधिहरण का आदेश दिया है। यह हमें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125(1) के पहले भाग में उपलब्ध विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए लागू किए जाने वाले सिद्धांतों की ओर ले जाता है।

176. जैसा कि देखा गया है, विवेकाधिकार का प्रयोग एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रयोग है, जिसे तर्कसंगत और सावधानी से किया जाना चाहिए और इसे विधि द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए; तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार होना चाहिए; और प्रासंगिक विचारों पर आधारित होना चाहिए। खोज यह पता लगाने के लिए होनी चाहिए कि क्या उचित है। इसके

अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले एक अधिकारी को, धारा 125 द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय, यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा प्रयोग ऐसी शक्ति के प्रदत्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए हो। प्रतिषिद्ध माल के संबंध में इस प्रकार के विवेकाधिकार को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास छोड़ने के पीछे का उद्देश्य, जाहिर है, यह सुनिश्चित करना है कि माल की निर्मुक्ति या पूर्ण अधिहरण हेतु अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्ष और विपक्ष को तौला जाएगा।

178. यह जानने के लिए किसी विवरण की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान मामलों में शामिल प्रतिषेध, एक निश्चित मात्रा से अधिक वस्तुओं के आयात को अनुज्ञात न करना, एक साधारण प्रतिषेध नहीं था। यह एक ओर किसानों और दूसरी ओर आयातकर्ताओं के हितों को संतुलित करने की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रदान किया गया था। घरेलू बाजार में इन प्रतिषिद्ध माल के किसी भी प्रवाह का देश की बाजार अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। पिछले वर्ष अंतरिम आदेशों की आड़ में इस प्रकार के अनुचित आयातों के व्यापक प्रभाव को इस न्यायालय ने *एबीकस* (पूर्वोक्त) में पर्याप्त रूप से देखा था। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि आयात वास्तविक नहीं थे और आयातकर्ताओं द्वारा केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए थे।

184. इक्विटी का आह्वान करने वाली प्रस्तुतियों के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि इक्विटी की विभिन्न ऐसी विशेषताओं को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा, दिनांक 28.08.2020 के मूल आदेशों में और उच्च न्यायालय द्वारा, माल को निर्मुक्त करने का निर्देश देते समय दिनांक 15.10.2020 के आक्षेपित आदेश में ध्यान में रखा गया था। हमने पहले ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अननुमोदित कर दिया है। इसलिए, इन आयातकर्ताओं द्वारा इक्विटी के नाम पर किसी उदारता का दावा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, इन

मामलों में इक्विटी के किसी भी आह्वान को *एग्रीकास* (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा वास्तविक आयात के दावे की विशिष्ट अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए अन्यथा भी खारिज कर दिया गया है। एक बार जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि एक विशेष कार्रवाई सद्भावना की कमी है, तो अपराधी उसी कार्रवाई के संबंध में इक्विटी में किसी भी राहत का दावा नहीं कर सकता है। दावेदार में सद्भावना का अभाव और उसकी इक्विटी का दावा असंगत रहता है और एक साथ टिक नहीं सकता।

185. हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से यह स्पष्ट सुझाव कि दालों की मांग और आपूर्ति गतिशील है और प्रकृति में स्थिर नहीं है, को केवल अस्वीकार कर दिया गया है। हमारे विचार में, मांग और आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य रूप से सरकार के नीतिगत निर्णय का मामला है। आयातकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण के साथ कोई इक्विटी का दावा नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि किसी भी कारण से, विषयगत माल का कोई परेषण जारी किया गया है, तो ऐसी निर्मुक्ति विधि के अनुरूप नहीं थी और उस आधार पर कोई इक्विटी का दावा नहीं किया जा सकता है।”

106. श्री गुलाटी ने कहा कि *राज ग्रो इम्पेक्स* मामले में लिए गए निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए कि यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक विशिष्ट आदेश के संदर्भ में दिया गया था और यह एफटीडीआर की धारा 3(2) के अंतर्गत आता है। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, *अतुल ऑटोमेशन* और *राज ग्रो इम्पेक्स* मामले में दिए गए उपरोक्त निर्णय विधि में सही स्थिति को दर्शाते हैं और परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 11 या एफटीडीआर की धारा 3(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले

किसी उत्पाद के अभाव में, इसे प्रतिषिद्ध माल की परिधि से बाहर माना जाना चाहिए।

107. श्री गुलाटी ने आगे प्रस्तुत किया कि, निर्विवाद रूप से, सोना और सोने की वस्तुओं को **सामंजस्यपूर्ण प्रणाली पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण**⁸⁷ के अध्याय 71 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रासंगिक अवधि के दौरान आईटीसी (एचएस) ने केवल इतना विहित किया था कि सोने का आयात **भारतीय रिजर्व बैंक**⁸⁸ विनियमन के अधीन होगा। विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि महत्वपूर्ण रूप से आईटीसी (एचएस) ने स्वयं सोने को "मुक्त" श्रेणी में वर्गीकृत किया है। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, एक बार जब आईटीसी (एचएस) ने सोने को उन वस्तुओं की श्रेणी में रखा है जिन्हें स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है, तो उक्त वस्तु को प्रतिषिद्ध माल की श्रेणी में आने का कोई औचित्य नहीं होगा।

108. विद्वान न्यायमित्र ने हमारा ध्यान **विदेशी व्यापार नीति**⁸⁹, 2015-20 के निम्नलिखित भागों की ओर भी आकर्षित किया, जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की मंशा को दर्शाता है कि जब तक कोई विपरीत निर्देश लागू नहीं होता, तब तक सभी आयातों को मुक्त घोषित किया जाए। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, चूंकि एफटीपी, 2015-20 में ही आयातों को डिफॉल्ट रूप से मुक्त माना गया

⁸⁷ आईटीसी(एचएस)

⁸⁸ भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई)

⁸⁹ एफटीपी

है, इसलिए अधिनियम की धारा 2(33) को निर्बंधन या विनियमन के रूप में व्याख्या करने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। एफटीपी, 2015-20 के प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

“2.01 निर्यात और आयात - 'मुक्त', जब तक कि विनियमित न हो

(क) निर्यात और आयात 'मुक्त' होंगे, सिवाय इसके कि जब इन्हें 'प्रतिषेध', 'निर्बंधन' या 'राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से अनन्य व्यापार' के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जैसा कि निर्यात और आयात के भारतीय व्यापार वर्गीकरण (समन्वित प्रणाली) [आईटीसी (एचएस)] में निर्धारित किया गया है..."

109. श्री गुलाटी ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थागण द्वारा जिन विभिन्न परिपत्रों और अधिसूचनाओं का उल्लेख किया गया है, उन्हें अधिनियम की धारा 11 या एफटीडीआर की धारा 3(2) द्वारा रखी गई आवश्यकताओं के समान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन परिपत्रों को उन प्रावधानों में परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार जारी अधिसूचनाओं के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। श्री गुलाटी ने प्रस्तुत किया कि किसी निर्बंधन को विधिक रूप से लागू करने के लिए, आरबीआई के लिए **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934⁹⁰** की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वैधानिक विनियमन के माध्यम से इसे लागू करना अनिवार्य होगा। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, किसी परिपत्र को अधिसूचना या विनियमन हेतु वैध प्रतिस्थापन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

⁹⁰ 1934 का अधिनियम

110. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि अधिक मौलिक रूप से, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आरबीआई अनिवार्य रूप से भारत से किए जाने वाले भुगतानों और मौद्रिक नीति के विनियमन से संबंधित केंद्रीय बैंकिंग कार्यों के निर्वहन से संबंधित है। विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि आरबीआई के पास आयात को अनुज्ञात करने, विनियमित करने या निर्बंधित करने की अधिकारिता या प्राधिकार नहीं है। आरबीआई द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रकाशित करने और माल के आयात या निर्यात से संबंधित न होने के उद्देश्य से, हमारा ध्यान कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **आयुक्त सीमा शुल्क बनाम श्री एक्सपोर्ट्स⁹¹** में दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया गया। उस निर्णय के प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

“6. हमने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है। विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 भारत में आयात को सुविधाजनक बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ाने के द्वारा विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन और इसके साथ जुड़े या इसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है। अधिनियम की धारा 3 आयात और निर्यात से संबंधित प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित है। धारा 3 (2) केंद्र सरकार को सभी मामलों में या किसी विशिष्ट श्रेणी के खंडों में और ऐसे अपवादों के अधीन, यदि कोई हो, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा प्रौद्योगिकी की माल या सेवाओं के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने, निर्बंधित करने या अन्यथा विनियमित करने का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 3(4) में प्रावधान है कि किसी अन्य विधि, नियम,

⁹¹ दिनांक 16.10.2020 का निर्णय, सीएसटीए सं. 13/2019

विनियमन, अधिसूचना या आदेश में निहित पूर्वाग्रह के बिना, माल के आयात या निर्यात हेतु कोई परमिट या अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं होंगे और न ही किसी माल को आयात या निर्यात हेतु प्रतिषिद्ध किया जाएगा, सिवाय इसके कि जैसा कि इस अधिनियम, या नियमों, या इसके अंतर्गत बनाए गए आदेशों के अंतर्गत आवश्यक हो। अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विदेशी व्यापार नीति बना सकती है और उसे संशोधित भी कर सकती है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई विदेशी व्यापार नीति में वैधानिक बल होता है।

7. इस नीति के पैरा 2.01 में प्रावधान है कि निर्यात और आयात मुक्त होंगे, सिवाय इसके कि जब राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से प्रतिषेध, निर्बंधन या विशेष व्यापार के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जैसा कि निर्यात और आयात के भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) में निर्धारित किया गया है। पैरा 2.01 डीजीएफटी को उक्त पैरा में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अधिसूचना के माध्यम से निर्यात और आयात पर निर्बंधन अधिरोपित करने का अधिकार प्रदान करता है। योजना का पैरा 4.41 नामित अभिकरणों से संबंधित है। इस प्रकार, विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार नीति में अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अथवा विदेशी व्यापार नीति के पैरा 2.07 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके डीजीएफटी द्वारा संशोधन किया जा सकता है। माल के आयात के संबंध में वर्गीकरण में मुक्त से निर्बंधित तक का परिवर्तन केवल संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है तथा डीजीएफटी द्वारा परिपत्र जारी करके ऐसा नहीं किया जा सकता है।

9. इस प्रकार, जिस तिथि को सोने के पदक आयात किए गए थे, अर्थात् दिनांक 3-7-2017 को कोई निर्बंधन नहीं था और निर्बंधन केंद्र सरकार

द्वारा दिनांक 25-8-2017 की अधिसूचना के माध्यम से अधिरोपित किया गया था, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी द्वारा आयात किए गए सोने के पदक के आयात के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं था।

10. इसी प्रकार, सोने के दानों का आयात दिनांक 21-9-2017 को किया गया और उसके बाद डीजीएफटी ने दिनांक 18-12-2019 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा आयात नीति में संशोधन किया गया और किसी भी रूप में सोने को केवल बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के माध्यम से और अन्य अभिकरणों के लिए डीजीएफटी द्वारा आयात करने को अनुज्ञात किया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जिस तिथि को सोने के दाने आयात किए गए थे, अर्थात् दिनांक 21-9-2017 को, इसके आयात पर कोई निर्बंधन नहीं था और बाद में दिनांक 18-12-2019 को अधिसूचना के माध्यम से दिनांक डीजीएफटी द्वारा इसे अधिरोपित किया गया था। इस प्रकार, जब सोने के पदक और सोने के दाने आयात किए गए, तो वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य थे और बाद में उन्हें निर्बंधित श्रेणी में लाया गया।

11. प्रत्यर्थी का मामला यह नहीं है कि वह एक नामित अभिकरण है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र वहां लागू होते हैं जहां सोना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित नामित बैंकों और डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों द्वारा आयात किया जाता है। सोने के पदक और सोने के दाने क्रमशः सीटीएच 7114 19 10 और 7108 13 00 के अंतर्गत आते हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र उस स्थिति में लागू होते हैं जब उसके द्वारा नामित बैंक सोना आयात करते हैं। इस स्तर पर, सोने के आयात नीति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय को भेजे गए दिनांक 18-6-2019 के संचार के प्रासंगिक उद्धरण का संदर्भ लेना उचित है, जो निम्नानुसार है:

सीमाशुल्क की पूछताछ	केंद्रीय कार्यालय का प्रत्युत्तर
(क) क्या आरबीआई सामान्य रूप से वस्तुओं के आयात/निर्यात और विशेष रूप से सोने के कर्णों के आयात को विनियमित कर सकता है। यदि हाँ, तो विनियमन के तौर-तरीकों की जानकारी दें।	किसी भी वस्तु (सोने के दानों के आयात सहित) के आयात/निर्यात का विनियमन वाणिज्य मंत्रालय/डीजीएफटी के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह समय के प्रासंगिक बिंदुओं के अनुसार प्रचलित निर्यात-आयात नीति/विदेशी व्यापार नीति द्वारा शासित होता है। विदेशी व्यापार नीति 2015-20 के प्रासंगिक पैरा (विशेष रूप से पैरा 2.07, पैरा 2.08 और पैरा 4.37) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

12. इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं स्पष्ट किया है कि सोने के कर्णों के आयात सहित किसी भी वस्तु के आयात/निर्यात का विनियमन वाणिज्य मंत्रालय/डीजीएफटी के अधिकार क्षेत्र में है और यह प्रासंगिक समय पर प्रचलित निर्यात-आयात नीति/विदेशी व्यापार नीति द्वारा शासित है।"

111. विद्वान न्यायमित्र ने हमारे विचारार्थ एक विस्तृत टिप्पणी भी प्रस्तुत की है, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत प्रश्न पर व्यक्त किए गए भिन्न-भिन्न विचारों को दर्शाया गया है। **भार्गवराज रमेशकुमार मेहता बनाम भारत संघ⁹²** मामले में, तस्करी किए गए माल के प्रश्न पर विचार करते हुए तथा क्या यह प्रतिषिद्ध माल की परिभाषा के अंतर्गत आता है, इस पर विचार करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में इसका उत्तर दिया:-

"15. हमें याद होगा कि इस संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का प्रतिवाद था कि संबंधित समय पर सोना स्वतंत्र रूप से आयात किया जा

⁹² तटस्थ उद्धरण सं.2018:GUJHC:2473-डीबी

सकता था। सोने के आयात पर प्रतिषेध नहीं था। इसलिए याचिकाकर्ता का मामला धारा 112 के खंड (ii) के अंतर्गत आएगा और जिस शुल्क से बचने की मांग की गई है, उसका 10% से अधिक जुर्माना अधिरोप्य नहीं है। इस प्रकार के प्रतिवाद का परीक्षण ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों के आलोक में किया जाना चाहिए। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 111 में विभिन्न परिस्थितियों के लिए प्रावधान है, जिसमें भारत के बाहर किसी स्थान से लाया गया माल अधिहृत किया जा सकता है। धारा 111 के खंड (घ) के अनुसार, जो माल आयात किया जाता है या आयात करने का प्रयास किया जाता है या आयात के लिए सीमा शुल्क क्वार्टरों के भीतर लाया जाता है, जो अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अधिरोपित किसी भी प्रतिषेध के विपरीत है, अधिहरण हेतु उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार, किसी भी प्रकार से किसी भी वाहन में छिपाए गए शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल के लिए भी अधिहरण उत्तरदायी होगा। धारा 2(39) के अनुसार 'तस्करी' शब्द का अर्थ किसी भी माल के संबंध में होगा, कोई भी कार्य या चूक जो ऐसे सामान को धारा 111 या धारा 113 के अंतर्गत अधिहरण हेतु उत्तरदायी बनाती है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 माल को छिपाने के किसी भी प्रयास और विहित शुल्क की घोषणा और भुगतान के बिना भारत के क्षेत्र में लाने पर प्रतिषेध लगाती है। धारा 2(33) के अंतर्गत परिभाषित 'प्रतिषिद्ध माल' शब्द का अर्थ है कोई भी माल, जिसका आयात या निर्यात अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी प्रतिषेध के अधीन है, परंतु इसमें ऐसा कोई माल शामिल नहीं है जिसके संबंध में उन शर्तों का अनुपालन किया गया है जिनके अधीन माल को आयात या निर्यात करने की अनुमति है। इसलिए, यह परिभाषा दो भागों में आती है। परिभाषा का पहला भाग 'प्रतिषिद्ध माल' शब्द की व्याख्या इस प्रकार करता है कि इसका अर्थ है वे माल, जिनका आयात या निर्यात विधि के अंतर्गत किसी प्रतिषेध के अधीन है। दूसरा भाग प्रकृति में बहिष्करणीय है और 'प्रतिषिद्ध माल' शब्द से उन वस्तुओं को बाहर करता है, जिनके संबंध में उन शर्तों का अनुपालन किया गया है जिनके अधीन माल को आयात या निर्यात करने की अनुमति है। 'प्रतिषिद्ध माल' शब्द की परिभाषा से, उन माल के मामले में, जिनके

आयात की अनुमति है, उन्हें इस शर्त की संतुष्टि के अधीन बाहर रखा जाएगा कि निर्यात के लिए शर्तों का अनुपालन किया गया है। इसलिए आवश्यक निहितार्थ के अनुसार, उन माल के मामले में, जिनका आयात सशर्त है, प्रतिषिद्ध माल की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे यदि ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

16. इस संबंध में और स्पष्टता तब उपलब्ध होगी जब कोई 'शुल्क्य माल' शब्द का उल्लेख करता है, जिसका अर्थ है कोई भी माल जो शुल्क के अधीन है और जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। हम इस परिभाषा का उल्लेख करते हैं क्योंकि धारा 112 उन माल के संबंध में अंतर करती है जिनके संबंध में कोई प्रतिषेध अधिरोपित किया गया है और प्रतिषिद्ध माल के अलावा शुल्क्य माल। जब धारा 112 के खंड (ii) में प्रतिषिद्ध माल के अलावा शुल्क्य माल का उल्लेख होता है, तो इसका संदर्भ आवश्यक रूप से उन माल से होगा, जिनका आयात प्रतिषिद्ध नहीं है या जिनका आयात शर्तों की पूर्ति के अधीन अनुमेय है और ऐसी शर्तों का अनुपालन किया गया है। शुल्क्य माल की घोषणा, उनका निर्धारण और सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान देश के भीतर शुल्क्य माल के आयात के लिए एक मौलिक और आवश्यक शर्त है। माल की तस्करी का प्रयास इन सभी शर्तों का उल्लंघन होगा। जब स्पष्ट रूप से माल को किसी अन्य माल में छिपाकर भारत के क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाती है, जिस पर कोई शुल्क नहीं या कम शुल्क हो सकता है, तो माल के आयात की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन होता है, हालांकि माल का आयात प्रतिषिद्ध नहीं हो सकेगा"

112. **मोहम्मद हारून बनाम अतिरिक्त महानिदेशक, डीआरआई⁹³** मामले में मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) ने महत्वपूर्ण रूप से टिप्पणी की कि सोना आयात की प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं है, परंतु यह एक विनियमित या निर्बंधित

⁹³ रि.या.(एमडी) सं. 3917 और 3918/2020 और डब्ल्यूएमपी(एमडी) सं.5459/2021 (मैड एचसी) में दिनांक 26.04.2021 का निर्णय

वस्तु की श्रेणी में आएगा। *मोहम्मद हारून* ने **मालाबार डायमंड गैलरी बनाम अतिरिक्त महानिदेशक, डीआरआई⁹⁴** मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए समान दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:-

“7. शुरुआत में यह प्रस्तुति दी गई थी कि चूंकि याचीगण भारत में प्रतिषिद्ध माल लाए थे, इसलिए उन्हें फिर से निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्हें केवल अधिहृत किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, याचीगण सोने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ले जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक सामान स्पष्ट रूप से प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं हैं। घोषणा करने और लागू सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद उन्हें मंजूरी दी जा सकती है। सोना भी आयात हेतु प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं है। यह केवल विनियमित/निर्बंधित श्रेणी में आएगा। बेशक, मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 2016 (341) ईएलटी 65 (मैड.) (*मालाबार डायमंड गैलरी प्रा. लिमिटेड बनाम एडिशनल डायरेक्टर जनरल, राजस्व खुफिया निदेशालय, चेन्नई*) में अभिलिखित निर्णय में कहा कि हालांकि सोने को प्रतिषिद्ध माल में से एक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, परंतु जब उन शर्तों का पालन करने में विफलता होती है जिनके अधीन माल आयात किया जाना है, तो वे अधिहरण हेतु उत्तरदायी हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) में "प्रतिषिद्ध माल" को परिभाषित किया गया है। खंडपीठ ने कहा कि प्रावधान की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि सोना देश में आयात किया जाने वाला सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध माल नहीं है। धारा 11क(क) में "अवैध आयात" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम या किसी अन्य विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी माल का आयात किया जाता है। खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 2(33) की व्याख्या करते समय धारा 11क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

⁹⁴ 2016 एससीसी ऑनलाइन मैड 19597

है। यदि अधिसूचनाओं में निर्धारित प्रतिबंधात्मक शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो प्राधिकरण इस आधार पर आगे बढ़ने के लिए बाध्य हैं कि प्रतिषिद्ध माल आयात किया गया है।”

113. यद्यपि, **आयुक्त बनाम उमा शंकर वर्मा**⁹⁵ मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सोना एक प्रतिषिद्ध वस्तु है। उस निर्णय के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:-

“11. इस प्रकार, विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सोना एक प्रतिषिद्ध वस्तु है? दिनांक 27 अक्टूबर, 1997 को एक सार्वजनिक सूचना सं. 51 जारी की गई, जो इस प्रकार है:

“दिनांक 1 जून, 1994 की सार्वजनिक सूचना सं. 214/(पीएन)/92-97 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति के बिना सोने और चांदी के आयात को अनुज्ञात किया गया था। अध्याय 71 में आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के कॉलम 4 के साथ पठित निर्यात और आयात नीति 1997-2002 के पैराग्राफ 4.11 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी व्यापार महानिदेशक एतद्वारा अधिसूचित करते हैं कि अधिसूचना 80/97 में उल्लिखित ये नामित अभिकरण, आईटीसी (एचएस) की निम्नलिखित प्रविष्टियों के संबंध में अनुज्ञप्ति के बिना या एसआईएल के समर्पण के बिना भी घरेलू बाजार में बिक्री के लिए सोना और चांदी का आयात कर सकते हैं:

निर्यात और आयात वस्तुओं का वर्गीकरण 1997-2002:-

सोना:

710812 00 अन्य अप्रचलित रूप।”

⁹⁵ एपीटी सं.105/1999 (कैल एच.सी.) में दिनांक 10.05.1999 का निर्णय

12. इसे दिनांक 4 नवम्बर, 1997 की सार्वजनिक सूचना सं. 54 द्वारा संशोधित किया गया, जो इस प्रकार है:-

"उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 अक्टूबर, 1997 की सार्वजनिक सूचना सं. 51/(पीएन)/97-02 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सोने और चांदी के आयात की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/वित्त मंत्रालय द्वारा नामित और अधिकृत अभिकरणों को दी जाएगी। यह भी अधिसूचित किया जाता है कि विशेष आयात अनुज्ञप्ति (एसआईएल) के अभ्यर्पण के बिना ऐसे अभिकरणों द्वारा सोने और चांदी के आयात के लिए सीमा शुल्क का भुगतान और एसआईएल के अभ्यर्पण के विरुद्ध अन्य आयातकर्ताओं द्वारा भी ऐसे सीमा शुल्क के भुगतान पर भारतीय रुपए में किया जाएगा, जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

यह जनहित के मुद्दे हैं।"

13. इसलिए, यह स्पष्ट है कि सोने का आयात केवल विशेष आयात अनुज्ञप्ति के आधार पर या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत अभिकरणों द्वारा ही किया जा सकता है।

14. रिट याचिकाकर्ता/प्रत्यर्थी का पूरा मामला यह है कि उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से सोना खरीदा है जो बिक्री के लिए था। उक्त प्रश्न अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है और इसलिए हमें इस कार्यवाही में इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न का निर्धारण वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया जाना होगा।

15. सीमा शुल्क अधिनियम और 1992 अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त 1992 अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार एक विधिक कल्पना बनाई गई है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सोना प्रतिषिद्ध वस्तु के

दायरे में आएगा। जैसा कि सर्वविदित है, एक विधिक कल्पना को अपना पूरा प्रभाव देना चाहिए। *गजराज सिंह व अन्य बनाम राज्य परिवहन अपील अधिकरण व अन्य* में 1997 (1) एससीसी 650 में अभिलिखित की गई, इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित गया है -

"विधिक कल्पना वह है जो वास्तविक वास्तविकता नहीं है और जिसे विधि मान्यता प्रदान करती है और न्यायालय वास्तविकता के रूप में स्वीकार करती है। इसलिए, विधिक कल्पना के मामले में न्यायालय किसी ऐसी चीज के अस्तित्व पर विश्वास करता है जो वास्तव में विद्यमान नहीं है। यह कुछ और नहीं किंतु मामलों की स्थिति के अस्तित्व की धारणा है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। इस प्रकार की विधिक कल्पना का प्रभाव यह है कि एक स्थिति जो अन्यथा प्राप्त नहीं होती, वह परिस्थितियों के अंतर्गत प्राप्त मानी जाती है।"

16. *आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम उर्मिला रमेश* मामले में 1998 (3) एससीसी 6 में शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की थी:-

"भले ही अधिनियम की धारा 41(2) में "समझा गया" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसा कि 1922 अधिनियम की धारा 10(2) (vii) के दूसरे प्रावधान में किया गया है, फिर भी यह प्रावधान एक विधिक कल्पना बनाता है जिसके अंतर्गत लिखित मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को सबसे पहले आय के रूप में माना जाता है और दूसरे को व्यवसाय या पेशे से आय के रूप में माना जाता है और तीसरे को पिछले वर्ष की आय माना जाता है जिसमें देय राशि बकाया हो गई थी। यह धारा एक विधिक कल्पना बनाती है, यह इस न्यायालय द्वारा *कैम्बे इलेक्ट्रिक* मामले में अभिनिर्धारित किया गया है जहाँ (आईटीआर पृष्ठ 93 पर) यह निम्नानुसार था: (एससीसी पृष्ठ 654, पैरा 7)

"यह सत्य है कि धारा 41(2) के अंतर्गत बनाई गई विधिक कल्पना द्वारा पुरानी मशीनरी या इमारत

की बिक्री से उत्पन्न संतुलन शुल्क को आय के रूप में माना जाता है और इसे कर के दायरे में लाया जाता है; दूसरे शब्दों में, विधिक कल्पना राजस्व को पिछले वर्षों में मूल्यहास भत्ते के रूप में जो कुछ भी दिया गया था उसे वापस लेने में सक्षम बनाती है क्योंकि पिछले वर्षों में जो दिया गया था वह उससे अधिक था जो दिया जाना चाहिए था। यह दर्शाता है कि यह कल्पना 'व्यावसायिक आय' शीर्षक के अंतर्गत करदाता की कर योग्य आय की गणना के उद्देश्य से बनाई गई है। विद्वान महासॉलिसिटर ने सही ढंग से बताया कि विधिक कल्पनाएँ केवल एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और उन्हें उस उद्देश्य तक सीमित रखा जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें बनाया गया है और उन्हें उनके वैध क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। परंतु, जैसा कि पहले उपदर्शित किया गया है, धारा 41(2) के अंतर्गत कल्पना 'व्यावसायिक आय' शीर्षक के अंतर्गत करदाता की करयोग्य आय की गणना के उद्देश्य से बनाई गई है और धारा 80-इ(1) के अंतर्गत, अनुमेय विशेष कटौती की गणना करने और उसे अनुमति देने के लिए, अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार कुल आय की गणना की जानी आवश्यक है और ऐसी कटौती की अनुमति देने के बाद कर के लिए प्रभार्य शुद्ध करयोग्य आय निर्धारित की जानी है; दूसरे शब्दों में, धारा 41(2) के अंतर्गत विधिक कल्पना और निर्दिष्ट उद्योगों के मामले में विशेष कटौती का अनुदान एक-दूसरे के साथ इतने निकटता से जुड़े हुए हैं कि धारा 80-ई(1) के अंतर्गत 8% कटौती की गणना करने से पहले संतुलन प्रभार (यानी समझा गया लाभ) को ध्यान

में रखना विधिक कल्पना को उस उद्देश्य की सीमाओं के भीतर विस्तारित करने के समान होगा जिसके लिए उक्त कल्पना बनाई गई है।"

हम श्री रणबीर चंद्रा की इस प्रस्तुति से सहमत नहीं हैं कि *कैम्बे इलेक्ट्रिक* मामले में धारा 41 (2) की भाषा का संदर्भ केवल आनुषंगिक था। यह उस मामले में अधिनियम की धारा 41 (2) के अर्थ और प्रभाव से स्पष्ट है, जो कि यह था। 1922 अधिनियम की धारा 10 (2) (vii) दूसरा प्रावधान और अधिनियम की धारा 41 (2) दोनों ही भाषा में अंतर के बावजूद एक विधिक कल्पना पैदा करते हैं।"

17. *एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर* 1998 (99) ईएलटी 486 (एससी) = (1998) 9 एससीसी 404 मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

"4. इस प्रावधान के कारण एक विधिक कल्पना निर्मित हुई है। तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत निर्धारित की गई कीमत को माल की सामान्य कीमत के रूप में लिया जाना चाहिए। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में, दिनांक 18-10-1978 की अधिसूचना निर्धारित कीमत को अपीलार्थी द्वारा निर्मित एल्यूमीनियम छड़ों की सामान्य कीमत के रूप में लिया जाना चाहिए।"

18. इस मामले को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की उपधारा 2(33) में निहित प्रतिषिद्ध माल की परिभाषा महत्वहीन हो जाती है।

19. उपर्युक्त कारणों से इसमें कोई संदेह नहीं रह सकता कि सोना एक प्रतिषिद्ध वस्तु है जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के प्रथम भाग के अंतर्गत आता है।

20. श्री कपूर ने सीईजीएटी, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, बॉम्बे की पूर्ण पीठ के *हसमुख दलपतराय गणात्रा एवं अन्य बनाम सीमाशुल्क कलेक्टर, बॉम्बे* में 1987 (30) ईएलटी 782 में अभिलिखित निर्णय पर निर्भरता रखी कि

वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि माल वैध आयात अनुज्ञप्ति द्वारा कवर किया गया था और इस प्रकार उन्हें प्रतिषिद्ध माल नहीं माना गया। यह उस स्थिति में था जब *शेख मोहम्मद ओमर (पूर्वोक्त)* में शीर्ष न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने अलग रखा था, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 के खंड (घ) पर विचार करते समय यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिषेध पूर्ण या आंशिक हो सकता है और आयात या निर्यात पर कोई भी निर्बंधन एक हद तक प्रतिषेध की ओर ले जाता है।"

114. मद्रास उच्च न्यायालय ने **सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई बनाम समीनाथन मुरुगेसन⁹⁶** मामले में *ओम प्रकाश भाटिया* मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए प्रतिपादित किया कि एक बार जब आयात की शर्तों का पालन नहीं किया गया और सोना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा था जो पात्र यात्री नहीं था, तो यह स्पष्ट रूप से प्रतिषिद्ध माल की श्रेणी में आएगा। उक्त उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

"7. धारा 11 केंद्र सरकार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करके किसी विनिर्दिष्ट दिशा के माल के आयात या निर्यात की मंजूरी से पहले या बाद में पूर्णतः या ऐसी शर्तों के पूरा होने के अधीन प्रतिषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है।

8. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत छूट अधिसूचना 31/2003 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"जीएसआर (ई). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

⁹⁶ 2009 एससीसी ऑनलाइन मैड 819

प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.171/94-सीमा शुल्क, दिनांक 30 सितंबर, 1994 का अधिक्रमण करते हुए, जो भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 733(ई), दिनांक 30 सितंबर, 1994 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट विवरण के और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले माल को छूट देती है, जब किसी पात्र यात्री द्वारा भारत में आयात किया जाता है, तो उस पर उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क के उतने भाग से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, तथा उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्गृहित संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से।

(2) छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:-

शुल्क का भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।

किसी भी रूप में आयातित सोने की मात्रा प्रति पात्र यात्री दस किलोग्राम से अधिक नहीं होगी, और सोना या तो भारत में आने के समय पात्र यात्री द्वारा ले जाया जाता है या भारत में आने के पंद्रह दिनों के भीतर उसके द्वारा आयात किया जाता है।.....

“स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु, "पात्र यात्री" का तात्पर्य भारतीय मूल के यात्री या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अधीन जारी वैध पासपोर्ट रखने वाले यात्री से है, जो विदेश में कम से कम छह महीने रहने के बाद भारत

आ रहा है; और छह महीने की उक्त अवधि के दौरान पात्र यात्री द्वारा की गई लघु यात्राओं, यदि कोई हो, की अनवेक्षा कर दी जाएगी यदि ऐसी यात्राओं पर रहने की कुल अवधि तीस दिनों से अधिक नहीं है और ऐसे यात्री ने इस अधिसूचना के अंतर्गत या ऐसी लघु यात्राओं के किसी भी समय अधिसूचना के अधीन छूट का लाभ नहीं उठाया है।"

इसलिए, यदि प्रत्यर्थी एक पात्र यात्री है तो लाए गए सोने की रियायती शुल्क दर का भुगतान करके निकासी की जा सकती है। प्रत्यर्थी एक पात्र यात्री नहीं है। प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी 1993 से सिंगापुर में था। हमें उस तिथि से कोई सरोकार नहीं है जब वह पहली बार सिंगापुर गया था। इस छूट या इस रियायत के प्रयोजन हेतु, उसे सिंगापुर में कम से कम छह महीने की अवधि के प्रवास के बाद भारत आना चाहिए था और पात्र यात्री द्वारा छह महीने की उपरोक्त अवधि के दौरान की गई लघु यात्राओं की अनवेक्षा कर दी जाएगी यदि ऐसी यात्राओं पर रहने की कुल अवधि तीस दिनों से अधिक नहीं है। वह दिनांक 19-4-2005 को सिंगापुर गया था और दिनांक 12-7-2005 को भारत आ रहा था, अर्थात् छह महीने से कम की अवधि के बाद। इसलिए वह एक 'पात्र यात्री' नहीं था। पिछली अवधियाँ जहाँ वह अधिक समय तक रुका था, अब प्रासंगिक नहीं हैं। उदारीकरण नीति और स्वर्ण नियंत्रण आदेश के निरसन ने अधिकरण को प्रभावित किया था। अधिकरण को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या वह एक पात्र यात्री के रूप में अपने सामान के हिस्से के रूप में सोना ले जा सकता था।

9. *ओम प्रकाश भाटिया* मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित "प्रतिषेध" शब्द के अर्थ को देखते हुए हमें यह अभिनिर्धारित करना होगा कि आयातित सोना '**प्रतिषिद्ध माल**' था क्योंकि प्रत्यर्थी एक पात्र यात्री नहीं है जिसने शर्तों को पूरा नहीं किया। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।"

115. *मालाबार डायमंड गैलरी* में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया। उच्च न्यायालय उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित अपील पर विचार कर रहा था, जिसने सोना निर्मुक्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। इस मुद्दे पर विचार करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"41. सकारात्मक रूप से, प्रतिषिद्ध माल को ऐसे माल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी भी प्रतिषेध के अधीन होना चाहिए। नकारात्मक रूप से, अधिनियम की धारा 2(33) में यह भी कहा गया है कि माल प्रतिषिद्ध माल नहीं है, जब आयात या निर्यात में ऐसा कोई माल शामिल नहीं है, जिसके संबंध में, जिन शर्तों के अधीन माल को आयात या निर्यात करने की अनुमति है, उनका अनुपालन किया गया है। अभिव्यक्ति "इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी प्रतिषेध के अधीन रहते हुए तथा उन शर्तों का अनुपालन, जिनके अधीन रहते हुए माल को आयात या निर्यात करने की अनुमति दी जाती है, "प्रतिषिद्ध माल" शब्दों के अर्थ को समझने तथा उसे प्रभावी करने के लिए निर्धारक कारक हैं।

42. "प्रतिषिद्ध माल" शब्दों की शाब्दिक व्याख्या तथा यह प्रतिविरोध कि सोना अधिसूचित नहीं है, इसलिए उसे निर्मुक्त किया जाना चाहिए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि में अंतर्निहित प्रतिषेधों और निर्बंधनों के व्यापक दायरे को कम कर देगा।

(i) *पोपटलाल शाह बनाम मद्रास राज्य* मामले में, जिसे एआईआर 1953 एससी 274 में अभिलिखित किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, "यह स्थापित नियम है कि विधायी मंशा का पता लगाने के लिए किसी कानून के सभी घटकों को एक साथ लिया जाना चाहिए और प्रत्येक

शब्द, वाक्यांश और वाक्य पर अधिनियम के सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए।"

(ii) यह सुस्थापित है कि किसी कानून को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए और अधिनियम के एक प्रावधान को उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिससे पूरे कानून को सुसंगत बनाया जा सके। इस प्रकार के निर्माण में कानून के भीतर या किसी धारा या कानून के अन्य भागों के बीच किसी भी असंगति या प्रतिकूलता से बचने का गुणागुण है। [संदर्भ- *राज कृष्ण बनाम बोनोद कानूनगो* एआईआर 1954 एससी 202 में अभिलिखित]।

(iii) बिहार राज्य बनाम हीरा लाल केजरीवाल मामले में एआईआर 1960 एससी 47 में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 6 में अभिनिर्धारित किया कि,-

"किसी भी धारा का अर्थ जानने के लिए उसके किसी भाग को छोड़ना स्वीकार्य नहीं है: पूरी धारा को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और दोनों भागों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ...पहला भाग उस आदेश को जीवन देता है, और, इसलिए, उस आदेश के अंतर्गत अधिकृत कार्य अध्यादेश के लागू होने के बाद किए जा सकते हैं। ...दूसरा भाग इस कठिनाई से बचने या, किसी भी दर पर, अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया प्रतीत होता है।"

(iv) *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ* मामले में, जिसे एआईआर 1963 एससी 1241 में अभिलिखित किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति पर विचार करते समय, न्यायालय को कानून के उद्देश्य, लक्ष्य और दायरे को ध्यान में रखना चाहिए, जिसे उसकी संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए।

(v) *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम डॉ. विजय आनंद महाराज* एआईआर 1963 एससी 946, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

"निर्माण का मूलभूत और प्राथमिक नियम यह है कि विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों को उनका सामान्य अर्थ दिया जाएगा और उनका निर्माण व्याकरण के नियमों के अनुसार किया जाएगा। जब भाषा स्पष्ट और असंदिग्धार्थ हो और केवल एक ही अर्थ ग्रहण करे, तो किसी कानून के निर्माण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अधिनियम स्वयं बोलता है। निर्माण का यह एक सर्वमान्य नियम है कि अर्थ विधानमंडल के अभिव्यक्त आशय से ही लिया जाना चाहिए।"

(vi) एआईआर 1970 राजस्थान 26 में अभिलिखित *नाममल बनाम राधेश्याम* मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

"11. मैक्सवेल ने अपनी पुस्तक 'इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स' (11वें संस्करण) के पृष्ठ 226 पर इस प्रकार टिप्पणी की है:—

"यद्यपि, जब भी सख्त निर्माण के नियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके साथ योग्यताएं और अन्य नियम भी आते हैं जो कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, और प्रत्येक नियम के योगदान के आधार पर ही अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए। उनमें से एक नियम यह है कि शब्दों के उस अर्थ को अपनाया जाना चाहिए जो संदर्भ के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखता हो और विधानमंडल की नीति और उद्देश्य को पूर्ण रूप से बढ़ावा देता हो। दंड और अन्य कानूनों की व्याख्या करते समय सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विधायी आशय का पता लगाना है और सख्त निर्माण के नियम का उल्लंघन शब्दों को उनके पूर्ण

अर्थ या दो अर्थों में से अधिक व्यापक अर्थ की अनुमति देकर नहीं किया जाना चाहिए, जब आशय को सबसे बेहतर ढंग से प्रभावित किया जा सके। वास्तव में इन्हें अक्सर व्यापक अर्थ में लिया जाता है, कभी-कभी तो व्युत्पत्तिगत अर्थ से भी अधिक व्यापक अर्थ में लिया जाता है या लोकप्रिय रूप से उनसे जुड़ा होता है, जिससे विधायी मंशा को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, या, सर एडवर्ड कोल के शब्दों का उपयोग करें, तो निष्ठा को दबाया जा सके और उपाय को आगे बढ़ाया जा सके।

(vii) *बिक्री कर आयुक्त बनाम मंगल सेन श्यामलाल* में अभिलिखित (1975) 4 एससीसी 35 = (1975) 4 एससीसी 35: एआईआर 1975 एससी 1106 में, शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, "एक कानून को विधायी इच्छा का एक प्रामाणिक संग्रह माना जाता है और न्यायालय का कार्य इसे "इसे बनाने वालों की मंशा के अनुसार" व्याख्या करना है। न्यायालय को इस कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे "किसी मामले को विफल होने के बजाय उसे प्रभावी बनाना" कहावत का पालन करना होगा, जिससे विधानमंडल की मंशा व्यर्थ न जाए या हवा में उड़ न जाए।"

(viii) यदि शब्द सटीक और असंदिग्धार्थ हैं, तो इसे विधानमंडल की स्पष्ट मंशा की घोषणा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। *कु. सोनिया भाटिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, में अभिलिखित (1981) 2 एससीसी 585 = (1981) 2 एससीसी 585: एआईआर 1981 एससी 1274 में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधानमंडल बिना किसी आशय के शब्दों को बर्बाद नहीं करता है और विधानमंडल द्वारा प्रयोग

किए गए प्रत्येक शब्द को उसका उचित आशय और महत्व दिया जाना चाहिए।

(ix) *बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम बाबूभाई शंकरलाल पंड्या* मामले में अभिलिखित (1987) 1 एससीसी 606 में, उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 4 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

"यह एक प्राथमिक नियम है कि किसी भी धारा का निर्माण सभी भागों को एक साथ करके किया जाना चाहिए। इसके किसी भी भाग को छोड़ना स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि, यह सिद्धांत कि कानून को एक पूरे के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, एक ही धारा के विभिन्न भागों पर समान रूप से लागू होता है। यह ऐसी शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में भी प्रावधान करता है। धारा 36 की उप-धारा (1) को पूर्वापेक्षित शर्तों की पूर्ति के अधीन बनाया गया है।"

(x) *भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जीएफ एंड कंपनी लिमिटेड*, (1987) 1 एससीसी 424: एआईआर 1987 एससी 1023 के मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। वे व्याख्या के आधार हैं। कोई यह कह सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ रंग देता है। इनमें से किसी की भी अनवेक्षा नहीं की जा सकती। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या के संदर्भ से मेल खाती है। किसी कानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब होती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों अधिनियमित किया गया था। इस ज्ञान के साथ, कानून को पहले एक पूरे के रूप में और

फिर धारा दर धारा, खंड दर खंड, वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द पढ़ा जाना चाहिए। यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, क़ानून निर्माता के ऐनक से, ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए, इसकी योजना, धाराओं, खंडों, वाक्यांशों और शब्दों के साथ देखा जाए तो वे रंग ले सकते हैं और अलग दिखाई दे सकते हैं जब क़ानून को संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए ऐनक के बिना देखा जाता है। इन ऐनकों से हमें पूरे अधिनियम को देखना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है और उसे पूरे अधिनियम की योजना में फिट करने के लिए क्या डिज़ाइन किया गया है। किसी क़ानून के किसी भी हिस्से और क़ानून के किसी भी शब्द को अलग-अलग नहीं समझा जा सकता। क़ानून की व्याख्या इस प्रकार से की जानी चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो और हर चीज़ अपनी जगह पर हो।"

(xi) *बलराम कुमावत बनाम भारत संघ* (2003) 7 एससीसी 628 में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, "प्रासंगिक पठन क़ानून की व्याख्या का एक प्रसिद्ध प्रस्ताव है। किसी क़ानून की श्रेणियों को अन्य प्रावधानों के संदर्भ में पाठ के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिससे विषय-वस्तु से संबंधित संपूर्ण क़ानून का सुसंगत अधिनियमन किया जा सके। इस प्रकृति की स्थिति में "कृत्य की गहराई से" के नियम का सहारा लिया जाना चाहिए।"

(xii) *गुजरात राज्य बनाम सलीमभाई अब्दुलगफ़ार शेख* मामले में (2003) 8 एससीसी 50 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि,-

"इसलिए, मोटे तौर पर कहें तो, अपील एक ऐसी कार्यवाही है जो किसी न्यायालय के गलत निर्णय को सुधारने के लिए प्रश्न को उच्चतर न्यायालय में प्रस्तुत करके की जाती है....

.....यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि विधानमंडल की मंशा को कानून को समग्र रूप से पढ़कर ही जाना चाहिए। कानून के प्रत्येक खंड को अधिनियम के संदर्भ और अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिससे, जहाँ तक संभव हो, पूरे कानून को सुसंगत बनाया जा सके। न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह विधानमंडल की वास्तविक मंशा का पता लगाए और कानून के उद्देश्य का पता लगाए तथा उसे पूर्ण अर्थ प्रदान करे। कानून में विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या अमूर्त रूप में नहीं की जानी चाहिए, परंतु पूरे कानून और उसके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या की जानी चाहिए।"

(xiii) ए.एन. राँय पुलिस आयुक्त बनाम सुरेश शाम सिंह मामले में अभिलिखित (2006) 5 एससीसी 745: एआईआर 2006 एससी 2677 में शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि,-

"अब यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि, न्यायालय विधानमंडल के दायरे या आशय को नहीं बदल सकता, जब कानून की भाषा स्पष्ट और असंदिग्धार्थ हो। संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण निर्माण को हमेशा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। न्यायालयों को ऐसे निर्माण से बचना चाहिए, जो विधानमंडल को निरर्थक बना दे। यह भी सुस्थापित है कि प्रत्येक कानून की व्याख्या उसकी भाषा के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा के बिना की जानी चाहिए। यह भी सामान्य बात है कि जब कोई अभिव्यक्ति एक से

अधिक अर्थों में सक्षम होती है, तो न्यायालय वैकल्पिक निर्माणों के महान परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान के उद्देश्य के अनुरूप अस्पष्टता को हल करने का प्रयास करेगा।"

(xiv) *विजिटर अमु बनाम केएस मिश्रा* (2007) 8 एससीसी 593 में अभिलिखित, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, "यह कानून की व्याख्या का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह भाषा पर उचित रूप से अनुमेय होने पर भी ऐसे निर्माण से बचें, जो कानून के किसी भाग को किसी भी अर्थ या अनुप्रयोग से रहित कर दे। न्यायालय हमेशा यह मानकर चलते हैं कि विधानमंडल ने इसके प्रत्येक भाग को किसी उद्देश्य के लिए शामिल किया है और विधायी आशय यह है कि प्रत्येक कानून का प्रभाव होना चाहिए। विधानमंडल को अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहिए या व्यर्थ में कुछ भी नहीं कहना चाहिए और ऐसा निर्माण जो विधानमंडल को अनावश्यकता का दोषी ठहराता है, उसे बाध्यकारी कारणों के अलावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी कानून में शब्दों को उचित रूप से अनावश्यक मानकर उन्हें दरकिनार कर देना निर्माण का एक अच्छा सिद्धांत नहीं है, अगर वे कानून के चिंतन के भीतर संभावित परिस्थितियों में उचित अनुप्रयोग के योग्य हो सकते हैं।"

70. *समयनाथन मुरुगोसन मामले* (पूर्वोक्त उद्धृत), *अब्दुल रजाक मामला* (पूर्वोक्त उद्धृत) और *बृंदा एंटरप्राइजेज मामले* (पूर्वोक्त उद्धृत) के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों/न्यायालयों को दो पहलुओं पर विचार करना होगा, अर्थात् (1) माल आयात करने के लिए यात्रियों की पात्रता; और (2) क्या ऐसे यात्रियों ने आयात या निर्यात की शर्तों को पूरा किया है, आयात या निर्यात पर कोई निर्बंधन है, जिसे भी प्रतिषेध माना जाना चाहिए।

78. जैसे ही कोई माल बाहर से देश के प्रादेशिक जल में लाया जाता है, वह आयातित माल बन जाता है। इस मोड़ पर, यह देखना होगा कि क्या ऐसा माल विधिक रूप से या अवैध रूप से आयात किया गया है, क्या वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के अंतर्गत आता है, जो अवैध आयात को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी भी माल के आयात के रूप में परिभाषित करता है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IV और IV-क में उल्लिखित विषय-वस्तु के विपरीत आयातित माल, जो आयात और निर्यात माल पर प्रतिषेध और अवैध रूप से आयातित माल की पहचान, रोकथाम और उसके निपटान से संबंधित है, जिसका अधिनियम की धारा 11 और 11क में अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है, को भी प्रतिषिद्ध माना जाएगा। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी भी प्रतिषेध या निर्बंधन के विरुद्ध देश के प्रादेशिक जल के बाहर से आयातित माल को प्रतिषिद्ध माल माना जाएगा।

79. एक बात यह है कि सोना सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध माल में से एक नहीं है और दूसरी बात यह है कि देश में माल को तस्करी के जरिए लाने की अनुमति नहीं है, जिसका अर्थ है कोई ऐसा कार्य या चूक जो ऐसे माल को धारा 111 या धारा 113 के अंतर्गत अधिहरण करने के लिए उत्तरदायी बनाती है। माल के आयात पर पूर्ण प्रतिषेध नहीं हो सकता है, परंतु अगर आयात वैध तरीके से नहीं किया जाता है, दूसरे शब्दों में किसी भी प्रतिषेध या निर्बंधन के विरुद्ध, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य विधि में अंतर्निहित हैं, तो ऐसे माल अधिनियम की धारा 2(33) की परिभाषा के अंतर्गत आने चाहिए।

80. अधिनियम की धारा 2(33), 11 या 11क तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्य प्रावधानों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अवैध या प्रतिषिद्ध के रूप में परिभाषित या शर्तों का अनुपालन किए बिना या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आयातित वस्तुओं और सभी मामलों में,

चाहे पूर्ण प्रतिषेध हो या निर्बंधन, *ओम प्रकाश भाटिया* के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के आलोक में, ऐसे माल प्रतिषिद्ध माल की परिभाषा के अंतर्गत आने चाहिए। जब आयात, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 या 11क या किसी अन्य विधि के अनुसार वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है और जब ऐसा माल स्पष्ट रूप से "अवैध आयात" की परिभाषा के अंतर्गत आता है, या प्रतिषेध/निर्बंधन से संबंधित कानून के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत आता है, तो उसे "प्रतिषिद्ध माल" माना जाएगा और अधिहत किया जा सकता है।

81. जैसा कि प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.पी. श्रीनिवास ने सही प्रतिवाद किया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 123 के अंतर्गत, यदि आयातकर्ता यह दायित्व पूरा करने में विफल रहता है कि उसके पास से अभिगृहित माल तस्करी का नहीं था, तो उचित अधिकारी के पास ऐसे माल को अभिगृहित करने का एक मजबूत कारण है। तस्करी कुछ और नहीं परंतु शुल्क का भुगतान किए बिना गुप्त रूप से माल आयात करना है और ऐसा माल अधिनियम की धारा 2(33) के अंतर्गत "प्रतिषिद्ध माल" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

92. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में प्रतिषेध/निर्बंधन या किसी अन्य विधि से संबंधित प्रावधानों को अधिनियम की धारा 2(33) में पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 11क, जो "अवैध आयात" से संबंधित है, को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जबकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) के अनुसार "प्रतिषिद्ध माल" की व्याख्या की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) की व्याख्या करते समय, कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में क्या प्रतिषेध अधिरोपित किया गया है, हम विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 79 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत बनाए गए सामान नियम, 1998 जैसे प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से बनाए गए नियमों या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 77 की अनवेक्षा नहीं कर सकते, जो सामान

की निकासी के उद्देश्य से सामान के स्वामी को उचित कार्यालय को सामान की सामग्री की घोषणा करने का आदेश प्रदान करता है और सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 3/2012, दिनांक 16.01.2012, के अनुसार केवल भारतीय मूल के यात्री या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत जारी वैध पासपोर्ट रखने वाले यात्री, जो छह महीने और उससे अधिक समय तक विदेश में रहे हैं, वे ही विदेशी मूल का सोना आयात करने के पात्र हैं और विहित दर पर सीमा शुल्क का भुगतान करके इसे मंजूरी दी जाएगी।"

116. इसके बाद अनंतिम निर्मुक्ति की प्रार्थना पर आगे बढ़ते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

93. अनंतिम निर्मुक्ति के लिए प्रार्थना पर विचार करते हुए, न्यायनिर्णयन लंबित होने तक, क्या उपरोक्त सभी की प्राधिकरणों द्वारा पूर्ण रूप से अनवेक्षा की जा सकती है, जिन्हें यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वे वैधानिक प्रावधानों, नियमों और अधिसूचनाओं को, विधानमंडल के उद्देश्यों और मंशा के अनुरूप, अक्षरशः लागू करें, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत, प्रतिषेध/निर्बंधन लगाएं, हमारा दृष्टिकोण है कि सभी प्राधिकरण इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं, जहां कहीं भी प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित किया जाता है, और जब शब्द "निर्बंधन" का अर्थ प्रतिषेध भी होता है, जैसा कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने ओम प्रकाश भाटिया के मामले में (पूर्वोक्त उद्धृत) कहा है।

94. जब सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110क के अंतर्गत अनंतिम निर्मुक्ति का दावा किया जाता है, तो लेक्सस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मामले (पूर्वोक्त उद्धृत) में निर्णय के आलोक में, धारा 110क के अंतर्गत ऐसे अधिकार का प्रयोग केवल अनंतिम है और पूर्ण नहीं है। न्यायनिर्णयन की कार्यवाही के समापन पर, प्राधिकरण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 के अंतर्गत अधिहरण के बदले जुर्माना देने का विकल्प दे सकता है और ऐसा अपेक्षित या प्रत्याशित अधिकार, अधिनियम की धारा 110क के अंतर्गत मांगे गए किसी भी परमादेश को जारी करने का कारण नहीं बन

सकता है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जब मांगी गई अनंतिम निर्मुक्ति को प्राधिकरणों द्वारा प्रति शपथ-पत्र भरकर यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया जाता है कि तस्करी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

95. यदि न्यायालयों को अधिनियम की धारा 110 क के अंतर्गत मांगी गई प्रार्थना पर इस अनुमान के आधार पर विचार करना पड़ता है कि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत ऐसे अधिकार प्रदत्त किए जाने की संभावना है, तो हम अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहे होंगे। उस चरण में, जब अनंतिम निर्मुक्ति का आदेश दिया जाता है या उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विवेक प्रशासनिक प्रकृति का होता है।

96. अनंतिम निर्मुक्ति के चरण में वस्तुनिष्ठ संतुष्टि, प्राधिकरण पर यह विचार करने का दायित्व डालती है कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में प्रतिषेध/निर्बंधन हैं और क्या वह निष्पक्षता, तर्कसंगतता के सिद्धांतों को संतुष्ट करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए बाध्य है और क्या यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुरूप है। अनंतिम निर्मुक्ति के समय, यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या व्यक्तिपरक संतुष्टि वैध तथ्यों पर आधारित है, न कि प्राधिकरण की सनक और कल्पनाओं पर।

97. उन उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, जिनके लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अधिनियमित किया गया है, जो प्रतिषेध/निर्बंधन से संबंधित है, यह न्यायालय इस विचारित दृष्टिकोण का है कि सक्षम प्राधिकारी को इस बात पर संतुष्टि होनी चाहिए कि अभिगृहित और अधिहरण योग्य माल को न्यायनिर्णयन लंबित रहने तक अनंतिम रूप से निर्मुक्त किया जा सकता है या नहीं, और उस संदर्भ में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में न्यायालयों की भूमिका केवल सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उद्देश्यों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त ऐसी संतुष्टि का

परीक्षण करने तक ही सीमित होनी चाहिए। जब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी यह अभिवचन देता है कि तस्करी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अपीलार्थी सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 123 के अनुसार भार का निर्वहन करने में विफल रहा है और जब न्यायनिर्णयन कार्यवाही लंबित है, तो हमारा विचार है कि अनंतिम निर्मुक्ति का निर्देश देना उचित होगा?

100. अभिलिखित तथ्यों का अध्ययन करने तथा विचार किए गए निर्णयों, विशेष रूप से *ओम प्रकाश भाटिया के मामले* (पूर्वोक्त उद्धृत) के आलोक में, हमारा सुविचारित मत यह है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उद्देश्यों पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।"

117. प्रत्यर्थीगण ने हमारे विचारार्थ **मुंबई सीमा शुल्क आयुक्त बनाम एम. अंबा लाल व कंपनी⁹⁷** मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी उद्धरण दिया था, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:-

"11. अब हम अधिनियम की योजना पर संक्षेप में विचार कर सकते हैं। "शुल्क्य माल", "शुल्क", "आयात", "आयातित माल", "आयातकर्ता" और "तस्करी" शब्दों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है:

"2. (14) 'शुल्क्य माल' से कोई भी माल अभिप्रेत है जो शुल्क हेतु प्रभार्य है और जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है;

(15) 'शुल्क' से सीमा शुल्क और इस अधिनियम के अंतर्गत उद्गृहीत शुल्क अभिप्रेत है;

⁹⁷ (2011) 2 एससीसी 74

(23) 'आयात', अपनी व्याकरणिक विविधताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ, भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना है;

(25) 'आयातित माल' का अर्थ है भारत के बाहर से भारत में लाया गया कोई भी माल, परंतु इसमें वे माल शामिल नहीं हैं जिन्हें घरेलू उपभोग हेतु निकासी दी गई है;

(26) 'आयातकर्ता', किसी भी माल के संबंध में उनके आयात और घरेलू उपभोग हेतु निकासी के समय के बीच किसी भी समय, कोई भी स्वामी या कोई भी व्यक्ति शामिल है जो स्वयं को आयातकर्ता मानता है;

(39) किसी भी माल के संबंध में 'तस्करी' का अर्थ है कोई ऐसा कार्य या चूक जो ऐसे माल को धारा 111 या धारा 113 के अंतर्गत अधिहरण हेतु उत्तरदायी बनाएगा;

12. शुल्क्य माल वे माल हैं जिनके आयात की अनुमति अधिनियम या किसी अन्य प्रवृत्त विधि द्वारा दी जाती है। शुल्क वह कर है जो भारत में आयात किए जाने वाले माल या भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले माल पर लगाया जाता है। माल की शुल्क-देयता अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आती है जो कि शुल्क लगाने वाली धारा है। इस धारा के अंतर्गत, भारत में आयातित या भारत से निर्यात किए जाने वाले सभी माल पर सीमा शुल्क लागू होता है, जब तक कि सीमा शुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अन्यथा प्रावधान न करे। शुल्क की दर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 द्वारा निर्धारित की जाती है। "आयात" और "आयातित माल" का अर्थ है कि यदि माल भारत में लाया जाता है, अर्थात् भारत के क्षेत्र में बाहर से लाया जाता है, तो माल का आयात होता है और माल आयातित माल बन जाता है और घरेलू उपभोग हेतु निकासी किए जाने तक उस पर शुल्क लागू होता है। अधिनियम में "आयातकर्ता" शब्द को आयातकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी भी माल के

आयात और घरेलू उपभोग हेतु निकासी किए जाने के बीच किसी भी समय आयातकर्ता होता है, जिसमें कोई भी स्वामी या कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो स्वयं का आयातकर्ता होने का दावा करता है। माल के संबंध में "तस्करी" शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे कार्य या चूक से है, जो ऐसे माल को अधिनियम की धारा 111 या धारा 113 के अंतर्गत अधिहरण योग्य बना दे।

17. अधिनियम की धारा 25(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, भारत में आयात किए जाने पर संलग्न तालिका में सूचीबद्ध वस्तुओं को अधिनियम के अंतर्गत शुल्क के भुगतान से छूट देती है। अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और असंदिग्धार्थ है। इसलिए, हमें उनके सामान्य अर्थों में ही इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा निर्माण जो किसी को अपने स्वयं के गलत कार्य का लाभ उठाने या किसी कानून के अंतर्गत अपनी आपत्तियों को कमजोर करने की अनुमति देता है, उसे अनदेखा किया जाना चाहिए। व्याख्या यथासंभव इस अर्थ में लाभकारी होनी चाहिए कि यह रिश्टि को दबाए और भाषा का उल्लंघन किए बिना उपाय को आगे बढ़ाए। उपरोक्त छूट अधिसूचना के शब्दों से, यह स्पष्ट है कि परिकल्पित छूट का लाभ उन वस्तुओं के लिए है जो आयात की जाती हैं।

21. संक्षेप में, हमारे समक्ष यह प्रश्न है कि क्या देश में तस्करी करके लाए गए माल को छूट अधिसूचना के लाभ के उद्देश्य से "आयातित माल" की परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है? हमारा विचार है कि "तस्करी किए गए माल" को छूट अधिसूचना के उद्देश्य से "आयातित माल" की परिभाषा में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अधिनियम में दोनों श्रेणियों के मालों: आयातित और तस्करी किए गए को दी गई विभिन्न परिभाषाओं को देखते हुए दोनों अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है, और हमारा विचार है कि यदि दोनों को एक ही माना जाए, तो दो अलग-अलग परिभाषाओं की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

22. छूट अधिसूचना में "आयातित माल" शब्द का सही अर्थ समझने के लिए, अधिनियम की संपूर्ण योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु "आयातित माल" को धारा 2(25), 11, 111 और 112 के संयुक्त वाचन द्वारा समझाया गया है। इन धाराओं के संयुक्त पठन से यह पाया जा सकता है कि बाद में संदर्भित आयात के प्रतिषेध के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक तस्करी की रोकथाम है [धारा 11(2)(सी) देखें]। इसके अलावा, अधिनियम के उद्देश्यों और ऊपर बताए गए बुनियादी ढांचे के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम का एक प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था पर तस्करी के दुष्प्रभावों को रोकना है। इन निष्कर्षों के प्रकाश में, यह मानना विरोधाभासी होगा कि "तस्करी किए गए माल" को अधिनियम के प्रयोजन हेतु "आयातित माल" की परिभाषा के भीतर पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार, तस्करी वाले माल पर आयातित माल के लिए निर्धारित लाभ प्रदान करना छूट अधिसूचनाओं के उद्देश्य के विपरीत होगा।"

118. *अंबा लाल* मामले में उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से टिप्पणी की थी कि तस्करी करके लाए गए माल "*आयातित माल*" की परिभाषा में नहीं आते। उनके माननीय न्यायाधीशों ने आयातित और तस्करी किए गए माल के बीच मौजूद अंतर को रेखांकित किया। इसी संदर्भ में सीमा शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्तागण ने प्रस्तुत किया था कि चूंकि वर्तमान बैच के सभी याचीगण ने सोने की तस्करी करने का प्रयास किया था, इसलिए यह वस्तु पूर्ण रूप से अधिहृत की जानी चाहिए और मोचन हेतु कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

119. इस समय यह देखना उचित होगा कि *अंबा लाल* की सरल व्याख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि तस्करी किए गए माल को अधिनियम में प्रयुक्त

आयातित माल की अभिव्यक्ति के अर्थ से बाहर माना जाता है। यह वह रेखा थी जिसे सीमा शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्तागण द्वारा हमारे विचार हेतु वकालत की गई थी। यद्यपि, मोटे तौर पर संबोधित उक्त प्रतिविरोध *अंबा लाल* की सही व्याख्या नहीं हो सकते, जिसके कारण नीचे अभिलिखित हैं। यह ध्यान रखना उचित है कि अधिनियम आयातित माल को किसी भी ऐसे माल के रूप में परिभाषित करता है जो किसी बाहरी स्थान से भारत में लाया जाता है। निस्संदेह, *अंबा लाल* में विचार का विषय बने कच्चे हीरे आयात किए गए थे। यद्यपि, उच्चतम न्यायालय के विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह था कि क्या आयातकर्ता छूट अधिसूचना का लाभ उठा सकता है, जब यह पाया गया कि माल की तस्करी की गई थी। यह उपर्युक्त संदर्भ में था कि उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि चूंकि माल भारत में तस्करी करके लाया गया था, इसलिए यह विरोधाभासी होगा और "तस्करी किए गए माल पर आयातित माल के लिए निर्धारित लाभ प्रदान करना छूट अधिसूचना के उद्देश्य के विपरीत होगा।" *अंबा लाल* एक सिद्धांत के रूप में जो समर्थन करना चाहते हैं, वह आयात शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है और लागू होने वाली शर्तों के उल्लंघन के मामले में, एक आयातकर्ता छूट अधिसूचना के अंतर्गत लाभों के लिए अयोग्य हो जाता है।

120. हमारा ध्यान गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा **अब्दुल हुसैन सैफुद्दीन हामिद बनाम गुजरात राज्य**⁹⁸ मामले में हाल ही में दिए गए निर्णय की ओर भी आकर्षित किया गया, जहां एक समान प्रश्न पर विचार करते हुए न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की थी:

“38. रिट-आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि उनके मुक्किल को अधिहरण के बदले जुर्माना भरने का विकल्प दिया जाना चाहिए था, खासकर तब, जब रिट-आवेदक द्वारा मूल आदेश के विरुद्ध दायर अपील में अपील प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि रिट-आवेदक के कब्जे से अभिगृहित किया गया प्रतिबंधित सोना प्रतिषिद्ध वस्तु नहीं है और इसे आयात किया जा सकता है, परंतु ऐसा आयात आरबीआई विनियमों सहित निर्बंधनों के अधीन है। यद्यपि, साथ ही, अपील प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह है कि रिट-आवेदक शारजाह जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर भारत लौट आया और उसे सोना आयात करने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं कहा जा सकता और इसलिए, सोना पूर्ण रूप से अधिहरण करने योग्य है। दूसरे शब्दों में, दृष्टिकोण यह है कि जब प्रतिबंधित वस्तु को गुप्त रूप से छिपाने का प्रयास किया जाता है, तो वह पूर्ण रूप से अधिहरण करने योग्य है और अधिहरण के बदले में जुर्माना भरने का विकल्प देने का कोई सवाल ही नहीं है। इस संबंध में, अपील प्राधिकरण ने सीमा शुल्क आयुक्त (वायु) बनाम सम्यनाथन मुरुगेसन के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त मामले में, सीमा शुल्क आयुक्त (वायु), सीमा शुल्क गृह, चेन्नई, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता थे। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि, "क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिकरण मामले को वापस भेजने में सही था, जिसमें आयुक्त को जुर्माना अदा करने पर माल के मोचन हेतु सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत शक्ति का

⁹⁸ तटस्थ उद्धरण सं. 2020: GUJHC:39311- डीबी

प्रयोग करने का निर्देश दिया गया था? उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से लगभग समान हैं।

51. जैसे ही माल बाहर से देश के प्रादेशिक जल में लाया जाता है, वह आयातित माल बन जाता है। इस मोड़ पर, यह देखना होगा कि क्या ऐसे माल वैध रूप से या अवैध रूप से आयात किए गए हैं, क्या वे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के अंतर्गत आते हैं, जो एक अवैध आयात को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी माल के आयात के रूप में परिभाषित करता है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IV और IV-क में उल्लिखित विषय-वस्तु के विपरीत आयातित माल, जो आयात और निर्यात किए जाने वाले माल पर प्रतिषेध और अवैध रूप से आयातित माल की पहचान, रोकथाम और उसके निपटान से संबंधित है, जिसका अधिक विस्तार से अधिनियम की धारा 11 और 11क में वर्णन किया गया है, को भी प्रतिषिद्ध माना जाएगा। देश के प्रादेशिक जल के बाहर से आयातित माल, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी भी प्रतिषेध या निर्बंधन के विरुद्ध, प्रतिषिद्ध माल के रूप में माना जाएगा।

52. एक बात यह है कि सोना सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध माल में से एक नहीं है और दूसरी बात यह है कि देश में माल को तस्करी के जरिए लाने की अनुमति नहीं है, जिसका अर्थ है कोई ऐसा कार्य या चूक जो ऐसे माल को धारा 111 या धारा 113 के अंतर्गत अधिहरण करने के लिए उत्तरदायी बनाती है। वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिषेध नहीं हो सकता है, परंतु अगर आयात वैध तरीके से नहीं किया जाता है, दूसरे शब्दों में किसी भी प्रतिषेध या निर्बंधन के विरुद्ध, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य विधि में अंतर्निहित हैं, तो ऐसे माल अधिनियम की धारा 2(33) की परिभाषा के अंतर्गत आने चाहिए।

53. अधिनियम की धारा 2(33), 11 या 11क तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्य प्रावधानों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के संयुक्त पठन से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अवैध या प्रतिषिद्ध के रूप में परिभाषित या शर्तों का अनुपालन किए बिना या सीमा शुल्क

अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आयातित माल और सभी मामलों में, चाहे पूर्ण प्रतिषेध हो या निर्बंधन, ओम प्रकाश भाटिया के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, ऐसे माल प्रतिषिद्ध माल की परिभाषा के अंतर्गत आने चाहिए। जब आयात, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 या 11क या किसी अन्य विधि के अनुसार वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है और जब ऐसा माल स्पष्ट रूप से 'अवैध आयात' की परिभाषा के अंतर्गत आता है, या प्रतिषेध/निर्बंधन से संबंधित कानून के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत आता है, तो उसे "प्रतिषिद्ध माल" माना जाएगा और अधिहृत किया जा सकता है।

**** * * * * *

55. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत "प्रतिषेध के अधीन", सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(33) में अभिव्यक्ति को अधिनियम और अन्य विधियों की संपूर्णता में जो कहा गया है, उसके प्रकाश में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। आयात के लिए विधिक और वैध दस्तावेजों का उत्पादन, आयातित माल पर निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ, निश्चित रूप से एक आयातकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें हैं। यदि आयात की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसे माल को आयात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस प्रकार, उन्हें आयात करने से प्रतिषिद्ध माना जाएगा।

56. ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली में अभिलिखित 2003 (155) ईएलटी 423 (एससी) में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि आयातित माल का जानबूझकर अधिक बिल बनाया जाता है, तो आयातित ऐसा माल, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) के अनुसार, 'प्रतिषिद्ध माल' की श्रेणी में आती हैं। किसी भी माल के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत तस्करी का अर्थ है कोई ऐसा कार्य या चूक जो ऐसे माल को अधिनियम की धारा 111 या धारा 113 के अंतर्गत अधिहरण करने के लिए उत्तरदायी बनाती है और इसलिए, वे माल, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) के अनुसार प्रतिषिद्ध माल की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी।

57. यदि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अधिरोपित निर्बंधनों की धोखाधड़ी से चोरी की जाती है, तो उपरोक्त के उल्लंघन में सोने का आयात प्रतिषिद्ध है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में प्रतिषेध और निर्बंधनों के लिए मशीनरी, तलाशी, अभिग्रहण, अधिहरण और दंड के माध्यम से प्रावधान है। अधिनियम में शुल्क की चोरी का पता लगाने, रोकथाम और दंड का भी प्रावधान है।

58. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(33) में 'अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में प्रतिषेध के अधीन' अभिव्यक्ति का व्यापक लक्ष्यार्थ और अर्थ है, और इसकी व्याख्या अधिनियम की योजना के संदर्भ में की जानी चाहिए, न कि इस संकीर्ण अर्थ तक सीमित होनी चाहिए कि सोना देश में आयात किए जाने वाला सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध माल नहीं है। यदि ऐसा संकीर्ण अर्थ और निर्माण किया जाना है, तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

59. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में प्रतिषेध/निर्बंधन या किसी अन्य विधि से संबंधित प्रावधानों को अधिनियम की धारा 2(33) में पढ़ा जाना चाहिए। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) के अनुसार 'प्रतिषिद्ध माल' की व्याख्या करते समय अधिनियम की धारा 11क, जिसमें 'अवैध आयात' का उल्लेख है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) की व्याख्या करते समय, कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में क्या प्रतिषेध अधिरोपित है, हम विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 79 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत बनाए गए यात्री सामान नियम, 1998 जैसे प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से बनाए गए नियमों या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 77 की अनदेखी नहीं कर सकते, जिसमें सामान की निकासी के लिए सामान के स्वामी को सामान की सामग्री के बारे में उचित कार्यालय में घोषणा करने का आदेश दिया गया है और सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 3/2012, दिनांक 16.01.2012 के अनुसार केवल भारतीय मूल के यात्री या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत जारी वैध पासपोर्ट रखने वाले यात्री, जो छह महीने या उससे अधिक समय तक विदेश में रहे हैं, वे ही विदेशी

मूल के सोने का आयात करने और निर्धारित दर पर सीमा शुल्क का भुगतान करने पर उसकी निकासी करने के पात्र हैं।"

121. विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों को देखते हुए, यह कुछ प्रासंगिक नियमों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं पर संक्षेप में ध्यान देने के लिए उपयुक्त समय हो सकता है, जो इस विषय को नियंत्रित करने के लिए बताए गए हैं। यद्यपि, उक्त चर्चा को अनिवार्य रूप से इस अवलोकन के साथ शुरू किया जाना चाहिए कि निर्विवाद रूप से सोने के आयात से संबंधित अधिनियम की धारा 11 या एफटीडीआर की धारा 3 (2) के अंतर्गत कोई विशिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

122. हमें मौजूदा वैधानिक योजना का व्यापक अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए, सबसे पहले हमारा ध्यान यात्री सामान नियम 2016 की ओर आकर्षित किया गया। यद्यपि यह ध्यान दिया जा सकता है कि नियम 3, 4 और 5 अनिवार्य रूप से सोने और आभूषणों की स्वीकार्य सीमा से निपटते हैं जिन्हें विदेशियों सहित विभिन्न देशों से आने वाले यात्रियों द्वारा ले जाया या लाया जा सकता है। वे नियम अनिवार्य रूप से उन सीमाओं से निपटते हैं जिन तक यात्री ऐसी वस्तुएँ ले जा सकते हैं। हमें यह भी बताया गया कि बाद में **केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड**⁹⁹ ने सीमा शुल्क सामान घोषणा विनियम 2013 को लागू किया है और जो सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र को शामिल करता है, जिसमें विशेष रूप से यात्रियों को मुफ्त अनुमति से अधिक सोने के

⁹⁹ सीबीईसी

आभूषणों के साथ-साथ सोने की बुलियन के संबंध में उचित घोषणा करने की आवश्यकता होती है।

123. सीबीईसी और आरबीआई द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं और परिपत्रों से निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है। सीबीईसी के दिनांक 10 मई 1993 के परिपत्र में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि सोना भले ही आयात नीति में प्रतिषिद्ध वस्तुओं की सूची में शामिल न हो, परंतु इसका आयात स्पष्ट रूप से निर्बंधित श्रेणी की वस्तुओं में आता है। इसमें इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि इसके आयात की अनुमति केवल अनुज्ञप्ति के अंतर्गत और किसी भी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही दी जा सकती है।

124. इसके बाद हमारा ध्यान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28 जनवरी 2004 की अधिसूचना की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें सोने के आयात के विषय से निपटने के दौरान निर्यात और आयात नीति 2002-07 और आयात नीति में किए जाने वाले संशोधनों पर ध्यान दिया गया था। सोना जो **एक्जिम कोड 7108** के अंतर्गत आता है, जबकि उसे मुक्त घोषित किया गया था, उसे आरबीआई विनियमों के अधीन होने का प्रावधान किया गया था। पैरा 3 नीचे उद्धृत किया गया है:-

“3. संशोधन के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ इस प्रकार होंगी:

क्र.सं.	एक्जिम कोड	वस्तु विवरण	नीति	शर्तों के संबंध में नीति
1	27160000	विद्युत ऊर्जा	मुक्त	

2	71061000	पाउडर	मुक्त	आरबीआइ	विनियमों के अधीन।
3	71069100	कच्चे	मुक्त	आरबीआइ	विनियमों के अधीन।
4	71069210	चादरें, प्लेटें, स्ट्रिप्स, ट्यूब और पाइपें	मुक्त	आरबीआइ	विनियमों के अधीन।
5	71069290	अन्य	मुक्त	आरबीआइ	विनियमों के अधीन।
6	71081100	गैर-मौद्रिक: पाउडर	मुक्त	आरबीआइ	विनियमों के अधीन।
7	71081200	अन्य अधूरे रूप	मुक्त	आरबीआइ	विनियमों के अधीन।
8	71081300	अन्य अर्ध - निर्मित मुद्रा रूप	मुक्त	आरबीआइ	विनियमों के अधीन।
9	71189000	अन्य	मुक्त	आरबीआइ	विनियमों के अधीन।
10	85269300	वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) प्राप्तकर्ता; विभेदक वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) रिसीवर	मुक्त		
11	93040000	अन्य हथियार (के लिए उदाहरण के लिए, वसंत, वायु या गैस और पिस्तौल, ट्रंचन्स), इनमें से कुछ को छोड़कर शीर्षक 9307	निर्बंधित	एयर गन और एयर पिस्टल का आयात इस शर्त के अधीन निःशुल्क होगा कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस.ओ. 667 (ई) दिनांक 12.9.1985 और अधिसूचना सं. एस.ओ. 831 (ई) दिनांक 2.8.2002 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और साथ ही इन	

वस्तुओं के क्रेता/उपयोगकर्ता को मौजूदा शस्त्र अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित उपयोगकर्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा।"

125. उक्त अधिसूचना के बाद दिनांक 16 अप्रैल 2004 को एक नीति परिपत्र जारी किया गया, जिसमें सोने के शुल्क-मुक्त आयात के विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई। उक्त नीति परिपत्र में निम्नलिखित प्रावधान किए गए:-.

"2. इस बात को दोहराया जाता है कि नामित अभिकरणों और 15 नामित बैंकों के माध्यम से शुल्क-मुक्त आयात नीति, जिसका विवरण एक्सिम नीति और प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 4 में दिया गया है, चालू रहेगी। निर्यातकर्ताओं के पास नामित अभिकरणों के माध्यम से या प्रत्यक्ष अग्रिम अनुज्ञापन योजना के अंतर्गत निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त सोना और चांदी आयात करने का विकल्प बना रहेगा।

3. आरबीआई के पास दिनांक 28.1.2004 की अधिसूचना सं. 29 के अनुसार सोने के आयात को विनियमित करने का अधिकार सुरक्षित है क्योंकि सोने और चांदी का उपयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता है और वे विदेशी मुद्रा के लिए प्रतिनिधि हैं। आरबीआई विनियमों में ऐसे सभी परिवर्तन अधिसूचना सं. 29 दिनांक 28.1.2004 के अनुसार एक्सिम नीति द्वारा कवर किए गए माने जाते हैं।

यह डीजीएफटी की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।"

126. अभिलिखित सामग्री से यह स्पष्ट है कि सोने के आयात को कम से कम 1996 से विधिवत नियंत्रित किया गया था और इसे केवल कुछ श्रेणियों के

नामित अभिकरणों के माध्यम से ही चैनलाइज़ किया जाना था। उन अभिकरणों की पहचान दिनांक 14 अक्टूबर 2009 के एक परिपत्र में की गई थी और जो इस प्रकार है:-

“2. छोटे आभूषण निर्यातकर्ताओं को सोना, चांदी और प्लैटिनम की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, डीजीएफटी ने सोना/चांदी/प्लैटिनम (जिसे आगे "बहुमूल्य धातु" कहा जाएगा) के आयात के लिए "नामित अभिकरणों" के रूप में 5 और नए अभिकरणों/संस्थाओं को शामिल किया है। अब नामित अभिकरण इस प्रकार हैं:

- (1) धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी);
- (2) हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी); (3) राज्य व्यापार निगम (एसटीसी);
- (4) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी);
- (5) एसटीसीएल लिमिटेड;
- (6) एमएसटीसी लिमिटेड;
- (7) डायमंड इंडिया लिमिटेड (डीआईएल);
- (8) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी एंड जे ईपीसी);
- (9) विदेशी व्यापार नीति के अनुच्छेद 3.10.2 के अंतर्गत एक स्टार ट्रेडिंग हाउस (केवल रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए) या एक प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस; तथा
- (10) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण”।;

3. डीजीएफटी ने नामित अभिकरणों (आरबीआई द्वारा नामित बैंकों और ईओयू और एसईजेड योजना के अंतर्गत संचालित रत्न और आभूषण इकाइयों के अलावा) द्वारा 15% का न्यूनतम आपूर्ति मानदंड विनिर्दिष्ट किया है और इन नामित अभिकरणों (आरबीआई द्वारा नामित बैंकों और ईओयू और एसईजेड योजना के अंतर्गत संचालित रत्न और आभूषण इकाइयों के अलावा) द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित की हैं, जो समय-समय पर संशोधित नीति परिपत्र सं.77 (आरई-

2008)/2004-09 दिनांक 31.03.2009 के अंतर्गत हैं। प्रासंगिक अधिसूचनाएं सं. 57/2000-सीयूएस दिनांक 08.05.2000 और 52/2003-सीयूएस दिनांक 31.03.2003 को अधिसूचना सं. 106/2009-सीमा शुल्क दिनांक 14.09.2009 के अंतर्गत उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया।

4. विभिन्न प्रथाओं से बचने तथा निर्यात के लिए बहुमूल्य धातु की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए, डीजीएफटी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुपूरक के रूप में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है:

- (i) नामित अभिकरणों को अपने स्वयं के बॉन्डेड वॉल्ट में भंडारण हेतु बहुमूल्य धातु के आयात की अनुमति होगी। वॉल्ट को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले उप/सहायक सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों (जिसे आगे "उक्त अधिकारी" कहा जाएगा) द्वारा अनुज्ञप्ति दी जाएगी;
- (ii) नामित अभिकरण उक्त अधिकारी की संतुष्टि हेतु एक बांड प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह वचन दिया जाएगा कि वे गोदाम में रखी बहुमूल्य धातु का उचित हिसाब देंगे तथा निर्यातकर्ता द्वारा विहित अवधि के भीतर अपने निर्यात दायित्व को पूरा न करने की स्थिति में विहित प्रभावी शुल्क दर पर शुल्क देयता का निर्वहन भी करेंगे;
- (iii) नामित अभिकरणों को उनके मासिक आयात में शामिल प्रभावी दर पर अनुमानित शुल्क राशि के लिए एक सामान्य बांड देने की अनुमति दी जा सकती है या वे एक महीने में आयात की जाने वाली बहुमूल्य धातु की मात्रा पर प्रभावी दर पर अनुमानित शुल्क के समान बांड से शुरू होने वाले एक परिक्रामी बांड दे सकते हैं;
- (iv) नामित अभिकरण (आरबीआई तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामित बैंकों को छोड़कर) एक महीने में बहुमूल्य धातुओं के आयात या उनके द्वारा निष्पादित बांड पर लगने वाले शुल्क की अनुमानित राशि के 25% के समान बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेंगे। आरबीआई तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामित बैंकों को बैंक गारंटी से छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगी:

(क) नामित अभिकरण ने डीजीएफटी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और शर्तों का पालन करने में चूक नहीं की है, (ख) निर्धारित अवधि के भीतर नामित अभिकरण द्वारा आपूर्ति की गई बहुमूल्य धातु से निर्मित आभूषणों के निर्यात में चूक के मामले में, नामित अभिकरण ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शुल्क के भुगतान में चूक नहीं की है;

(ग) नामित अभिकरण को पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर को कवर करने वाला), विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत धोखाधड़ी या मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के उल्लंघन के लिए कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है या उसके विरुद्ध किसी मांग की पुष्टि नहीं की गई है।

(v) सीमा शुल्क आयुक्त एक से अधिक नामित अभिकरणों को अपने आयातित माल को एक ही तिजोरी में रखने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि मात्रा अलग-अलग रखी जाए और अलग-अलग खाते बनाए जाएं;

(vi) नामित अभिकरणों को निर्यातकर्ताओं को आपूर्ति के लिए आयातित शुल्क मुक्त माल को शुल्क के भुगतान पर घरेलू खपत के लिए आयातित मात्रा से अलग रखना होगा;

(vii) नामित अभिकरणों को डबल लॉक सिस्टम का पालन करने से छूट दी जाएगी। माल की बॉन्डिंग या एक्स-बॉन्डिंग के लिए बॉन्ड अधिकारी की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। नामित अभिकरणों द्वारा कोई जुर्माना वसूली शुल्क देय नहीं होगा;

(viii) नामित अभिकरणों का सीमाशुल्क अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण या जांच के लिए दौरा कर सकते हैं। आयुक्त को शुरू में कम से कम 6 महीने में एक बार और बाद में एक वर्ष में एक बार यादृच्छिक निरीक्षण की प्रणाली तैयार करनी चाहिए;

(ix) नामित अभिकरणों से बहुमूल्य धातु प्राप्त करने के इच्छुक निर्यातकर्ता अपने क्षेत्राधिकार वाले सहायक आयुक्तों के पास स्वयं को पंजीकृत कराएंगे जो उन्हें एकमुश्त प्रमाणपत्र जारी करेंगे जिसमें उनकी इकाइयों का विवरण जैसे इकाई का नाम और पता तथा संगठन के प्रमुख/स्वामी का विवरण होगा। सोना लेते समय यह प्रमाणपत्र नामित अभिकरणों को दिखाना होगा। इकाइयों को बिना बैंक गारंटी के सहायक आयुक्त को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि वे अधिसूचना की शर्तों का पालन करेंगे जिसके अंतर्गत वे शुल्क मुक्त बहुमूल्य धातु प्राप्त कर रहे हैं तथा विदेशी व्यापार नीति में निर्धारित अवधि के भीतर उससे बने आभूषणों का निर्यात करेंगे। ईओयू इकाइयां नामित अभिकरणों को एक स्वघोषणा प्रस्तुत कर सकती हैं जिसमें उनकी इकाई का विवरण दिया गया हो;

(x) नामित अभिकरण अपने स्वयं के आंतरिक दस्तावेजों के अंतर्गत प्रासंगिक छूट अधिसूचना के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए माल की निकासी की अनुमति देंगे और निर्यातकर्ता-वार जारी किए गए माल और शामिल शुल्क का एक समेकित मासिक खाता संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे, जिसका शुल्क की प्रभावी दर के आधार पर काम किया जाएगा;

(xi) नामित अभिकरण निर्यातकर्ताओं को जारी किए गए माल का लेखा-जोखा (निर्यातकर्ता-वार) दिन-प्रतिदिन बनाए रखेंगे। यह खाता किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि बांडेड गोदाम का खाता होता है;

(xii) निर्यातकर्ता, नामित अभिकरणों को, विदेशी व्यापार नीति में निर्धारित अवधि के भीतर उनको जारी किए गए शुल्क मुक्त माल से बने आभूषणों का निर्यात करने के प्रमाण के रूप में, परिशिष्ट 22क में शिपिंग बिल की ई.पी. प्रति तथा वसूली का बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा;

(xiii) जहाँ भी विदेशी व्यापार नीति में निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, वहाँ नामित अभिकरण (निर्यातकर्ता से इसकी वसूली का इंतजार किए बिना) निर्यात न की गई बहुमूल्य धातु की मात्रा पर लागू प्रभावी दर पर गणना की गई शुल्क राशि, उस अवधि की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर जमा कर देंगी जिसके भीतर उक्त बहुमूल्य धातु से निर्मित आभूषणों का निर्यात किया जाना था। नामित

अभिकरण द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया शुल्क ऊपर पैरा (x) में निर्धारित मासिक विवरण में दर्शाया जाएगा। नामित अभिकरण अपने स्तर पर निर्यातकर्ता के साथ अपने दावे का निपटान करेंगे;

(xiv) नामित अभिकरण, निर्यातकर्ता को जारी की गई बहुमूल्य धातु से बने आभूषणों के निर्यात में विफलता के मामलों की रिपोर्ट, उस सीमाशुल्क आयुक्त को देंगे, जिसके क्षेत्राधिकार में नामित अभिकरणों का अनुज्ञप्ति प्राप्त वॉल्ट स्थापित है; तथा

(xv) पुनःपूर्ति योजना के अंतर्गत काम करने वाले निर्यातकर्ताओं को शिपिंग बिल की ईपी प्रति प्रस्तुत करने पर नामित अभिकरणों से बहुमूल्य धातु प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। नामित अभिकरण, आभूषणों के निर्यात के प्रमाण के रूप में निर्यातकर्ताओं द्वारा नामित अभिकरणों को प्रस्तुत किए जाने वाले परिशिष्ट 22क में प्राप्ति के बैंक प्रमाण पत्र के आधार पर, ऐसे शिपमेंट के निर्यात आय की प्राप्ति की निगरानी भी करेंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुमूल्य धातु की पुनःपूर्ति की है।”

127. हम दिनांक 17 मार्च 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना पर भी ध्यान देते हैं, जिसने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया था। उक्त अधिसूचना में सोने के डोर बार, सोने की छड़ और सिक्कों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था: -

क्र.सं.	अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ वस्तु	माल का विवरण	मानक दर	अतिरिक्त शुल्क दर	शर्त सं.
“318.	71	सोने का डोर बार, जिसमें सोने की मात्रा 95% से अधिक न हो	कुछ नहीं	400 [8.75%]	5 और 34

4[321]	71 या 98	(i) पात्र यात्री द्वारा आयातित सोने की छड़ें, तोला छड़ों के अलावा, जिन पर निर्माता या रिफाइनर की उत्कीर्ण क्रम संख्या और मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त भार अंकित हो, तथा सोने के सिक्के जिनमें सोने की मात्रा 99.5% से कम न हो।	141[10 प्रतिशत]	कुछ नहीं	35
487[323.	71	(i) सोने की छड़ें, तोला छड़ों के अलावा, जिन पर निर्माता या परिशोधक की उत्कीर्ण क्रम संख्या और मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त भार अंकित हो; (ii) सोने के सिक्के जिनमें सोने की मात्रा 99.5% से कम न हो तथा सोने की सामग्री, डाक, कूरियर या सामान के माध्यम से आयातित ऐसे सामानों को छोड़कर।	10% 10%	कुछ नहीं -	- -]

		स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन हेतु, "स्वर्ण अवशेष" का अर्थ है एक छोटा घटक जैसे हुक, अकवार, क्लैप, पिन, कैच, स्क्रू बैक, जिसका उपयोग आभूषण के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को अपने स्थान पर रखने के लिए किया जाता है।			
--	--	--	--	--	--

शर्तें 5 व 34:

शर्त 5: यदि आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण हेतु रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।

शर्त 34: यदि -

- (क) माल सीधे उस देश से भेजा जाता है जिसमें उनका उत्पादन किया गया था और प्रत्येक बार का वजन 5 किलोग्राम या उससे अधिक होता है;
- (ख) माल का आयात उस खनन कंपनी द्वारा जारी पैकिंग सूची के अनुसार किया जाता है जिसके द्वारा उनका उत्पादन किया गया था;
- (ग) आयातकर्ता, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष, जैसा भी मामला हो, खनन कंपनी या उससे संबद्ध प्रयोगशाला द्वारा जारी परख प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें डोर बार में बहुमूल्य धातु की मात्रा का विस्तृत विवरण दिया जाता है;

(घ) सोने की डोर छड़ें वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा 99.5% और उससे अधिक शुद्धता वाली मानक सोने की छड़ों के शोधन और विनिर्माण के उद्देश्य से आयात की जाती हैं; तथा

(ङ) चांदी के डोर बारों का आयात वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा 99.9% और उससे अधिक शुद्धता वाली चांदी की सलाखों के शोधन और विनिर्माण के उद्देश्य से किया जाता है।

शर्त 35

यदि -

1. (क) शुल्क का भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया जाता है;

(ख) आयात की मात्रा प्रति पात्र यात्री द्वारा दस किलोग्राम सोने और एक सौ किलोग्राम चांदी से अधिक नहीं है; और

2. सोना या चांदी है -

(क) भारत में आने के समय पात्र यात्री द्वारा ले जाया गया, या

(ख) भारत में आने के पंद्रह दिनों के भीतर उसके द्वारा आयातित, या

(ग) भारतीय स्टेट बैंक या खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड के सीमा शुल्क अनुबद्ध माल- गोदाम से डिलीवरी ली जाती है, शर्तों 1 के अधीन;

बशर्ते कि ऐसा पात्र यात्री भारत में आगमन के समय सीमा शुल्क के समुचित अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा दायर करे जिसमें वह ऐसे सीमा शुल्क अनुबद्ध माल- गोदाम से सोना या चांदी लेने का अपना आशय घोषित करे तथा सीमा शुल्क से निकासी से पूर्व उस पर लगाए जाने वाले शुल्क का भुगतान कर दे।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु, "पात्र यात्री" का तात्पर्य भारतीय मूल के यात्री या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अधीन जारी वैध पासपोर्ट रखने वाले यात्री से है, जो विदेश में कम से कम

छह महीने रहने के बाद भारत आ रहा है; और छह महीने की उक्त अवधि के दौरान पात्र यात्री द्वारा की गई लघु यात्राओं, यदि कोई हो, की अनवेक्षा कर दी जाएगी यदि ऐसी यात्राओं पर रहने की कुल अवधि तीस दिनों से अधिक नहीं है और ऐसे यात्री ने इस अधिसूचना के अंतर्गत या ऐसी लघु यात्राओं के किसी भी समय अधिसूचना के अधीन छूट का लाभ नहीं उठाया है।"

128. इसके बाद हमारा ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 02 जुलाई 2012 को जारी माल और सेवाओं के आयात पर मास्टर परिपत्र की ओर आकर्षित हुआ, जिसमें सोने के आयात के विषय पर विचार करते हुए मौजूदा स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया था:-

“सी. 13. सोने का प्रत्यक्ष आयात

एडी श्रेणी-1 बैंक ईओयू, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों तथा नामित अभिकरणों/बैंकों की ओर से सोने के प्रत्यक्ष आयात के लिए ऋण पत्र खोल सकता है तथा धन प्रेषण की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें हों:

- i. सोने का आयात विदेशी व्यापार नीति के अनुसार सख्ती से होना चाहिए।
- ii. आपूर्तिकर्ताओं और क्रेताओं का ऋण, जिसमें सोने के प्रत्यक्ष आयात के लिए खोले गए साख पत्र की अवधि भी शामिल है, 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- iii. सोने के आयात से संबंधित सभी लेन-देन के लिए बैंकर की विवेकशीलता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित परिश्रम किया गया है और ऐसे लेन-देन करते समय सभी अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों और समय-समय पर भारतीय

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए धन शोधन विरोधी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को ऐसे लेन-देन की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। आयातकर्ता के व्यापार की मात्रा में किसी भी बड़ी या असामान्य वृद्धि की बारीकी से जांच की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेन-देन वास्तविक व्यापार लेन-देन हैं।

- iv. सामान्य सावधानी बरतने के अलावा, एलसी खोलने से पहले आपूर्तिकर्ता की साख भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आयातकर्ता ग्राहक की वित्तीय स्थिति, व्यवसाय की रेखा और निवल मूल्य व्यवसाय के कारोबार की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। उपरोक्त के अलावा, ऐसे लेन-देन के मामले में बैंकों को वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए अन्य बैंकों से भी विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए। इसके अलावा, आयात/निर्यात लेनदेन के ऑडिट ट्रेल को स्थापित करने के लिए, ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों को कम से कम पांच वर्ष तक संरक्षित किया जाना चाहिए।
- v. एडी श्रेणी-1 बैंक को आयातकर्ताओं द्वारा निर्धारित प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने की कार्यवाही करनी चाहिए।
- vi. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों के प्रधान कार्यालय/अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग अब से निम्नलिखित विवरण मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, व्यापार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई-400001 को प्रस्तुत करेंगे:

क) **अर्धवार्षिक** आधार पर विवरण (मार्च के अंत / सितंबर के अंत में) जिसमें रत्न और आभूषण क्षेत्र में नामित बैंकों / अभिकरणों / ईओयू / एसईजेड द्वारा आयातित सोने की मात्रा और मूल्य, भुगतान का तरीका, **उपाबंध '3'** के अनुसार दिखाया गया है;

ख) रिपोर्टाधीन माह के दौरान रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में नामित अभिकरण (नामित बैंकों के अलावा)/ईओयू/एसईजेड द्वारा सोने के आयात की मात्रा और मूल्य तथा वित्तीय वर्ष के पहले महीने से शुरू

होकर उक्त महीने के अंत तक संचयी स्थिति को दर्शाने वाला **मासिक आधार** पर विवरण, जैसा कि **उपाबंध '4'** में बताया गया है।

दोनों विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, भले ही स्थिति 'शून्य' हो और वे संबंधित माह/छमाही की 10 तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।

बयान ई-मेल द्वारा भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

129. इसके बाद आरबीआई ने दिनांक 04 जून 2013 को नामित बैंकों और अभिकरणों द्वारा सोने के आयात को विनियमित करने के लिए एक और परिपत्र जारी किया। उस परिपत्र के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:-

"प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13 मई, 2013 के हमारे एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 103 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा परेषण के आधार पर सोने के आयात को निर्बंधित करने का निर्णय लिया गया था, जिससे केवल सोने के आभूषणों के निर्यातकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस परिपत्र के प्रावधानों को उन सभी नामित अभिकरणों/प्रीमियर/स्टार ट्रेडिंग हाउसों पर लागू किया जाए, जिन्हें भारत सरकार द्वारा सोने का आयात करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, नामित अभिकरणों और बैंकों दोनों द्वारा परेषण के आधार पर सोने का कोई भी आयात अब केवल सोने के आभूषणों के निर्यातकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही अनुमेय होगा।

2. इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी श्रेणियों के अंतर्गत सोने के आयात के लिए नामित बैंकों/अभिकरणों द्वारा खोले जाने वाले सभी साख पत्र (एलसी) केवल 100 प्रतिशत नकद मार्जिन के आधार पर होंगे। इसके अलावा, सोने के सभी आयात अनिवार्य रूप से भुगतान के विरुद्ध दस्तावेज़ (डीपी) के आधार पर होने चाहिए। तदनुसार, स्वीकृति के विरुद्ध दस्तावेज़ (डीए) के आधार पर सोने के आयात की अनुमति नहीं दी

जाएगी। यद्यपि, ये निर्बंधन सोने के आभूषणों के निर्यातकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोने के आयात पर लागू नहीं होंगे।

3. उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने घटकों और संबंधित ग्राहकों के ध्यान में ला सकते हैं। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे सख्ती से सुनिश्चित करें कि उनके घटकों द्वारा/उनके लिए किए जाने वाले विदेशी मुद्रा लेनदेन इन निर्देशों के अक्षरशः और भावना के अनुरूप हों।

4. सोने के आयात से संबंधित समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और किसी भी अन्य विधि के अंतर्गत आवश्यक अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हो, के प्रतिकूल प्रभाव के बिना हैं।

130. दिनांक 04 सितंबर 2013 को सीबीईसी ने एक और परिपत्र जारी किया जिसमें सोने और सोने के डोर बार के आयात के संबंध में विभिन्न विनियामक उपायों को निर्धारित किया गया। उस परिपत्र के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:-

“विषय: सोना और सोने का आयात डोर बार - प्रक्रिया और दिशानिर्देश।

निर्यातकर्ताओं को शुल्क मुक्त सोने की आपूर्ति करने के लिए नामित अभिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड के परिपत्र संख्या 28/2009 दिनांक 14-10-2009 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। आरबीआई ने अब संशोधित परिपत्र आरबीआई/2013-14/187, एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 25 दिनांक 14-8-2013 (प्रतिलिपि संलग्न) के जरिए सोने और सोने के डोर बार के आयात के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसे लागू करने के लिए सोने के आयात के लिए

निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जहां तक सोने के आयात का संबंध है यह परिपत्र सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 28/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 14-10-2009 का स्थान लेगा। चांदी और प्लेटिनम का आयात सीमा शुल्क परिपत्र दिनांक 14-10-2009 द्वारा शासित होता रहेगा।

2. अब से, सोने का आयात केवल डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित अभिकरणों द्वारा ही किया जा सकेगा, जो वर्तमान में निम्नलिखित हैं:

- i. धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी);
- ii. हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी);
- iii. राज्य व्यापार निगम (एसटीसी);
- iv. भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी);
- v. एसटीसीएल लिमिटेड;
- vi. एमएसटीसी लिमिटेड;
- vii. डायमंड इंडिया लिमिटेड (डीआईएल);
- viii. रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी एंड जे ईपीसी);
- ix. पैराग्राफ 3.10 के अंतर्गत एक स्टार ट्रेडिंग हाउस (केवल रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए) या एक प्रमुख ट्रेडिंग हाउस 2 विदेशी व्यापार नीति; और
- x. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण।

3. उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट बैंकों/अभिकरणों/संस्थाओं द्वारा सोने का आयात, जिन्हें इस परिपत्र के प्रयोजन हेतु आगे से नामित अभिकरणों के रूप में संदर्भित किया जाएगा, निम्नलिखित के अधीन होगा:

- क. सिक्कों और पदकों के रूप में सोने का आयात प्रतिषिद्ध है।
- ख. नामित बैंकों/अभिकरणों/संस्थाओं पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि देश में आयातित सोने के प्रत्येक लॉट का कम से कम पांचवां हिस्सा, अर्थात् 20%, विशेष रूप से निर्यात के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाए और शेष घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। 20/80 योजना के संचालन का एक कार्यशील उदाहरण संशोधित

रूप में आरबीआई परिपत्र दिनांक 14-8-2013 के उपाबंध में दिया गया है।

ग. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और ईओयू, प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग हाउसों में संस्थाओं/इकाइयों को केवल निर्यात के उद्देश्य से ही सोने का आयात करने की अनुमति होगी और इन संस्थाओं को निर्यात के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आयातित सोने की निकासी की अनुमति नहीं होगी (चाहे वे नामित अभिकरण हों या नहीं)।

घ. एसईजेड और ईओयू, प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग हाउसेज की इकाइयों को नामित अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराया गया सोना 20/80 योजना के प्रयोजन हेतु निर्यातकर्ताओं को सोने की आपूर्ति के रूप में योग्य नहीं होगा;

ड. अग्रिम प्राधिकरण/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) जैसे किसी भी प्राधिकरण के अंतर्गत आयातित सोने का उपयोग केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए किया जाएगा तथा घरेलू उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. सोने के आयात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

- i. सभी आयात केवल सीमा शुल्क अनुबद्ध माल- गोदामों द्वारा किए जाएंगे।
- ii. क्षेत्राधिकार आयुक्त, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अधीन, नामित अभिकरणों के वॉल्ट को सीमा शुल्क अनुबद्ध माल- गोदामों के रूप में अनुमति दे सकता है;
- iii. आयातित सोने के प्रत्येक परेषण हेतु, कम से कम 20% मात्रा केवल निर्यातकर्ताओं की आपूर्ति के लिए होगी और शेष को संशोधित आरबीआई परिपत्र दिनांक 14-8-2013 के अनुसार शुल्क का भुगतान करके मंजूरी दी जा सकती है;
- iv. नामित अभिकरण उक्त अधिकारी की संतुष्टि के लिए एक बांड प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह वचन दिया जाएगा कि वे भण्डारित सोने

का उचित हिसाब-किताब दें तथा निर्धारित प्रभावी शुल्क दर पर शुल्क देयता का भुगतान भी करेंगे;

- v. नामित अभिकरणों को क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा उनके मासिक आयात में शामिल प्रभावी दर पर अनुमानित शुल्क राशि के लिए एक सामान्य बांड या एक चक्रीय बांड देने की अनुमति दी जा सकती है, जो एक महीने में आयात किए जाने वाले सोने की मात्रा पर प्रभावी दर पर अनुमानित शुल्क के बराबर बांड से शुरू हो;
- vi. नामित अभिकरणों (आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामित बैंकों के अलावा) एक महीने में सोने के आयात या उनके द्वारा निष्पादित बांड पर शामिल शुल्क की अनुमानित राशि के 25% के बराबर बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेंगी। आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामित बैंकों को बैंक गारंटी से छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:

क. उक्त संस्था ने सीमा शुल्क और/या डीजीएफटी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया और शर्तों का पालन करने में चूक नहीं की है;

ख. निर्धारित अवधि के भीतर नामित अभिकरण द्वारा आपूर्ति की गई बहुमूल्य धातु से निर्मित आभूषणों के निर्यात में चूक के मामले में, उक्त इकाई ने निर्दिष्ट अवधि के भीतर शुल्क के भुगतान में चूक नहीं की है;

ग. उक्त इकाई को पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर को कवर करने वाला), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत धोखाधड़ी या मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने से जुड़े उल्लंघन

- के लिए कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है या उसके विरुद्ध कोई मांग की पुष्टि नहीं की गई है।
- vii. सीमा शुल्क आयुक्त एक से अधिक नामित अभिकरणों को अपने आयातित माल को एक ही बांडेड गोदाम में रखने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि मात्राएं अलग-अलग रखी जाएं और अलग-अलग खाते बनाए जाएं;
- viii. नामित अभिकरणों को डबल लॉक सिस्टम का पालन करने से छूट दी जाएगी। माल की बॉन्डिंग या एक्सबॉन्डिंग के लिए बॉन्ड अधिकारी की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। नामित अभिकरणों द्वारा कोई जुर्माना वसूली शुल्क देय नहीं होगा;
- ix. नामित अभिकरणों का दौरा सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण या जांच के लिए किया जा सकता है। क्षेत्राधिकार आयुक्त को पहले वर्ष के दौरान कम से कम 3 महीने में एक बार और उसके बाद एक वर्ष में दो बार यादृच्छिक निरीक्षण की प्रणाली तैयार करनी चाहिए;
- X. नामित अभिकरण, जो किसी निर्यातकर्ता को सोना बेचने का आशय रखते हैं, उन्हें उस निर्यातकर्ता के स्वामियों/प्रवर्तकों/प्रबंध निदेशक/भागीदारों आदि का नाम, पता और विवरण स्पष्ट रूप से बताते हुए, एक्स-बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दायर करनी चाहिए, जिसे सोना बेचा जा रहा है, उस क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क अधिकारी के पास, जहाँ सोना बॉन्ड किया गया है। नामित अभिकरण उचित एक्स-बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दायर करके शुल्क का भुगतान करके घरेलू उपयोग के लिए सोने की निकासी करेंगे।
- xi. नामित अभिकरणों से बहुमूल्य धातु प्राप्त करने के इच्छुक निर्यातकर्ताओं को अपने क्षेत्राधिकार वाले उप/सहायक आयुक्तों के पास अपना पंजीकरण कराना होगा, जो उन्हें एकमुश्त प्रमाणपत्र जारी करेंगे, जिसमें उनकी इकाइयों का विवरण जैसे इकाई का नाम और पता और संगठन के स्वामियों/प्रवर्तकों/प्रबंध निदेशक/भागीदारों आदि का विवरण होगा। परिपत्र 28/2009- सीमाशुल्क, दिनांक 14-10-2009 के प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों के पास

पहले से पंजीकृत निर्यातकर्ताओं को इस परिपत्र के अंतर्गत नया पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। सोना लेते समय यह प्रमाणपत्र नामित अभिकरणों को प्रस्तुत करना होगा। इकाइयों को अधिसूचना की शर्तों का पालन करने के लिए बैंक गारंटी के बिना उप/सहायक आयुक्त को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अंतर्गत वे शुल्क मुक्त सोना प्राप्त कर रहे हैं और विदेशी व्यापार नीति में निर्धारित अवधि के भीतर इससे बने आभूषणों का निर्यात करेंगे।

- xii. सीमा शुल्क अधिकारी उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित छूट अधिसूचना के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए सोने की निकासी की अनुमति देगा तथा उपाबंध-1 में निर्धारित प्रपत्र में रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा। यह रजिस्टर सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सोना आयात करने वाले प्रत्येक नामित अभिकरण के लिए अलग से बनाए रखा जाएगा;
- xiii. नामित अभिकरण निर्यातकर्ताओं को जारी किए गए माल का लेखा-जोखा (निर्यातकर्ता-वार) दिन-प्रतिदिन बनाए रखेंगे। यह खाता किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि बांडेड गोदाम का खाता होता है;
- xiv. निर्यातकर्ता द्वारा निर्यात का प्रमाण एचबीपी वी.1 के पैरा 4ए.8(ए) के अनुसार नामित अभिकरणों को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस बात का प्रमाण होगा कि उन्होंने विदेशी व्यापार नीति में निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें जारी किए गए शुल्क मुक्त सोने से बने आभूषणों का निर्यात किया है। नामित अभिकरण उस सीमा शुल्क अधिकारी को इसकी एक स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगी, जहां सोना बांड किया गया था;
- XV. जहां भी विदेशी व्यापार नीति में निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात का ऐसा प्रमाण पेश नहीं किया जाता है, वहां नामित अभिकरण (निर्यातकर्ता से इसकी वसूली का इंतजार किए बिना) उस अवधि की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर निर्यात न की गई बहुमूल्य धातु

की मात्रा पर लागू प्रभावी दर पर गणना की गई शुल्क राशि जमा करेगा, जिसके भीतर सोने की उक्त मात्रा से निर्मित आभूषणों का निर्यात किया जाना था। नामित अभिकरण अपने स्तर पर निर्यातकर्ता के साथ उनके दावे का निपटान करेंगे। नामित अभिकरण निर्यातकर्ता को जारी किए गए सोने से बने आभूषणों का निर्यात करने में विफलता के मामलों की रिपोर्ट सीमा शुल्क आयुक्त को देंगे, जिनके क्षेत्राधिकार में सोना मूल रूप से रखा गया था;

- xvi. सीमा शुल्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सीमा शुल्क अनुबद्ध माल-गोदाम से सोने की सभी निकासी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार हो, विशेष रूप से यह कि नामित अभिकरण द्वारा तीसरे परेषण में भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित परिपत्र दिनांक 14-8-2013 की अधिसूचना की तिथि से आयातित सोने की मात्रा निर्यातित उत्पादों में निहित सोने की मात्रा से पांच गुना से अधिक नहीं है, जिसके लिए निर्यात का प्रमाण और उससे संबंधित भुगतान की वसूली सीमा शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत की गई है;
- xvii. निर्यात का समाधान और बाद के आयातों के लिए मात्रा की गणना, क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अभिकरण-वार और पतन-वार नामित की जाएगी।

5. गोल्ड डोर बार के आयात के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

- i. गोल्ड डोर बार के आयात की अनुमति केवल डीजीएफटी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के विरुद्ध दी जाएगी।
- ii. वह इकाई जिसे डीजीएफटी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है, जिसे इसके बाद अनुज्ञप्ति धारक के रूप में संदर्भित किया जाएगा, को अधिसूचना 12/2012-सीयूएस, दिनांक 17-3-2012 में निर्धारित शर्तों के अधीन सोने के डोर बार आयात करने की अनुमति होगी;

- iii. उस पतन पर जहां से सोने के डोर बार आयात किए जाते हैं, वहां का सीमा शुल्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्ति धारक द्वारा, संशोधित रूप में दिनांक 14-8-2013 के आरबीआई परिपत्र की अधिसूचना की तिथि से तीसरे परेषण में आयातित सोने की मात्रा, निर्यातित उत्पादों में निहित सोने की मात्रा से पांच गुना से अधिक नहीं है, जिसके लिए एचबीपी खंड 1 के पैरा 4क.8 (क) के अनुसार निर्यात का प्रमाण सीमा शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है;
- iv. जिस पतन से सोने के डोर बार आयात किए जाते हैं, वहां के सीमा शुल्क अधिकारी को उपाबंध-II में निर्धारित रजिस्टर के अनुसार आयातित सोने का अनुज्ञप्ति धारक-वार रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। वह अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निर्यातकर्ताओं को परिष्कृत सोने से आपूर्ति किए गए सोने से निर्मित वस्तुओं के निर्यात के प्रमाण का रिकॉर्ड भी बनाए रखेगा। निर्यात का प्रमाण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, जिसके क्षेत्राधिकार में रिफाइनरी पंजीकृत है, अनुज्ञप्ति धारक द्वारा सीमा शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- v. अनुज्ञप्ति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि सोने के डोर बार के प्रत्येक परेषण से निर्मित सोने का कम से कम 20% निर्यातकर्ताओं को आपूर्ति किया जाए और शेष को संशोधित आरबीआई परिपत्र दिनांक 14-8-2013 के अनुसार घरेलू उपयोग के लिए आपूर्ति की जाए;
- vi. एसईजेड और ईओयू, प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग हाउस में स्थित संस्थाओं/इकाइयों को अनुज्ञप्ति धारक की रिफाइनरी से केवल निर्यात के उद्देश्य से ही सोना खरीदने की अनुमति होगी और इन इकाइयों को निर्यात के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसे सोने की निकासी की अनुमति नहीं होगी (भले ही वे नामित अभिकरण हों या नहीं)। इसके अलावा, एसईजेड और ईओयू, प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग हाउस में स्थित इकाइयों को ऐसी रिफाइनरियों द्वारा उपलब्ध कराया गया सोना 20/80 योजना के

उद्देश्य के लिए निर्यातकर्ताओं को सोने की आपूर्ति के रूप में योग्य नहीं होगा;

- vii. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में रिफाइनरी पंजीकृत है, यह निगरानी करेगा कि परिष्कृत सोने की कम से कम 20% मात्रा केवल निर्यातकर्ताओं की आपूर्ति हेतु होगी और शेष को संशोधित रूप में आरबीआई परिपत्र दिनांक 14-8-2013 के अनुसार मंजूरी दी जा सकती है;
- viii. आयातित सोने के डोर बार के प्रत्येक परेषण हेतु, अनुज्ञप्ति धारक सोने के डोर बार, शोधन के बाद उत्पादित सोने, निर्यातकर्ताओं को जारी किए गए सोने और इन निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्मित और निर्यात किए गए माल के निर्यात के प्रमाण के उपयोग पर एक रिपोर्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके क्षेत्राधिकार में अनुज्ञप्ति धारक की रिफाइनरी पंजीकृत है। इसकी एक प्रति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई, उस सीमा शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके क्षेत्राधिकार में परेषण को शुरू में आयात किया गया था।

6. यह परिपत्र तब और उसी तरीके से संशोधित माना जाएगा, जब आरबीआई अपने दिनांक 14-8-2013 के संशोधित परिपत्र में निहित सोने के आयात से संबंधित नीति में संशोधन करने के लिए कोई परिपत्र जारी करेगा।"

131. इस विषय पर जारी परिपत्रों और अधिसूचनाओं के व्यापक पुनरीक्षण करने के लिए, हम इस विषय पर विदा लेने से पहले, वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 30 नवंबर 2018 की अधिसूचना का संदर्भ लेना चाहेंगे, जो इस प्रकार है:-

“विषय: आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची - I (आयात नीति) के अंतर्गत एचएस कोड 7108 12 00 के अंतर्गत वस्तुओं की आयात नीति में संशोधन।

एस.ओ. (ई) : समय-समय पर संशोधित विदेशी व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित, एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची-I (आयात नीति) के अंतर्गत एचएस कोड 7108 12 00 के अंतर्गत वस्तुओं की आयात नीति में संशोधन करती है।

एकजिम कोड	वस्तु वर्णन	नीति	नीति शर्तें	संशोधित की गई नीति शर्तें
7108 12 00	अन्य अव्यवस्थित रूप	मुक्त	आरबीआई विनियमों के अधीन।	आरबीआई विनियमों के अधीन। यद्यपि, गोल्ड डोर की आयात नीति “निर्बंधित” है

132. उपर्युक्त अधिसूचना के बाद उस मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी की गई। उस अधिसूचना के प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:-

“विषय: आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत सोने और चांदी की आयात नीति शर्तों में संशोधन।

एस.ओ. (ई): समय-समय पर संशोधित विदेशी व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची- I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत किसी भी रूप में मौद्रिक सोने और चांदी के अलावा किसी भी रूप में सोने की शर्तों के साथ आयात नीति में संशोधन करती है।

एक्जिम कोड	वस्तु वर्णन	वर्तमान नीति	संशोधित नीति	मौजूदा नीति शर्त	संशोधित नीति शर्त
71081100	पाउडर	मुक्त	निर्बंधित	आरबीआई विनियमों के अधीन	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।
71081200	अन्य अव्यवस्थित रूप	मुक्त	निर्बंधित	आरबीआई विनियमों के अधीन यद्यपि, गोल्ड डोर की आयात नीति "निर्बंधित" है।	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य आयात अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है। गोल्ड डोर को एयू शर्त वाले अनुज्ञप्ति के आधार पर रिफाइनरियों

					द्वारा आयात किया जा सकता है
71081300	अन्य अर्ध - निर्मित रूप	मुक्त	निर्बंधित	आरबीआई विनियमों के अधीन	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।

अधिसूचना का प्रभाव: किसी भी रूप में सोने की आयात नीति, मौद्रिक सोने और चांदी के अलावा, को 'मुक्त' से 'निर्बंधित' में संशोधित किया गया है; आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है। यद्यपि, अग्रिम प्राधिकरण के अंतर्गत आयात और निर्यात आदेशों के विरुद्ध एफटीपी के पैरा 4.45 के अंतर्गत विदेशी खरीदारों द्वारा निर्यातकर्ताओं को प्रत्यक्ष सोने की आपूर्ति को छूट दी गई है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।"

133. अंतिम अधिसूचना जो विचारणीय है, वह दिनांक 05 जनवरी 2022 की है, जो एफटीडीआर की धारा 3 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कथित प्रयोग में सोने के आयात को विनियमित करती है। उस अधिसूचना के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

“विषय: आईटीसी (एचएस), 2017 की अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत सोने की आयात नीति शर्तों में संशोधन

एस. ओ. (ई): समय-समय पर संशोधित विदेशी व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित, एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची- I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत किसी भी रूप में मौद्रिक सोने और चांदी के अलावा किसी भी रूप में सोने के लिए आयात नीति की शर्तों में संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	वस्तु वर्णन	नीति	विद्यमान नीति शर्त	संशोधित नीति शर्त
71081100	पाउडर	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।	मौजूदा नीति की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं
71081200	अन्य अव्यवस्थित रूप	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है। सोने के डोर को एयू शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति के आधार पर रिफाइनरियों द्वारा आयात किया जा सकता है।	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य अभिकरणों के लिए) और आईएफसीए (भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से योग्य ज्वैलर्स के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से अनुज्ञात किया जाता है।

				रिफाइनरियों द्वारा एयू शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति के अंतर्गत सोने के डोर का आयात किया जा सकता है।
71081300	अन्य अर्ध-निर्मित रूप	निर्बंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य अभिकरणों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के माध्यम से ही अनुज्ञात किया जाता है।	मौजूदा नीति की शर्त में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।"

अधिसूचना का प्रभाव: आरबीआई (बैंकों के मामले में) द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों और डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित योग्य ज्वैलर्स को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत सोने का आयात करने की अनुमति होगी। यद्यपि, अग्रिम प्राधिकरण के अंतर्गत सोने/चांदी का आयात और निर्यात आदेशों के विरुद्ध एफटीपी के पैरा 4.45 के अंतर्गत निर्यातकर्ताओं को विदेशी खरीदारों द्वारा सीधे सोने/चांदी की आपूर्ति प्रासंगिक एफटीपी प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी।

यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।"

134. व्यापक रूप से प्रस्तुत किए गए प्रतिविरोधों तथा सीबीईसी, सीमा शुल्क और आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, अब प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा। अधिनियम की धारा 2(33) में "प्रतिषिद्ध माल" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कोई भी माल जिसका आयात या निर्यात अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी प्रतिषेध के अधीन है। यद्यपि, यह उन माल को बाहर करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ता है जो लागू शर्तों के अनुपालन में आयात या निर्यात किए गए हैं। आयातित या निर्यात की गई वस्तुओं और लेनदेन का बहिष्कार जो निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन पूरा हो गया है, वाक्यांश "परंतु इसमें शामिल नहीं है..." के उपयोग के आधार पर प्रतिषिद्ध माल के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। धारा 2(33) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "प्रतिषिद्ध माल" और "प्रतिषेध" की अवधारणा को इसलिए और आवश्यक रूप से उन वस्तुओं के विशिष्ट बहिष्कार से रंग और अर्थ लेना चाहिए जो निर्धारित शर्तों के उचित अनुपालन पर आयात या निर्यात किए गए हैं। यदि आयात या निर्यात के लिए शर्तों का अनुपालन अप्रासंगिक था और अभिव्यक्ति "प्रतिषेध" को निरपेक्ष रूप से समझा जाना था, तो स्पष्ट रूप से परिभाषा खंड के लिए उन वस्तुओं से निपटने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है जो आयात के लिए विभिन्न शर्तों का अनुपालन करने के बाद भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हमारी सुविचारित राय में, यह पहला पहलू है जो यह उपदर्शित करता है कि

शब्द "प्रतिषेध" का उद्देश्य अधिनियम के अंतर्गत निर्बंधन या विनियमन तक विस्तार करना भी है।

135. जब कोई अधिनियम की धारा 11 पर आगे बढ़ता है, तो उपरोक्त आशय और भी स्पष्ट हो जाता है। धारा 11 में माल के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति शामिल है। यह प्रावधान संघ सरकार को किसी भी विनिर्दिष्ट प्रकार के माल के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है "या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन (मंजूरी से पहले या बाद में पूरी की जानी चाहिए)...." इस प्रकार प्रावधान की भाषा स्पष्ट रूप से उपदर्शित करती है कि आयात के संबंध में प्रतिषेध या तो पूर्ण हो सकता है या ऐसी शर्तों की पूर्ति के अधीन हो सकता है जो विहित की जा सकती हैं।

136. हम अधिनियम की धारा 111 के महत्व पर भी ध्यान देते हैं जो अनुचित तरीके से आयातित माल के अधिहरण से संबंधित है। उन परिस्थितियों से निपटते समय जिनमें आयातित माल अधिहरण हेतु उत्तरदायी हो सकता है, प्रावधान सबसे पहले शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल की बात करता है। धारा 111, शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल की बात करने के अलावा, अपने शुद्ध माल के अंतर्गत उन माल को भी शामिल करती है जो या तो विहित शर्तों का उल्लंघन करके आयात की गई हैं या जिन माल को छिपाया गया है और साथ ही

आयातित वस्तुएं जो अन्यथा अधिनियम के अंतर्गत विहित शर्तों का अनुपालन नहीं करती हैं।

137. इस प्रकार धारा 111 से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अधिहरण की शक्ति केवल शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल के मामले में ही नहीं परंतु उन माल पर भी लागू होती है जिनका आयात अधिनियम द्वारा विहित शर्तों के उल्लंघन में किया गया हो। धारा 111 के खंड (इ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ड), (ढ), (ण) और (त) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है।

138. एफटीडीआर की धारा 3 संघ सरकार को विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन के लिए प्रावधानों को समाहित करने वाला आदेश प्रकाशित करने का अधिकार देती है। धारा 3(2) के अनुसार, संघ सरकार को आधिकारिक राजपत्र में विधिवत प्रकाशित आदेश के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित करने या अन्यथा विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहां भी कानून प्रतिषिद्ध करने की शक्ति के साथ-साथ "*निर्बंधित या अन्यथा विनियमित*" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। धारा 3(3) फिर यह उपाबद्ध करती है कि उप-धारा (2) के अंतर्गत किया गया कोई भी आदेश अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रतिषेध के रूप में कार्य करेगा। यह उप-धारा (3) की स्पष्ट और असंदिग्धार्थ भाषा से स्पष्ट है जो निर्धारित करती है कि धारा 3(2) के अंतर्गत प्रख्यापित आदेश के अंतर्गत आने

वाले माल को "ऐसे माल" माना जाएगा, जिनका आयात या निर्यात धारा 11 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है।

139. इस चरण में यह याद रखना उचित होगा कि धारा 3(2) संघ सरकार को माल के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या अन्यथा विनियमित करने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार धारा 3(2) के अंतर्गत जारी किया गया आदेश या तो माल के आयात या निर्यात को पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध कर सकता है या भारत के क्षेत्र में उनके प्रवेश को विनियमित या निर्बंधित कर सकता है। यद्यपि धारा 3(3) उन वस्तुओं को भी प्रतिषिद्ध माल की श्रेणी में रखती है, जिनका आयात या निर्यात उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अंतर्गत निर्बंधित या विनियमित किया जा सकता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत माना जाता है। यह भी अधिनियम की धारा 2(33) में प्रयुक्त "प्रतिषेध" शब्द को विश्वसनीयता प्रदान करता प्रतीत होता है, जो उन वस्तुओं तक भी विस्तारित होता है, जिनका आयात या निर्यात निर्बंधित या विनियमित है। किसी भी मामले में प्रतिषिद्ध माल की अवधारणा को आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 2(33) और 11 के साथ-साथ एफटीडीआर की धारा 3 के संयुक्त वाचन पर समझा और व्याख्यायित किया जाना चाहिए।

140. विद्वान न्यायमित्र ने हमारे विचारार्थ एफटीडीआर की धारा 3 की उपधारा (4) की संस्तुति की थी और उनके अनुसार इसने उस परिदृश्य को महत्वपूर्ण

रूप से बदल दिया है जिसके विरुद्ध "प्रतिषिद्ध माल" की अभिव्यक्ति को समझा जा सकता है। श्री गुलाटी के अनुसार, धारा 3(4) जिसे 2010 के अधिनियम 25 के अनुसार पेश किया गया था, स्पष्ट रूप से एफटीडीआर के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश पर एक अधिभावी प्रभाव प्रदान करती है। उनकी प्रस्तुति थी कि धारा 3(4) विधानमंडल के स्पष्ट आशय को समाहित करती है कि यह अनिवार्य है कि एफटीडीआर के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अलावा किसी भी माल के आयात या निर्यात पर प्रतिषेध नहीं लगाया जाएगा। इस बात पर जोर दिया गया कि उपधारा (4) का व्यापक प्रभाव जो विधानमंडल द्वारा "किसी अन्य विधि में निहित किसी भी चीज के प्रति पूर्वाग्रह के बिना" वाक्यांश का उपयोग करने से स्पष्ट है, को इसका पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। विद्वान न्यायमित्र की यह प्रस्तुति थी कि *शेख मोहम्मद उमर* और *ओम प्रकाश भाटिया* मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए समझा और सराहा जाना चाहिए कि वे एफटीडीआर की धारा 3 में उप-धारा (4) के लागू होने से पहले प्रतिपादित किए गए थे। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, विभिन्न निर्णय और पूर्व निर्णय, जो *शेख मोहम्मद उमर* और *ओम प्रकाश भाटिया* के मामले में निर्णय देते समय उच्चतम न्यायालय पर भारी पड़ने वाले तर्क को अपनाने के लिए आगे बढ़ी हैं, स्पष्ट रूप से धारा 3(4) की धारा 174 के प्रभाव की आलोचना करने या समझने में विफल रही हैं।

141. यद्यपि हम इस प्रस्तुति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि इसमें एफटीपी और आईटीसी (एचएस) में निहित सोने के संबंध में निर्देशों पर विचार नहीं किया गया है। निर्विवाद रूप से, एफटीपी और आईटीसी (एचएस) दोनों ही यह घोषित करते हैं कि सोने का आयात मुक्त होगा, साथ ही यह भी अनुबद्ध करते हैं कि यह आरबीआई विनियमन के अधीन होगा। निस्संदेह, एफटीपी और आईटीसी (एचएस) दोनों ही एफटीडीआर और अधिनियम के प्रावधानों से उत्पन्न हुए हैं। एफटीपी को एफटीडीआर की धारा 5 द्वारा केंद्र सरकार को दी गई विशिष्ट शक्ति के अनुसार बनाया और घोषित किया जाता है। इस प्रकार यह एक कार्यकारी नीति की महज घोषणा बनकर रह जाती है और वास्तव में धारा 5 से संबंधित एक वैधानिक कथन बन जाती है।

142. इस प्रकार एफटीपी एक वैधानिक स्वाद से ओतप्रोत है और यह स्पष्ट रूप से एफटीडीआर के अंतर्गत बनाए गए उपाय के अर्थ में आएगा और इसमें निहित सभी शर्तें उक्त अधिनियम के अंतर्गत रखी गई आवश्यकताओं के रूप में पहचाने जाने योग्य हैं और इस प्रकार धारा 3(4) के लिए संदर्भित हैं। इस प्रकार एफटीडीआर की धारा 3(4) में बताई गई प्रतिषेध की अवधारणा को इस प्रकार अधिनियम की धारा 11 के साथ धारा 2(33) के संयुक्त वाचन के आधार पर समझा जाना चाहिए और जैसा कि ऊपर बताया गया है साथ ही एफटीडीआर की धारा 3(2) के साथ इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इस प्रकार हम स्वयं को एफटीडीआर की धारा 3(4) के प्रभाव की व्याख्या या समर्थन

करने में असमर्थ पाते हैं, क्योंकि यह इस निर्णय के पिछले हिस्सों में हमारे द्वारा बताई गई प्रतिषेध की अवधारणा से परे या उस पर हावी है।

143. हम यह भी पाते हैं कि धारा 3 की उपधारा (4) में भी "प्रतिषिद्ध" शब्द का प्रयोग किया गया है। नीति निर्माण शक्ति के बड़े छत्र के भाग के रूप में तथा विदेशी व्यापार को विनियमित करने के प्राधिकार के रूप में, जो स्वयं धारा 3 का विषय है, इसमें प्रयुक्त शब्द को संभवतः उस रूप में नहीं पढ़ा या व्याख्यायित किया जा सकता है, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है।

144. पुनरावृत्ति के प्रयोजन हेतु, हम धारा 3(2) और संघ सरकार के माल के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने, निर्बंधित करने या विनियमित करने की शक्ति और उक्त आदेश के परिणामस्वरूप इसमें शामिल वस्तुओं को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध माल की श्रेणी में एक वैधानिक कल्पना के रूप में रखा गया है। हमारी सुविचारित राय में, *शेख मोहम्मद उमर* ने "प्रतिषिद्ध माल" को सौंपे जाने वाले अर्थ और धारा 2(33) द्वारा परिभाषित अर्थ को स्पष्ट किया है। *शेख मोहम्मद उमर* में दिखाई देने वाली विधिक स्थिति के निरूपण को एफटीडीआर की धारा 3 की उप-धारा (4) की शुरुआत से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं कहा जा सकता है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, *शेख मोहम्मद उमर* या *ओम प्रकाश भाटिया* में निर्धारित कथन को एफटीडीआर की धारा 3 में उप-धारा (4) की शुरुआत मात्र से संदेह के घेरे में नहीं लाया जा सकता है।

145. संक्षेप में, हम देखते हैं कि अधिनियम की धारा 2(33) प्रतिषिद्ध माल को परिभाषित करते समय सबसे पहले उन सभी वस्तुओं को अपने दायरे में लाती है जिनके संबंध में प्रतिषेधात्मक अधिसूचना या आदेश जारी किया जा सकता है। वह आदेश अधिनियम की धारा 11, एफटीडीआर की धारा 3(2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रख्यापित किया जा सकता है। यद्यपि, धारा 2(33) के उत्तरार्द्ध को पढ़ने से हम स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आयात की शर्त का उल्लंघन करके आयात किए गए माल भी इसके दायरे में आएंगे। यदि धारा 2(33) को केवल उन वस्तुओं तक विस्तारित करने की परिकल्पना की गई थी जिनके आयात को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था, तो कानून के लेखकों के लिए आयात शर्तों के अनुपालन में आयात किए गए सामानों को "प्रतिषिद्ध माल" के दायरे से बाहर रखने की बात करने का कोई अवसर नहीं होता।

146. हमारा निष्कर्ष तब और पुष्ट होता है जब हम धारा 11 पर आगे बढ़ते हैं और जो मुख्य रूप से प्रतिषेध करने की शक्ति से निपटते हुए फिर से पूर्ण प्रतिषेध या आयात की शर्तों के अधीन होने की बात करती है जो विहित की जा सकती हैं। इस प्रकार यह प्रकट करता है कि प्रतिषेध या तो निरंकुश शर्तों में हो सकता है या निर्बंधन या विनियमन की व्यवस्था के अधीन हो सकता है। यह वह विषय है जो एफटीडीआर की धारा 3(2) में दोहराया गया है जो फिर से प्रतिषेध, निर्बंधन या विनियमन की शक्ति की बात करता है। यह ध्यान में

रखना उचित है कि उक्त प्रावधान के संदर्भ में, सभी आदेश चाहे प्रतिषेध, निर्बंधन या विनियमन, विधिक कल्पना के माध्यम से अधिनियम की धारा 11 के दायरे में आते हैं। यह वास्तव में हमारे निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि धारा 2(33) न केवल उन स्थितियों को कवर करेगी जहां आयात निषिद्ध हो सकता है परंतु उन स्थितियों को भी शामिल करेगी जहां माल का आयात निर्बंधित या विनियमित है। धारा 2(33) की स्पष्ट भाषा और आशय के अनुसार, प्रतिबंधात्मक या विनियामक शर्त का उल्लंघन करके किया गया आयात भी "प्रतिषिद्ध माल" की श्रेणी में आएगा।

147. हम इस बात पर भी सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 11 या एफटीडीआर की धारा 3(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना की अनुपस्थिति का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा क्योंकि सोने के आयात पर निर्बंधन एफटीपी और आईटीसी(एचएस) का हिस्सा बनने वाले विशिष्ट नुस्खों के अनुसार बनाया गया है। वे निर्बंधन जो स्पष्ट रूप से एफटीडीआर की धारा 5 और उस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में हैं, स्पष्ट रूप से तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत अधिरोपित निर्बंधन होंगे। एक बार जब प्रतिषिद्ध माल की अवधारणा को नियंत्रण के प्रतिबंधात्मक या विनियामक उपाय के रूप में समझा जाता है, तो अधिनियम की धारा 11 या एफटीडीआर की धारा 3(2) के अनुसार लगाए गए प्रतिबंध को पहचानने या खोजने का कोई औचित्य नहीं होगा। यह और भी अधिक इसलिए क्योंकि, पूर्वोक्त कारणों से, हम पहले ही पा चुके हैं कि उन दो

प्रावधानों में निहित प्रतिषेध करने की शक्ति स्वयं एक अधिसूचना या आदेश की परिकल्पना करती है जो पूर्ण निषेध से कम हो सकती है और केवल आयात के लिए प्रतिबंध या शर्त लगा सकती है।

148. फिर हमारे विचार के लिए विभिन्न पूर्व निर्णय पर एक समापन टिप्पणी उद्धृत की गई है। हम देखते हैं कि *बेकर ग्रे* में, उच्चतम न्यायालय ने पाया था कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 माल के कम मूल्यांकन तक विस्तारित नहीं थी। यद्यपि यह ध्यान में रखना चाहिए कि अधिनियम की धारा 111 स्पष्ट रूप से माल के कम मूल्यांकन पर विचार करती है जिसके परिणामस्वरूप वह लेनदेन अनुचित आयात की श्रेणी में आता है और इस प्रकार अधिहरण हेतु उत्तरदायी है। *शेख मोहम्मद उमर* में, उच्चतम न्यायालय ने "प्रतिषिद्ध माल" अभिव्यक्ति को दिए जाने वाले सही अर्थ की स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। हम स्वयं को इस प्रकार व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह करने के लिए आश्वस्त नहीं पाते हैं, भले ही वर्तमान में प्रचलित वैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध परीक्षण किया जाए। *प्रयाग एक्सपोर्टर्स* के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के *अतुल ऑटोमेशन* में अधिकरण का निर्णय *शेख मोहम्मद उमर* के निर्णय को नोटिस या विचार करने में विफल रहा। यद्यपि *अतुल ऑटोमेशन* एक वृहत पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है, परंतु *राज ग्रा इम्पेक्स* में भी इस पर ध्यान दिया गया है, जिसने *शेख मोहम्मद उमर* में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की थी। *प्रयाग एक्सपोर्टर्स* में उच्चतम

न्यायालय के निर्णय में जो असंगत रेखा खींची गई थी, उसे अंततः *सुरेश झुनझुनवाला* में स्पष्ट किया गया।

149. अब कुछ अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की ओर मुड़ते हुए, हम मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा *सिटी ऑफिस इक्विपमेंट* में अपनाई गई तर्क-पद्धति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जब उसने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रतिषिद्ध माल को लागू शर्तों के अनुपालन में आयात किया जाता है, तो वे "गैर- प्रतिषिद्ध माल" बन जाते हैं। उस निर्णय में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कि यह अधिनियम एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना करता है, जहाँ या तो पूर्ण प्रतिबंध लागू होता है और ऐसी शर्त के अभाव में, वस्तुओं को "गैर- प्रतिषिद्ध" माना जाता है, हमारी सुविचारित राय में, धारा 2(33) और हमारे द्वारा देखे गए अन्य वैधानिक प्रावधानों द्वारा " प्रतिषिद्ध माल" शब्द को दिए जाने वाले सूक्ष्म अर्थ को ध्यान में नहीं रखता है। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को, किसी भी मामले में, उसी उच्च न्यायालय द्वारा *सम्यनाथन मुरुगोसन* और *मालाबार डायमंड गैलरी* में दिए गए पिछले निर्णय के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। हम पाते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय के *भार्गवराज रमेशकुमार मेहता* और *अब्दुल हुसैन सैफुद्दीन हामिद* के निर्णयों के साथ-साथ मद्रास उच्च न्यायालय के *मोहम्मद हारून* के निर्णयों ने इन याचिकाओं में उठाए गए प्रश्न के संबंध में विधिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिपादित किया है।

150. इससे हमें विद्वान न्यायमित्र की प्रस्तुति पर विचार करना होगा, जिन्होंने सोने के आयात को निर्बंधित या विनियमित करने की आरबीआई की शक्ति पर संदेह जताया था। जैसा कि हमने ऊपर देखा, विद्वान न्यायमित्र ने प्रतिवाद किया था कि आरबीआई वास्तव में माल के आयात या निर्यात के विषय से संबंधित नहीं है। उनकी प्रस्तुति थी कि आरबीआई मुख्य रूप से मौद्रिक नीति के निर्माण से संबंधित है और इसे माल के आयात या निर्यात को विनियमित करने के लिए किसी भी प्रकार का वैधानिक प्राधिकरण या क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं किया जा सकता। यह उपर्युक्त पृष्ठभूमि में था कि विद्वान न्यायमित्र ने *श्री एक्सपोर्ट्स* में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त करने की मांग की थी।

151. हम यह ध्यान देने योग्य मानते हैं कि *श्री एक्सपोर्ट्स* ने मूलतः इस तथ्य पर निर्णय किया कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले निर्बंधन से पहले सोने के पदक आयात किए गए थे। बेशक, सोने के कण भी डीजीएफटी द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने से पहले आयात किए गए थे, जिसमें सभी को बताया गया था कि संशोधित आयात नीति के अनुसार, सोने का आयात केवल आरबीआई द्वारा अधिसूचित नामित अभिकरणों के माध्यम से ही किया जा सकता है। *श्री एक्सपोर्ट्स* ने मूलतः उपरोक्त परिस्थिति पर भरोसा किया। किसी भी मामले में उस निर्णय को आरबीआई के प्राधिकार या सोने के आयात

के संबंध में विनियामक उपाय बनाने की शक्ति के विरुद्ध एक पूर्व न्याय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं।

152. श्री एक्सपोर्ट्स ने सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतीय स्टेट बैंक¹⁰⁰ के केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया पर भी ध्यान दिया था। जो प्रश्न उठाया गया था और एसबीआई के केंद्रीय कार्यालय के विचार के लिए रखा गया था, वह यह था कि क्या आरबीआई "सामान्य रूप से" माल के आयात/निर्यात को विनियमित कर सकता है। उस प्रश्न का उत्तर देते समय, एसबीआई के केंद्रीय कार्यालय ने कहा कि किसी भी वस्तु के आयात या निर्यात का विनियमन वाणिज्य मंत्रालय/डीजीएफटी के क्षेत्राधिकार में आएगा और इसके अतिरिक्त, निर्यात आयात नीति/विदेश व्यापार नीति द्वारा शासित होगा।

153. हमारी सुविचारित राय में, एसबीआई की प्रतिक्रिया को किसी भी प्रकार से सोने के आयात के संबंध में आरबीआई द्वारा संचालित विनियामक उपाय की कठोरता को कम करने के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इस तथ्य से अलग कि प्रतिक्रिया आरबीआई की नहीं थी, हम पाते हैं कि एसबीआई ने पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है, जिसमें कहा गया है कि आयात या निर्यात का विनियमन मुख्य रूप से वाणिज्य मंत्रालय/डीजीएफटी के क्षेत्राधिकार में आता

¹⁰⁰ एसबीआई

है। इसने प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे कहा कि आयात/निर्यात का विनियमन प्रासंगिक समय पर प्रचलित एक्सिम नीति और एफटीपी द्वारा शासित होगा।

154. विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब हम इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हैं कि सोने के आयात के संबंध में आरबीआई विनियामक नियंत्रण के अधीन होने की शर्त एक चिरभोग है जिसे एफटीपी में ही शामिल किया गया है और पेश किया गया है। यह एफटीपी एफटीडीआर की धारा 5 के अनुसार तैयार किया गया है जो सोने के आयात को आरबीआई विनियमन के अधीन बनाता है। इस प्रकार यह शर्त स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की मंशा को दर्शाती है कि वह आरबीआई को सोने के आयात के संबंध में विनियामक प्रावधान तैयार करने का अधिकार प्रदान करना चाहती है। चूंकि यह शक्ति आरबीआई को केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त है और यह एफटीपी का ही एक अभिन्न अंग है, इसलिए किसी को सोने के आयात को विनियमित करने के लिए उचित निर्देश और परिपत्र जारी करने के लिए आरबीआई में स्वतंत्र रूप से निहित शक्ति को समझने की आवश्यकता नहीं है।

155. समापन करते समय, हम श्री तरुण गुलाटी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र के प्रति आभार व्यक्त करना उचित समझते हैं, जिन्हें इस न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुणाल और श्री कुमार संभव ने कुशलतापूर्वक सहायता प्रदान की। उन्होंने हमें विधि के जटिल प्रश्नों से निपटने

में सक्षम बनाने में शानदार सहायता प्रदान की है और इस विषय पर व्यक्त किए गए भिन्न-भिन्न विचारों से निपटने में हमारी सहायता की है। न्यायालय की सहायता के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए हम विद्वान अधिवक्तागण के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

प्रवृत्त निर्देश

156. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि माल के आयात के लिए किसी शर्त का व्यतिक्रमण भी अधिनियम की धारा 2(33) के दायरे में आएगा और इस प्रकार उनका मोचन और निर्मुक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी की विवेकाधीन शक्ति के अधीन हो जाएगा। पूर्वोक्त कारणों से, न्यायालय को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित व्यक्तिगत आदेशों में कोई अवैधता नहीं दिखती है और जो इन रिट याचिकाओं में आक्षेपित थे।

157. तदनुसार, तथा उपरोक्त सभी कारणों से, न्यायालय को रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में आक्षेपित आदेशों को चुनौती देने में कोई गुणागुण नहीं दिखते। परिणामस्वरूप, ये खारिज की जाती हैं।

न्या. यशवंत वर्मा

न्या. धर्मेश शर्मा

21 अगस्त, 2023

एसयू/बीएच

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।